राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९५८ का ६८वां दिवस [संख्या ४०

शुक्रवार, १८ अप्रेल, १९५८

विधान सभा की बैठक प्रातः ८ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, करनपुर

१४८७. **डॉ० चन्द्रकला** (श्री मती सतवन्त कौर की अनुपस्थिति में) :

श्री अध्यक्ष : आपकी ओथोरिटी अभी तक चल रही है ?

डॉ० चन्द्रकला : आपसे पहले ही पूछ लिया था।

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या करनपुर विस्तार सेवा खंड के अमानत खाते में सन् १९५७ में ३०० की कमी है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : सन् १९५७ के हिसाब की जांच कब हुई। क्या उस जांच में यह उल्लेख नहीं है कि अमानत में ३०० रुपये की कमी है ?

श्री सम्पतराम : कमी नहीं थी सामने सौ रुपये ज्यादा लिख दिये गये थे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या १०० रुपये ज्यादा लिख देना आप हिसाब को ठीक मानते हैं ?

श्री सम्पतराम : मैंने आपसे निवेदन किया, अमानत में कमी नहीं थी।

डॉ० चन्द्रकला : हिसाब की जांच कब हुई ?

श्री सम्पतराम : इस सवाल से आपका सवाल बिल्कुल अलग है जिसका जवाब मैं दे चुका।

Page No.2

डॉ० चन्द्रकला : आप फरमाते हैं कि अमानत में ३०० रुपये की कमी नहीं थी और १०० रुपये की बचत दिखाई, तो मैं यह जानना चाहती हूं यह जांच कब हुई ? ३०० रुपये की कमी के बजाय १०० रुपये की बचत हुई।

श्री सम्पतराम : तीन सौ रुपये की कमी नहीं। सवाल बहुत साफ है, मैंने उसका जवाब दे दिया है और एडीशनल इनफोरमेशन भी देदी है कि १०० रुपये की बचत थी।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा निकलना भी तो हिसाब के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

श्री सम्पतराम : इसको मैं मानता हूं।

मेवाड़ शुगर मिल्स

१४८८. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलुम्बर) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपालसागर को चालू वित्तीय वर्ष में किस किस कार्य के लिए कितनी कितनी रकम कर्जे के रूप में दी गई है ?

(ख) क्या उपरोक्त रकम जिस कार्य के लिये स्वीकृत की गई है उसमें लगाई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मंत्री की ओर से) :

(क) मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपाल सागर को चालू वित्तीय वर्ष में कोई कर्ज नहीं दिया गया ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सोहनलाल भटनागर : चालू वित्तीय वर्ष से मेरा मतलब इस साल से नहीं था गये वर्ष से था।

श्री नाथूराम मिर्धा : गये साल के बारे में जानकारी नहीं है इस साल का जो जवाब था वह दे दिया।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह प्रश्न कौन सी तारीख को पूछा गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें तारीख लिखी हुई नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि प्रश्न की सूचना १५ दिन पहले दी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दी जाती होगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसको पोस्टपोन कर देने में क्या हर्ज है ?

श्री भैरोसिंह : इस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर ले लें सिम्पल सा प्रश्न है। अगली टर्न पर जवाब आ जायगा।

इन्चार्ज, थाना किशनगढ़

१४८९. **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या सरकार को विदित है कि थाना

(श्री मोहरसिंह)

पु० राजगढ़ जि० चूरू का इन्चार्ज श्री श्योदानसिंह एस० आई० इस वक्त मोअत्तिल है ?

(२) उसे किस अभियोग में मोअत्तिल किया हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि यह एस. आई. पहले भी इसी किस्म के अभियोगों में कई बार मोअत्तिल हो चुका है ?

(४) इस वक्त उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या बेजाब्तगियों के कुल कितने अभियोग चल रहे हैं ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त अभियोगों की जांच के वास्ते भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की तरफ से अभियुक्त के ही हमदर्जे के एक एस. आई. लादूसिंह को मुकर्रर किया गया था ?

(६) उपरोक्त अभियोग किस समय से चल रहे हैं।

(७) इतने दिनों बाद भी कोई फैसला न होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) भ्रष्टाचार, इर्रेगुलेरिटीज़ तथा तफतीश में नेगलीजेन्स के आरोपों में।

(३) जी हां।

(४) इस प्रकार के आरोपों में इस व्यक्ति के विरुद्ध डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है।

(५) जी हां।

(६) डिपार्टमेन्टल एनक्वायरी ता० २०।६।५७ से चल रही है।

(७) ऐसी इन्क्वायरी में समय लगता ही है। क्योंकि दोनों पार्टियों के काफी तादाद में गवाहान हैं, जिनको एग्ज़ामिन करना है।

श्री मोहरसिंह : कौन सी तारीख को मोअत्तिल किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मोअत्तिल की तारीख हमारे पास नहीं है।

श्री मोहरसिंह : अब कितना समय लगेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें ऐसा है कि गवाहियां बहुत ज्यादा हैं चालीस के करीब गवाहियां तो खिलाफ हैं और करीब २०, २५ डिफेन्स में हैं।

श्री श्री भानसिंह : जो व्यक्ति रेंग्युलरली ओफेन्स कर रहा है उसके खिलाफ आपने जुडिशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं बिठलाई ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करना जरूरी है।

श्री श्रीभानसिंह : जब इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज और अन्य अभियोग उस पर लगाये गये, तब क्यों नहीं इन्क्वायरी कराई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक साथ ही कम्पलेन्टस आयी हैं।

Page No.4

श्री मूलचन्द डागा : सत्र से पहले इस व्यक्ति के खिलाफ कब रिपोर्ट आयी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जून १६५७ में।

श्री मूलचन्द डागा : क्या १४ ही अभियोगों की रिपोर्ट एक ही साथ हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक ही साथ ये सब एलीगेशन्स लगाये गये।

श्री मोहरसिंह : एन्टी करप्शन विभाग ने जो जांच की उसका नतीजा क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या इनकी जांच के लिए इक्वल स्टेटस का व्यक्ति नियुक्त किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्टल रूल्स के अन्तर्गत ही किया है।

श्री पी. के. चौधरी : Officer of a higher rank is appointed to conduct the enquiry or of equal rank ?

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि एस० पी० चूरू इनको बचाना चाहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बचाने का सवाल होता तो इन्क्वायरी क्यों बिठाते ?

श्री पी. के. चौधरी : Will the Hon'ble. Minister state, what are the rules or standing orders of the department in this connection for conducting an enquiry.

श्री रामकिशोर व्यास : हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट खुद कर सकते हैं या वे किसी को डेलीगेट कर सकते हैं।

श्री मोहरसिंह : कितना अर्सा और जांच में लगने का अन्देशा है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा, इस बारे में समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोनों के इतने विटनेसेज हैं कि उनको एक्ज़ामिन करने में समय लगेगा।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि गवाहों को दबाया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री मोहरसिंह : जो आदमी इन्क्वायरी कर रहा है, वह जुनीयर है या सीनियर ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हाई स्कूल बालोतरा

१४६०. **श्री रावतराम** (बालोतरा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बालोतरा के हाई स्कूल में कब तक विज्ञान की कक्षाएं खुल जायेंगी ?

(२) क्या बालोतरा में सरकार हिन्दी छात्रों के लिये छात्रावास खोलने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा : (शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में)

(१) आगामी सत्र से विज्ञान की कक्षायें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) जी नहीं।

भवन-निर्माण हेतु दिया गया कर्ज जिला टोंक

१४६१. श्री लालूराम टटवाड़िया (टोंक) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक को मकान बनाने व कर्ज देने हेतु एक लाख रुपया व पचास हजार स्वीकृत किये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि वह रुपये किसी और जिले में खर्च किये ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह रुपये सरकार फिर से हाउस निर्माण हेतु टोंक जिले को देगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रश्न का जवाब मुझे प्राप्त नहीं हुआ।

श्री श्रीभानसिंह : इस सवाल का जवाब आने में क्या दिक्कतें आयीं, क्या आप बतला सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्रास फार्म बिल्डिंग, जयपुर

१४६२ श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सी. सी. एफ. के तीन क्लर्क ग्रास फार्म की बिल्डिंग में रहते हैं ?

(ख) यदि हां, तो तो इन्हें रहते कितना समय हो गया तथा प्रतिमास इनसे नल, बिजली व मकान का क्या चार्ज किया जाता है ?

(ग) क्या उक्त क्लर्कों के ग्रास फार्म की बिल्डिंग में रहने से सी. सी. एफ. को दो डेरे बाहर लगवाने पड़े जो खराब हो गये ?

(घ) यदि हां, तो उक्त डेरों की क्या कीमत थी ?

वन मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा :

(क) जी हां।

(ख) मई सन् १९५६ से कुछ चार्ज नहीं किया जाता।

(ग) ऐसी बात नहीं है। ये डेरे केवल ऑफिसरों के दफ्तर के लिये लगाये गये थे और इनका उक्त क्लर्कों के ग्रास फार्म में रहने से कोई संबन्ध नहीं रखता। जिनमें से एक पुराना था जो खराब हो गया।

उसकी डेप्रीसीयेशन (पुरानी) कीमत करीब १०० थी।

श्री पी० के० चौधरी : वे रेन्ट फ्री क्वार्टर के लिये एन्टाइटल्ड हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेम्प्रेरी काम करने के लिये बुलाया गया था।

श्री पी० के० चौधरी : Are they....

श्री नाथूराम मिर्धा : रेन्ट फ्री क्वार्टर के एन्टाइटल्ड नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर इनसे रेन्ट क्यों नहीं लिया जाता है ?

Page No.6

श्री नाथूराम मिर्धा : वे दफ्तर के कमरे में रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कितने अर्से से रहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब दो तीन महीनों से।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकारी बिल्डिंग न होने के कारण डेरे में ऑफिस लगते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रात को वहां पर रहते हैं और दिन में ऑफिस चलता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन मकानों के अन्दर वे रहते हैं वहां ऑफिस नहीं चलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चलता है।

आबू रोड में गुजराती भाषा को पढ़ाया जाना

१४६३. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

क्या यह सत्य है कि आबू रोड के राजस्थान में मिलने के पहले गुजराती भाषा पहली कक्षा से लगा कर दसवीं कक्षा तक पढ़ाई जाती थी ? यदि हां, तो वह अब पढ़ाई जा रही है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा : शिक्षा मंत्री की ओर से) (१) जी हां, बम्बई सरकार के आदेशानुसार पहले वहां पर कक्षा ७ से १० तक गुजराती भाषा पढ़ाई जाती थी। कक्षा ९ व १० में तो युनिवर्सिटी ने गुजराती एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, तथा १ से ८ तक गुजराती भाषा रेल्वे इन्डिया हाई स्कूल आबू रोड तथा प्राईमरी व मिडिल स्कूल आबू ताल्लुक में पढ़ाने का आदेश दिनांक ४.३.५८ को निकाल दिये गये हैं।

श्री दलपतसिंह : क्या इस क्षेत्र की भाषा गुजराती है।

श्री नाथराम मिर्धा : जी हां।

श्री अनोपसिंह : क्या गुजराती की जगह हिन्दी नहीं पढ़ायी जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गुजराती की जगह हिन्दी नहीं पढ़ायी जाती।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कितने पर्सेन्ट गुजराती हैं और कितने पर्सेन्ट दूसरे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार केलकुलेट नहीं किया है।

मकराने में नई खाने चालू करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र

१४६४. **श्री जेठमल** (नांवा) : क्या उद्योग व खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का देने की कृपा करेंगे :—

(१) मकराना में नई खानें चालू करने के लिये कितनी दरख्वास्तें सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

(२) इन दरख्वास्तों में सब से पुरानी दरख्वास्तें किस तारीख की हैं ?

(३) अब तक इन दरख्वास्तों पर फैसला न होने के क्या कारण हैं ?

(श्री जेठमल)

(४) क्या सरकार को ज्ञात है कि पुराने पट्टेदारों की मियाद बढ़ाने की दरख्वास्तों का निर्णय भी २ या ३ वर्ष में होता ?

(५) यदि हां, तो क्यों है और क्या भविष्य में इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया जायेगा ?

यातायात मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा : (उद्योग एवं खनिज मंत्री की ओर से)

(१) कोई नहीं।

(२) व (३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं। सिवाय उन लोगों के जो अपने को बापी हकदार बतलाते हैं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

थाने कोलवा (त. बसवा) थाने में कानसिंह द्वारा रिपोर्ट

१४६५. श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई)

Will the Home minister be pleased to state:--

(a) Did Kan Singh Rajput of village Kolwa of Tehsil Baswa lodged any report in the Kolwa police station during the last six months ?

(b) It it a fact that the report of medical examination in the state dispensary at Bandikui and Dausa revealed a number of injuries on the person of his wife, daughter and himself ?

(c) What action had been taken by the local police in the matter ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(a) Yes, sir. on last July, 1957.

(b) Shri Kan Singh and his wife were medically examined at Bandikui and not at Dausa. Their daughter was never medically examined as no injury was alleged to have been sustained on her person. According to the medical report, 3 simple injuries were found on the person of Kan Singh and 4 simple hurts on the person of his wife.

(c) The case after investigation was closed with a final report as the offence did not go beyond the scope of Sec. 323 I. P. C. which is a non-cognizable offence.

श्री बी. एन. जोशी :Is the Hon'ble. Minister prepared to have the case re-investigated ?

श्री रामकिशोर व्यास : On what grounds ?

श्री श्रीभानसिंह : As to why the daughter was not medically examined.

श्री रामकिशोर व्यास : She had no injuries.

श्री श्रीभानसिंह : How did the Hon'ble. Minister come to conclusion that she had no injuries when she was not medically examined ?

श्री रामकिशोर व्यास : She never said that injuries had been caused to her.

श्री पी. के. चौधरी : Have the police equired what was the cause of these injuries.

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो आपस में मार पीट होगई थी।

श्री पी. के. चौधरी : Has they received the injuries and by whom ?

श्री रामकिशोर व्यास : मकान था और उसमें रहने वालों में आपस में मार पीट हो गई। उसमें जिनके चोटें आई उनको एग्जामिन करा दिया। जब कोई कहे कह नहीं तो उसका एग्जामिनेशन कहां से करावें।

श्री पी. के. चौधरी : Has any case been lodged against the persons who inflicted these injuries ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३२३ का ऑफेन्स बनता है, जो कोग्नीजेबल नहीं है; क्या करें ?

श्री विशवम्भरनाथ जोशी : Is it a fact that ample evidence is available for making the offence a cognizable one, but the police deliberately refused to challan the offenders ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस के इन्नोरेन्स का सवाल नहीं पैदा होता। मैडिकल रिपोर्ट आई उसके बेसिस पर काम किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : ३२३ के साथ ४५२ व (अश्रव्य) के बिना आजकल पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती, क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जनरल क्वेश्चन है।

श्री श्रीभानसिंह : In this fight how many persons were involved from both sides ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैं नहीं कह सकता।

अध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूलों का निरीक्षण

१४६६. **श्री माणिकचन्द (जायल) :** क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५७ में डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग ने कितने हाई स्कूल्स का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण रिपोर्ट्स लिखीं ?

(ख) इसी समय में डिप्टी डाइरेक्टर्स ने अपने-अपने क्षेत्रों में कितनी हाई स्कूल्स का निरीक्षण करके रिपोर्ट्स लिखीं ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (क) १२ हाई स्कूलों का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण रिपोर्ट्स लिखी।

(ख) डिप्टी डाइरेक्टर, जयपुर ने १७, कोटा ने १०, जोधपुर ने ३३, उदयपुर ने २६ और बीकानेर ने ३१ हाई स्कूल्स, मल्टी परपज़ तथा हायर सेकन्डरी स्कूल्स के दौरे किये तथा रिपोर्ट्स लिखीं।

श्री पी. के. चौधरी : डाइरेक्टर साहब की यह रिपोर्ट किसके पास जाती है ?

Page No.9

श्री नाथूराम मिर्धा : वे खुद अपने पास ही रखते हैं। डिप्टी डाइरेक्टर की डाइरेक्टर के पास जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह निश्चित है कि डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर को इतना निरीक्षण तो कर लेना चाहिए साल भर के भीतर–भीतर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सुना नहीं, जरा रिपीट कर दें।

डॉ० चन्द्रकला : सुन लीजिये, यह क्या निश्चित है कि साल भर के अन्दर डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर द्वारा इतना निरीक्षण तो कर ही लिया जाना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, इसके लिये नियम हैं।

श्री पी. के. चौधरी: वे क्या नियम हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे काफी लम्बे चौड़े हैं। पढ़ने में समय लगेगा।

श्री श्रीभानसिंह : क्या उनमें उन्होंने नियम के अनुसार निरीक्षण नहीं किया, इस साल यह सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किया है जितना उनको करना था। सिवाय कोटा वालों के। इसका कारण यह था कि उन दिनों कुछ तो इन्फ्लुएन्जा हो गया था, इसके पहले स्टुडेन्ट्स आन्दोलन चल गया था और इस तरह से इस सैशन में गड़बड़ी होने से कुछ कम किया। फिर भी उन्होंने अपना निर्धारित दौरा पूरा करने की कोशिश की है, भाग दौड़ करके।

विकास खण्ड, देसूरी

१४६७. श्री मनरूपराम परिहार (खारची): क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले में देसूरी विकास खण्ड कब खुला है और सन् ५७ तक उस विकास खण्ड द्वारा कितनी धनराशि विकास कार्य में खर्च की गई और कितनी धनराशि स्टॉफ के वेतन भत्ता, मोटर, जीपों, पैट्रोल में तथा विकास भवन निर्माण में खर्च की गई ? एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि विकास खण्ड देसूरी और खारची द्वारा ग्राम नेता शिक्षण शिविर होते हैं ? यदि हां, तो आज तक उन विकास खण्डों द्वारा कहां-कहां शिक्षण शिविर हुए हैं और उनमें कुल कितनी धन–राशि खर्च हुई ? एक तालिका सदन की मेज पर रक्खें।

उप–विकास मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) देसूरी विकास खण्ड २ अक्टूबर, ५३ में खोला गया। १९५७ तक खर्च की गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री बेनाराम गहलोत : ग्राम शिक्षण शिविर में किस हिसाब से खर्च किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर से

Page No.10

(श्री नाथूराम मिर्धा)

१००) ब्लॉक्स की तरफ से ऐसे वक्त में दिये जाते हैं और यदि गांव वाले सारा ही खर्चा उठाने को तैयार हों और ऐसी सम्भावनाएं हों, तो ब्लाक की तरफ से कम भी किया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : ये ग्राम नेता कौन होते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४६८

श्री बालमुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४६६

श्री गोकुलचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५००

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

(अनुपस्थित)

कोतवाली, कोटा ।

१५०१. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा कोतवाली के आगे लगी लोहे की सुन्दर जाली तथा किंवाड़ों को हटाकर भारी भरकम ऊंची दीवारों तथा किवाड़ों को खड़ा करने का क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सही है कि निर्दोष व्यक्तियों की जो अमानुषिक पिटाई पुलिस के निजी स्वार्थों के लिए की जाती है उसे जनता की नजर से छुपाने के लिए इतनी धनराशि व्यय की गई है ?

गृह-मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) यह थाने की हवालात की सुरक्षा एवं बचाव के लिए बनाई गई है।

(ख) जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जाली वगैरह कितने दिन पहले से बनी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बहुत पहले की बनी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या कोतवाली अब सुरक्षित हो गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पहले पब्लिक को एक्सपोज होती थी, इसके टूटने और निकल जाने का भय था और इसमें क्योंकि हवालात भी है जो रास्ते की तरफ है उसके सींखचे निकाले जाने का डर था, इसलिए यह तोड़ कर दीवार बनाई गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि इन दीवारों के बाद भी एक्सपोज होने की बात नहीं मिटी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिक्योरिटी के बजाय सेफ्टी का ज्यादा महत्व है यह तो।

पशुवन विहार, धौलपुर ।

१५०२. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(डाक्टर बहादुर सिंह)

(क) धौलपुर उपजिले में कितने पशुवन विहार हैं तथा उन पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना व्यय किया गया है ?

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के गत वर्षों में तथा मौजूदा वर्ष में केन्द्रीय व राज्य सरकार इन पर कितना व्यय कर चुकी है और करेंगी ?

(ग) धौलपुर के पशु वन विहारों के सुधार के लिए और क्या क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) तीन ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) १९५६–५७ में कोई खर्चा नहीं हुआ । १९५७–५८ में फरवरी १९५८ तक ४३१.५२ रुपया खर्च हुआ जिसमें से २१५.७६ रुपया राज्य सरकार व २१५.७६ रुपया केन्द्रीय सरकार का है ।

(घ) गेम वाचर्स (Game Watchers) रक्खे गये हैं जो यहां जानवरों की रक्षा के लिए पैट्रोलिंग करेंगे । औदी व सड़कों की मरम्मत भी की गई है । जब इन पशु–विहारों पशु–पक्षी बढ़ जावेंगे तो प्रचार का कार्य में किया जावेगा ।

श्री श्रीभानसिंह : यह गेम वार्डन किस साल में रक्खा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गेम वार्डन ५७–५८ में रक्खा गया, यह बताया है मैंने ।

श्री श्रीभानसिंह : इस गेम वार्डन का खर्चा सारा स्टेट गवर्नमेंट ने बियर किया या या सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी मैंने बताया कि प्रोपोर्शनेटली स्टेट गवर्नमेंट ने और केन्द्रीय सरकार ने बियर किया है ।

डॉ० चन्द्रकला : इनसे आमदनी भी होती है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो देखने और आनन्द लेने की बात है ।

(हंसी)

एम. ए. की हिन्दी और अंग्रेजी कक्षाएं

१५०३. **श्री हजारीलाल बाकोलिया** (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा अजमेर में एम. ए. हिन्दी और अंग्रेजी की कक्षाएं किन वर्षों में आरम्भ की गई थी ?

(ख) जिन वर्षों में इन दोनों विषयों में कक्षाएं आरम्भ की गई उन वर्षों में तथा बाद के ५ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष में छात्रों की क्या संख्या थी ?

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी की एम. ए. की कक्षाएं राजकीय सनातन धर्म कालेज ब्यावर में इस वर्ष क्यों हटादी गई ?

(घ) इस विषय में ये कक्षाएं सनातन धर्म कालेज, ब्यावर में कब खोली गई थी

Page No.12

(श्री हजारीलाल वाकोलिया)

और अध्यापकों की नियुक्ति किस माह में हुई थी ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, शिक्षा मंत्री की ओर से) : (क) निम्नलिखित वर्षों में चालू की गई थी :

	हिन्दी	अंग्रेजी
१. जयपुर में	१९४५	१८९६
२. जोधपुर में	१९५४	१९५४
३. उदयपुर में	१९४७	—
४. बीकानेर में	१९४२	१९४२
५. अजमेर में	१९५३	१९४८

(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ग) क्योंकि इस कालेज में छात्रों की संख्या बहुत ही कम थी और पास में करीब ३३ मील दूर पर अजमेर में ये साधन उपलब्ध थे ।

(घ) ये कक्षाएं इस कालेज में जुलाई सन् १९५६ में खोली गई थीं । अध्यापकों की नियुक्तियां माह सितम्बर, १९५६ में की गई थी ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खन्ड

१५०४. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभ नगर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड किन आधारों पर खोले जाते हैं ?

(ख) क्या सरकार इस वर्ष उदयपुर जिले की वल्लभनगर तथा भूपाल सागर तहसील में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम, मुख्य मंत्री की ओर से) : (क) (१) जहां कृषि उत्पादन के साधन सहज ही में उपलब्ध हों ।

(२) जहां पिछड़ी जातियां अधिक संख्या में हों ।

(३) जहां आसपास के क्षेत्र में पहले से ही विकास खण्ड चालू हों ।

इनके अलावा जिला विकास समिति की शिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री हरिप्रसाद : माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां खेती के उत्पादन में कमी है और कमी है तो कैसी है ? भूपाल सागर में तीन हजार बीघा जमीन नहर से पिलाई जाती है, चांवल की काश्त होती है तो ऐसी स्थिति में वहां विस्तार सेवा खण्ड न खोलना क्या भेदभाव नहीं है ? आपने यह बताया कि जहां खेती के साधन उपलब्ध हों वहां सेवा खण्ड खोले जाते हैं, तो यह मेरा निवेदन है कि यहां भोपाल सागर में जहां काफी पानी है, काफी खेती होती है, वहां क्यों नहीं खोला जाता ?

Page No.13

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या ये आपके संपादकीय विचार हैं ?

(हंसी)

श्री सम्पतराम : हो सकता है भोपाल सागर में ये साधन उपलब्ध हों, पर दूसरी जगह भी उपलब्ध हो सकते हैं और दोनों में कम्पेरेटिवली जहां अधिक अच्छा समझा जाता है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है।

एक माननीय सदस्य : यह सरकार कब तक निर्णय ले लेगी कि कहां कहां नये नये विकास खण्ड खोलने हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद जी पूछें वापिस। श्री हरिप्रसाद के बोलने के लिये खड़े होने पर)।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में इसको लिस्ट में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री सम्पतराम : इस साल तो वहां नहीं होगा। आपको भी तो मालूम होगा आप भी तो जिला विकास समिति के सदस्य हैं।

श्री मोहनलाल भटनागर : ज़िला विकास समिति ने जिनके लिये रिकमन्डेशन दी है उनकी पाबन्दी की जावेगी या और भी बातें उसके लिये जरूरी होंगी ?

श्री सम्पतराम : आम तौर से रिकमन्डेशन काफी है।

श्री मोहनलाल भटनागर : तो वे क्या कारण हैं जिनकी बिना पर रिकमन्डेशन के बावजूद भी दूसरी जगह ब्लॉक खोल दिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : जो आधार बताये गये हैं उनसे विपरीत सिफारिश होती है या ऐसा भी सवाल आ जाए कि दो विकास समितियों में आपस में झगड़ा हो उनकी सिफारिशें आपस में टकराती हों, तो ऐसी स्थिति में इन्डिपेन्डेन्ट निर्णय लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसा निर्णय ले लिया गया है कि विकास खण्ड उदयपुर में नहीं खोले जावें।

(हंसी)

श्री सम्पतराम : इस समय इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि ज़िला विकास समिति की सिफारिश पर खोलते हैं, तो आप किसी समय उसकी सिफारिशों के विपरीत भी खोल देते हैं ?

श्री सम्पतराम : इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री अनोपसिंह : क्या यह सही है कि जहां शर्तें पूरी हो जाती हैं वहां भी विस्तार सेवा खण्ड नहीं खोले जाते हैं ?

श्री सम्पतराम : ऐसी बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि उदयपुर क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा विस्तार सेवा खण्ड खोले गये हैं ?

Page No.14

श्री सम्पतराम : ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण।

स्वर्गीय श्री जगरूपसिंह, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, सिंचाई विभाग की टी० ए० व डी० ए० की बकाया रकम

१५०५. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ठाकुर जगरूपसिंह, असिस्टेन्ट इन्जीनियर सिंचाई विभाग की मृत्यु २६–६–५४ को उक्त पद पर कार्य करते हुए हो गई ?

(२) यदि हां, तो आपका कितना टी०ए० डी० ए० एवं वेतन सरकार में लेना बाकी है ?

(३) उक्त रकम उनके उत्तराधिकारियों को अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) ठाकुर जगरूपसिंह असिस्टेन्ट इन्जीनियर की मृत्यु २६–७–५४ को हुई थी उस समय वे प्रिविलेज लीव पर थे।

(२) उनके पुत्र श्री बलबीरसिंह ने निम्नलिखित क्लेम पेश किया।

वेतन २००४ रु०३७ नये पैसे

टी०ए०६०२ रु० ६० नये पैसे

(३) तीन सौ दो रुपया उन्नीस नये पैसे के टी० ए० के क्लेम्स रिकार्ड न होने के कारण मंजूर नहीं किये गये हैं। अवकाश काल अर्थात ७–१०–५३ से १५–१–५४ व २८–१–५४ से २५–२–५४ के वेतन के लिए, अकॉउन्टेन्ट जनरल महोदय को पेस्लिप जारी करने के लिए लिख दिया है। शेष की बाबत विभाग में जांच की जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : यह जांच कब तक हो जायगी। इतने दिनों तक कोई परिणाम नहीं आने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : जल्दी कुछ नहीं होगा। जो सक्सेशन सर्टिफिकेट उनके नाम पर दिया गया था वह डिफेक्टिव था। उनको यह अधिकार दिया गया था कि वह दरअसल में जुलाई ५४ का बिल है वह लें। जब कि ऑफिस में देखा गया तो जुलाई ५३ का था। इसलिए सबसे पहले दिक्कत तो यह है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट इस ढंग से होना चाहिए कि पहले आउटस्टैंडिंग अमाउन्ट्स को क्लेम किया जाय। तब यह हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें ७ क्लेम्स हैं और उन सब में अलग अलग बात और अलग अलग ढंग की है। उसमें यह बात बताई गई है कि बलबीरसिंह जी इसके बारे में सबूत दें। अलग अलग क्लेम्स के लिए अलग अलग तरीके से लिखा गया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार का नोटिस दिया गया कि सर्टिफिकेट में कमी है और उसको पूरा किया जाये ?

श्री भीखाभाई : जी हां। अलग अलग डेट्स की अलग अलग हैं। आइटम नं० ५ में २६–११–५७ को लिखा गया है और आइटम नम्बर २ में ८–१०–५७ को लिखा गया है।

श्री पी. के. चौधरी : चार साल बाद आप नोटिस देते हैं, इसका क्या कारण है ? डेथ ५४ में हुई और कमी पूर्ति के लिए ५८ को नोटिस देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मंत्री) : अन्डर लॉ जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट सही नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता।

श्रीभैरोंसिंह : क्या सरकार ऐसे केसेज़ में माइनर इर्रेग्युलेरिटीज़ को दूर करने के लिए कार्यवाही नहीं कर सकती ?

श्री रामकिशोर व्यास : सक्सेशन सर्टिफिकेट का कम्पलसरी प्रोविजन है और जब तक वह नहीं होगा तब तक दे नहीं सकते।

असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर, सहकारी विभाग केशवराय-पाटन (बूंदी)

१५०६ **श्री भंवरलाल शर्मा** (हिंडोली): क्या सहकारिता मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर केशवराय पाटन (ज़िला बूंदी) अपने स्थान पर नहीं रहते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि गैंडोली व सालीजी का बराणा के लोगों की करीब एक वर्ष पहले से सहकारी समिति बनाने की दरख्वास्त उन्हें दी हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि कई मर्तबा कहने पर भी उन्होंने सहकारी समितियां नहीं बनाई ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण):

(१) यह सही नहीं है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) यह सही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या यह सही है कि गत वर्ष में केशवराय पाटन में कोई भी सहकारी समिति नहीं बनाई गई ?

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि सब-इन्सपेक्टर वहां पर नहीं रहता है ?

सहकारिता मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): जब जब चैकिंग किया गया है वह वहीं हैड-क्वार्टर्स पर मिले हैं और जिन समिति के बनाने की शिकायत करते हैं वह आपके क्वेश्चन आने के बाद बना दी हैं।

श्री श्री भानसिंह : सवाल आने के बाद बना दी गई हैं वह तो आपने अच्छा जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने दूर किया तो उन्होंने अपने वर्क बताये या नहीं कि वह यह कार्य करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका काम और उनका वहां पर हाजिर रहना सब कुछ रेकॉर्ड में है।

श्री श्रीभानसिंह : एक साल के अन्दर उन्होंने कितनी समितियां बनाई। उनको जितना टार्गेट दिया गया वह उन्होंने बराबर पूरा किया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह टार्गेट तो उन्होंने पूरा किया होगा ही।

श्री मूलचन्द डागा : क्या टार्गेट है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे जबानी तो सब-इन्स्पेक्टर के टार्गेट का याद नहीं है। इन्होंने क्या सोसाइटीज़ बनाई यह मालूम नहीं। लेकिन यह इनफार्मेशन तो हमारे पास है कि यह अपने हैडक्वाटर्स पर रहते हैं और इनका काम रेग्युलर है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सवाल नम्बर २ में है सालीजी। तो साली जी के पास उन्होंने कितना दौरा किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब पहुंचे तो उन्होंने काम किया।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न के भाग (३) में पूछा गया है कि सहकारी समितियां नहीं बनाई तो क्या यह सच है कि उन्होंने कोई भी सहकारी समितियां नहीं बनाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सच नहीं है। यहां पर इस पर्टिक्यूलर सोसाइटी के बारे में पूछा है। यह बाद में बनाई।

डॉ० चन्द्रकला : इन्होंने कितनी सहकारी समितियां बनाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे जबानी याद नहीं है। आप यह पूछले कि १२ महीने में कितनी सोसाइटीज़ बनाई, यह बता सकता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस तहसील के वह इन्चार्ज हैं उसमें उन्होंने कितनी सहकारी समितियां बनाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न संख्या १५०७

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५०८

श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५०६

श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह (१५०६) इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : पहले सारे क्वेश्चेन्स को पूरा कर लें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जवाब दे देता हूं।

प्रश्न संख्या १५०६

मेवाड़ भील कॉर्प्स के कर्मचारी

१५०६ **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा : अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिया गया):—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) मेवाड़ भील कॉर्प्स के कर्मचारियों को अप्रेल, सन् ५० से पुलिस कर्मचारियों के बराबर मान लिया गया है फिर भी उन्हें

(श्री लक्ष्मण हीरात)

तनख्वाह पुलिस कर्मचारियों से कम क्यों दी जाती है ?

(२) क्या यह सच है कि मेवाड़ भील कॉर्प्स के कर्मचारियों से पुलिस कर्मचारियों के बराबर ड्यूटी ली जाती है ?

(३) यदि हां, तो वेतन में अन्तर क्यों है ?

(४) अप्रेल, सन् ५० से मेवाड़ भील कॉर्प्स के जवानों की मांग पर सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मेवाड़ भील कॉर्प्स दिनांक १–४–५० से राजस्थान आर्म्ड पुलिस में मिला ली गई है एवं उन्हें उसी दिन से आर्म्ड पुलिस स्टॉफ के वेतन एवं अन्य भत्तों की दर से वेतन व भत्ते लेने की अनुमति दे दी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(४) उन्हें १–४–५० से यूनीफाइड पे स्केल देने के आदेश हो गये हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि उनको वह वेतन और भत्ता नहीं दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले उनके सैपरेट ग्रेड्स थे और अब ऑर्डर्स इश्यू हो गये हैं और जो अमाउन्ट है वह अब दे दिया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : १–१०–५० से उनसे पुलिस का काम लिया जा रहा था और उनकी मांग चली आ रही थी, फिर भी वेतन नहीं दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : १–१०–५० का तो कोई सवाल नहीं था ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह ऑर्डर्स कब जारी हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : ५६ में ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

सड़क निर्माण, भरतपुर ।

१५१०. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भरतपुर ज़िले के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों का बनना कब आरम्भ हुआ था :—

(१) हिण्डौन से बयाना होकर फतेहपुर सीकरी

(२) उच्चैन से बन्ध बारेठा

(३) भरतपुर से रूपवास होकर धौलपुर

(४) खेरली से अर्थना होकर जयपुर रोड

(५) नदवई से नगर

(६) कामां से जुरहरा

Page No.18

(श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी)

(ख) उपर्युक्त सड़कों पर अब तक क्या काम हुआ ?

(ग) इनके अब तक पूरा होने में देर होने के क्या कारण हैं ?

(घ) उक्त देरी के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(ङ) अब उक्त सड़कों का काम कब तक पूरा होने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क)

१.	हिन्डौन से बयाना	१९५३–५४
२.	उच्चैन से बंध बारेठा	१९५३–५४
३.	भरतपुर से रूपवास होकर धौलपुर	१९५३–५४
४.	खेरली से अथर्ना होकर जयपुर रोड	१९५५–५६
५.	नॅदवई से नगर	१९५३–५४
६.	कामां से जुरहरा	१९५३–५४.

(ख) कुछ के काम सी० डी० वर्क्स को छोड़कर लगभग समाप्त हो चुके हैं और कुछ पर कुटाई, मिट्टी आदि के काम चालू हैं ।

(ग) मजदूरों व रोड रोलर्स का अभाव तथा ठेकेदारों की सुस्ती

(घ) नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(ङ) भिन्न-भिन्न समय पर समाप्त होगी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हिण्डौन से बयाना होकर फतेहपुर सीकरी का क्या सन् बताया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सन् ५३–५४ ।

श्री श्रीभानसिंह : टार्गेट डेट कौन सी है, इयर कौन सा है जिनमें कि ये रोड्स खत्म हुई हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा: भिन्न–भिन्न तारीखों में हुई हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : बता दें, मैं पूछ रहा हूं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या पूरी तरह से जांच कर ली गई है ? कुछ सड़कों में मिट्टी का काम शुरू नहीं हुआ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मिट्टी का काम कुछ में हो रहा है, जिनमें कि काम शुरू हो रहा है और अभी इनीशियल स्टेज़ में है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मिट्टी का काम सब जगह नहीं हो रहा है १० मील में कहीं–कहीं २ मील में मिट्टी का काम हो रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने नहीं कहा कि पूरा हो गया ।

एक माननीय सदस्य : क्या जिन रोड्स पर मिट्टी का काम शुरू नहीं हुआ है और कह दिया गया है कि पूरा हो गया है तो जिन ऑफिसर ने यह खबर दी है उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया गया ?

Page No.19

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी पोजीशन इस प्रकार है: The work of this road is almost complete except the first two miles. The work was delayed due to the illness of the contractor as he was suffering from T. B. and was not in a position to cope with the work. His contract has now been rescinded and the work has recently been allotted to another contractor and the road is expected to be completed by March, 1959. The particulars of this road are as below :-

Estimated cost :	Rs. 1,81,000/-
Date of start :	23. 10. 53.
Date of completion:	1959-60.
Expenditure during 1st Five Year Plan.	Rs. 1,19,000/-
Approximate expenditure during Second Plan.	Rs. 29 000/-

तो आप कहना चाहते हैं कि कुछ बातें नहीं हुई, यह मेरी समझ में नहीं आया कि कोई मूल बात बाकी रही ।

श्री सूबेदारसिंह : क्या भरतपुर से रूपबास होकर जो सड़क बनाई गई है उसके सारे प्लान को बढ़ा दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी बताता हूं The construction of this road was Sanctioned during the First FiveYear Plan at an estimated cost of Rs. 12,01,500. The portion from Dholpur to U. P. Border upto Roopbas is completed. The part 'B' from Roopbas to U. P. is 28 miles in length, out of which 8 miles are completed. The alignment for 4 miles near U. P. border is to be decided now. Mile 1 to 6 are being re-allotted to another contractor as the contract of the original contractor has been rescieded.

उसमें भी सारी कॉस्ट वगैरह दी हुई हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा इसलिए यह इनफार्मेशन दी है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उच्चैन से बन्ध बारेठा की सड़क पहले दो मील से पांच साल से उसी हालत में पड़ी हुई है । तो क्या कॉन्ट्रैक्टर पांच साल तक बीमार रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि उसको टी. बी. हो गई थी ।

माइन्स मेंगनीस खदानों का ठेका

१५११. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ज़िला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ में माइन्स मेंगनीस खदानों का ठेका दिया गया है ? यदि हां तो किन किन कम्पनियों को और किस किस गांव से मेंगनीस कार्य चल रहा है ?

(२) क्या उक्त ठेका के एरिया में किसानों के खेत आगये हैं ? यदि हां, तो किन किन गांवों के किसानों के खेत आये हैं ?

(३) क्या उपरोक्त किसानों को खेतों का मुआवज़ा सरकार ने देना तय किया है ? यदि हां, तो रकम दी जायगी या खेत के बदले में खेत दिये जायेगें अगर रकम दी जाय तो किस हिसाब से ।

(श्री हीरा भाई)

(४) मेंगनीज का काम चालू हुआ तब से कितने किसानों को आजतक मुआवज़ा दिया गया।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, उद्योग मंत्री की ओर) ;—(१) हां। निम्नलिखित पार्टियों को मेंगनीज़ के लीज़ दिये हुए हैं :—

१. मेसर्स नटवरलाल शामलाल वोरा

२. मेसर्स शामलशाह गिरधारी कम्पनी

३. सेठ कचोरीमल सुखलाल

४. सेठ फूलचन्द वियानी

५. श्री सीताराम सोढ़ानी

६. मेसर्स मेवाड़ मिनरल कं० प्राइवेट लिमिटेड।

मेगनीज का कार्य निम्नलिखित गांवों में चल रहा है :—

१. गराडिया, २. सिवनिया, ३. कालाखूंटा ४. इटाला, ५. टीमा, माउन्डी सेरिया (ताम्बेसरा) ६. गगोड़का, ७. बारीखूंटा, ८. कागन।

(२) जी हां। गराडिया, सिवानिया, कालाखूंटा, सागवा, इटाला, टीमामाउन्डी, रानडी, खेडिया, गोड्का, बारांखूंटा व सागन गांवों के किसानों के खेत उपरोक्त ठेकों के एरिया में आये हुए हैं।

(३) खेतों का मुआवज़ा सरकार को नहीं देना है। ठेकेदार अधिकतर किसानों से आपस में निजी तौर पर खेतों के मुआवज़े के संबंध में समझौता कर लिया करते हैं और आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद समझौते के अनुसार किसानों को मुआवज़ा देते हैं, इस प्रकार सरकार तक मामला आने की नौबत ही बहुत कम आती है। सरकार के पास सिर्फ़ तब ही मामला आता है जब कि ठेकेदार और किसान में समझौता नहीं हो पाता है और ऐसी सूरत में खेत की ज़मीन राजस्थान लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट १९५३ के अनुसार प्राप्त की जाकर ठेकेदार को दी जाती है और कलेक्टर द्वारा निश्चित की गई रकम किसान को दिलाई जाती है। खेत के बदले खेत दिलाने की व्यवस्था नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार का लाइसेन्स देने से पहले यह एग्रीमेंट किया जाता है कि जिनको मुआवज़ा देना है, तो मुआवज़ा देने के बाद में वह कार्यवाही शुरू करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, वे ऐसा ही करते हैं। राजीपा करके ज़मीन और रुपया लेकर ही काम शुरू करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बात सही है कि जिन दिनों खदान का काम शुरू किया गया है, उसके बाद काश्तकारों द्वारा सरकार के समक्ष मुआवज़ा न देने की शिकायत पेश करदी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास एक मामला विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मामला खदान का काम शुरू हुआ था उसके पहले आ गया था या बाद में ?

Page No.21

श्री नाथूराम मिर्धा : केवल एक ही ऐसा मामला आया है जिसमें श्री फूलचन्द बियानी को जिन्हें कि इटाला ग्राम का मेन्गेनीज़ माइनिंग का लीज़ दिया है उन्होंने कुछ खेतों की ज़मीन प्राप्त करने हेतु सरकार के पास प्रार्थना की हैं। इस केस में कार्यवाही चालू है। इस केस में मुआवज़ा देकर ज़मीन एक्वायर करने के आदेश दिये गये हैं। मुआवज़ा कलेक्टर तय करेगा।

श्री भैरोंसिंह : मुआवज़ा देने से पहले ही खदान में काम हो रहा है। कोई ऐसा स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया कि मुआवज़ा देने तक काम रोका जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काम चालू कर सकते हैं। मुआवज़ा दिलाने की कार्यवाही चालू है।

श्री भैरोंसिंह : जब तक मुआवज़ा न मिले तब तक एग्रीमेंट के अनुसार काम किस तरह से चालू कर सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास एक मामला आया है, तो कायदे के अनुसार जो मुआवज़ा होगा वह उनको दिलायेंगे। काम को रोकने से क्या लाभ है ?

श्री भैरोंसिंह : जब तक सरकार के हाथ में कोई मामला नहीं हो और कोई मामला दोनों पक्ष में हो जाता है कि काम प्रारम्भ उसके बाद में होना चाहिए, तो वह किस तरह से पहले हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना नहीं है मेरे पास कि पहले काम शुरू कर दिया गया था या राजिपा होने से बाद।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार जांच करेगी कि किन २ काश्तकारों और ठेकेदारों के बीच में समझौता हो चुका है और उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिला और किन २ का समझौता नहीं हुआ और समझौता नहीं होने पर भी काम चालू कर दिया गया और उनको मुआवज़ा दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह एश्योरेन्स बहुत लम्बा चौड़ा हो जायगा। आप जिस स्पेसिफिक मामले के लिए कहेंगें कि जांच कराई जाय और जांच कराने का मामला होगा तो करायेगें।

श्री अध्यक्ष : यह मामला पेन्डिंग है और यह केस डिसाइड नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो जांच करा लूंगा। जांज सरकार करायेगी। मेरे नोटिस में सिर्फ एक मामला है।

श्री श्रीभानसिंह : उसी एक की करा लें।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब तक यह समझौता न हो जाय कि किस किस की ज़मीन पर कब्जा करना है और कितना मुआवज़ा देना है, उसके पहले खदान खोदना क्या ट्रेस पास नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ट्रेस पास नहीं कहा जा सकता है। हमने लीज दे दिया। दोनों पक्ष समझौता कर लें तब तो अच्छी बात है और समझौता नहीं करें तब मामला सरकार के पास आ जायगा और सरकार जो कम्पेन्सेशन वाज़िब होगा वह दिला देगी।

श्री भैरोंसिंह : कम्पेन्सेशन मिलने से पहले खानों में जाकर काम कर सकते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसान झगड़ा करता रहे और कोई समझौता नहीं करे, तो काम तो चालू किया जायगा और यह मामला सरकार के पास निबटारे के लिए आयेगा और वाजिब कम्पेन्सेशन दिला देंगे । काम रोकने से तो माइनिंग का लॉस होगा ।

श्री अध्यक्ष : उनको खेत का लॉस होता है, जैसे उनको माइनिंग का लॉस होता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कम्पेन्सेशन उसी तारीख या उसी दिन से लगेगा जिस दिन से काम चालू हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : दरम्यान में क्या मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ नहीं मिला ।

श्री पी० के० चौधरी : इन सब में किसानों ने दर्ख्वास्त की थी क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसको आप देख लें अच्छी तरह ।

श्री हीरा भाई : वहां पर किसानों को कोई मुआवज़ा नहीं मिला । तहसील में जाते हैं दिन पर दिन तो वे कहते हैं कि यह प्राईवेट कम्पनी है, हमारा कोई अधिकार नहीं है । इस तरह से किसी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और न किसानों को मुआवजा मिला । दूसरी बात यह है कि ठेका देते समय किसान बेखबार होकर खेत को छोड़कर जाने वाले होते हैं और सरकार को जब यह मालूम था तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

सोप स्टोन के औद्योगिक फर्मों में रॉयल्टी की बकाया रकम

१५१२. **श्री मोगजी,** (बांसवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सोप स्टोन की खानों को लीज़ पर लेने वाले और सोप स्टोन उद्योग को चलाने वाले किन किन फर्मों पर रॉयल्टी की कितनी तथा कितने सालों की रकम अभी बकाया निकलती है ? इसको वसूल करने बाबत अब तक क्यों उचित कार्यवाही नहीं की गई है तथा इन फर्मों के विरुद्ध खनिज विभाग के नियमों, उपनियमों और कानूनों का उल्लंघन करने बाबत क्यों अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि जयपुर मिनरल डवेलपमेन्ट सिन्डीकेट, प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर मिनरल डवेलपमेंट सिन्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड और एसोशियेटेड सोप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड आदि फर्मों पर रॉयल्टी की पिछली काफी बड़ी रकम अभी तक बकाया पड़ी है और उसकी वसूली के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन फर्मों की लीज़ को खत्म करके इस उद्योग को अपने हाथों में लेकर उचित रूप से चलाने का विचार रखती है ।

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, खनिज मंत्री की ओर से) : (क) सोपस्टोन खानों को लीज़ पर लेने वाले और सोपस्टोन उद्योग को चलाने वाली निम्नांकित फर्मों के ज़िम्मे रायलटी की रकम अभी निम्नांकित समय से बकाया है :

(श्री नाथूराम मिर्धा)

	रू.	वर्ष
१. दी मेवाड इन्ड-स्ट्रियल एंड कमर्शियल सिन्डीकेट	२२८७२.६६	५०.५१
२. हरद्वारीलाल शर्मा, जयपुर	३१०८८.२६	१४.१२.४६
३. जयपुर मिनरल डवेलपमेंट सिन्डीकेट	१,८६६८७.२६	५६
४. राजस्थान मिनरल सोप स्टोन, हिन्डौन	३१६८४.६६	५४
५. मोतीलाल आर. मीन्डा, उदयपुर	६३५२.२४	५७
६. कुरबान हुसेन बोहरा	१६२२.१२	५६.५७

खनिज विभाग द्वारा रकम को वसूल करने की बराबर उचित कार्यवाही जारी है।

(ख) जयपुर मिनरल डवेलपमेंट सिन्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड के ज़िम्मे १,८६,६८७.२८ नये पैसे सन् ५६ से बकाया है जिसकी वसूली के लिये पी. डी. आर, के अनुसार कार्यवाही कि जारही है। उदयपुर मिनरल डवेलपमेंट सिन्डीकेट के जिम्मे कोई रकम इस समय बकाया नहीं है। एसोसियेटेड सोपस्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम का कोई भी लीज़ अब स्वीकृत नहीं हुआ है। बकाया का प्रश्न नहीं उठता। इस फ़र्म को अभी कुछ प्रोसप्रेक्टिव लाइसेन्स स्वीकृत हुआ है।

हां, उदयपुर व दौसा की सोपस्टोन की फैक्ट्रियों के मज़दूरों का क्रमशः एक व दो माह का वेतन बकाया बताया जाता है। रॉयल्टी न देने की अवस्था में लीज़ खत्म की जा सकती है, मज़दूरों को पेमेन्ट न करना मज़दूर और लीज होल्डर के दरमियान की बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जिन लीज़ होल्डर्स में सरकारी रकम काफी अर्से से बाकी है उनको आयन्दा लीज़ नहीं दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा :आम तौर से उनको नहीं दिये जाने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये रूल्स क्या हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : That all depends upon the reliability of the party. आम तौर से जिनमें पूरे रूपये बकाया है उनको लीज़ नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐसा नियम है कि जिनमें सरकारी रूपये बकाया हैं उनका लीज़ रीन्यू नहीं किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नियमों की जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात की जांच करवायेगी कि लीज़ नियम के विरूद्ध जिनको लीज़ दिये गये हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ?

Page No.24

श्री नाथूराम मिर्धा : नियम के विरुद्ध अगर दिया है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी ही चाहिये ।

श्री श्री भानसिंह : प्रश्न यह है कि उनके खिलाफ़ कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर करेंगे यदि यह बताया जायगा कि इनको नियम के विरुद्ध लीज दिया गया है ।

श्री श्री भानसिंह : जितनों का लीज़ रीन्यू हुआ है क्या यह सही है कि उनका रिन्यूअल नियम के अनुसार नहीं हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी तरह से मैं ऑफ हैन्ड तो नहीं कह सकता । स्पेसफिक नियम बतायेंगे तो बराबर कार्यवाही करेंगे ।

श्री मोगजी : क्या यह सही है कि इन कम्पनियों का मालिक एक हैं और उसका हैड ओफिस जयपुर में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मदद चाहूंगा । मैं समझ नहीं सका ।

श्री मोगजी : क्या यह सही है कि दौसा, भीलवाड़ा, उदयपुर तीनों कम्पनियों का मालिक एक ही है और उनका हैड ऑफिस जयपुर में है ?

श्री अध्यक्ष : इनका पूछने का मतलब यह है कि क्या इनका मालिक एक है और उसका हैड ऑफ़िस जयपुर में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं व्यक्तियों को नहीं जानता ।

श्री भैरोंसिंह : जैसा प्रश्न के (क) भाग में बताया है उसकी वसूली किस स्टेज पर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग स्टेज पर है । जिनके खिलाफ पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है उनके नाम ऊपर बताये हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्थिति यह है कि इन लोगों में सन् ५० से अलग अलग वर्षों से बकाया है फिर भी लीज़ का रिन्यूवल होता जा रहा है, सदस्यगण यह जानना चाहते हैं कि क्या यह नियम के विरुद्ध है ? इसका उत्तर इन्होंने दिया कि जांच कर रहे हैं ।

मेजर फतेसिंह, एम. एल. ए. की गिरफ्तारी

१५१३. **श्री शिवचरणदास** (मांडल): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मेजर फतेहसिंह एम. एल. ए. राजस्थान पुलिस द्वारा ७ अप्रेल सन् १९५५ को गिरफ्तार किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो किस अपराध में ? न्यायलय में उस मुकदमें का क्या निर्णय हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि मेजर फतेहसिंह ने गिरफ्तारी से पूर्व प्रान्त में पुलिस द्वारा हुए बलात्कार, घूंसखोरी और अत्याचारों की शिकायत उच्च अधिकारियों को की थी ?

(घ) यदि हां तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अगले सप्ताह में ले लिया जाय। अभी पूरी इत्तला नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह : अभी दे दीजिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पूरी जानकारी करके देंगे।

श्री भैंरोंसिंह : जितनी जानकारी है उतनी ही दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : इस सवाल का जो जवाब आया है, वह यहां पर जो सूचना दी गई थी उसके अनुसार नामुक्कमिल है, इसलिये कुछ सूचना और पूछी गई है।

श्री भैंरोंसिंह : नामुक्कमिल ही दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

श्री भैंरोंसिंह : जितना उत्तर दे सकते हैं वैसा ही दे दें।

श्री रामकिशोर व्यास : आधा आधा उत्तर नहीं हो सकता।

श्री भैंरोंसिंह : आधा ही उत्तर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

प्रश्न संख्या १५१४

श्री विजेन्द्रपाल :

(अनुपस्थित)

श्री भानसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १४७२ का उत्तर देना चाहिये, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने हमको सूचित किया, इस सदन में जो भाषण किया गया उसके बाद इस केस को फिर से रिव्यू किया गया। १८ तारीख को यहां पर भाषण देते है और २० तारीख को रिव्यू किया जाता है, इसलिए सदन चाहता है कि कहां तक लेजिटिमेट एक्शन गवर्नमेन्ट ने लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यहां पर जो बातें कही गई हैं उन्ही की जानकारी के लिये फिर से पूछा गया है।

श्री मोहरसिंह : अगले सप्ताह असेम्बली बंद हो गई, तो फिर उत्तर कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

ए. सी. सी. कम्पनी, लाखेरी

१५१५. श्री भंवरलाल शर्मा : (हिन्डोली) : क्या मंत्री, खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ए. सी.सी. कम्पनी लाखेरी के लिए किसी निश्चित क्षेत्र का पत्थर रिजर्व किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कहां से कहां तक और कितना ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी गांवों के रहने वाले किसानों को मकान कुंआ आदि के लिये पत्थर लेने से मना करती है ?

(घ) क्या यह सही है कि कम्पनी सस्ता और सुविधा से प्राप्त होने वाला ऊपर का पत्थर निकाल लेती है और ज्यादा गहरा जाने

Page No.26

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पर छोड़ देती है तथा इससे सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि रहती है ?

(ङ) क्या सरकार ने इस संबन्ध में निगरानी की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा खनिज मंत्री की ओर से) (क) जी हां।

(ख) बूंदी में १०१ वर्ग मील का क्षेत्र जिसका विवरण लीज़ ६ में दर्ज है।

(ग) जी नहीं।

(घ) डिपोज़िट की उपयोगिता की सुविधानुसार लीज एरिया में कार्य करने के लिये स्वतंत्र है। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ङ) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से फेक्ट्रीज एवं मेजर व माइनर मिनरल के नियम प्रकाशित हैं उनके अन्तर्गत कार्य संपादन होता है। नियत राज्य पदाधिकारियों द्वारा समयानुसार निरीक्षण होने की व्यवस्था उपलब्ध है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या यह सही है कि सीमेंट कम्पनी लाखेरी ऊपर ऊपर का सुविधा का पत्थर दे देती हैं और बाकी का दबा रखती है ताकि जब महंगाई हो जावे तब दे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है।

श्री भंवरलाल 'कालाबादल' : क्या इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी शिकायत होगी तो जांच करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : शिकायत करने के लिए क्या पत्थर आयेंगे। यहां पर कहने पर भी क्या सरकार को जांच नहीं करानी चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकारी इन्स्पेक्टर्स की तरफ से कोई शिकायत नहीं है कि इस प्रकार की गड़बड़ हो रही है। आपको नौलेज हो तो बताना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : जो बात सदन में कही जाती है उसके आधार पर क्या आप कार्यवाही नहीं करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार ने कई दफा देखा कि इस प्रकार की कार्यवाही होती है वह फालतू जाती है क्योंकि यहां कह देते हैं, लेकिन प्रूव करने की बाद में कोशिश नहीं करते।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं शिकायत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : किस जगह की शिकायत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक स्पेसिफिक शिकायत करके उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक क्या किया जा सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका निर्णय चाहूंगा कि सदन में जो बात कही जाती है वह फालतू कही जाती है, ऐसा कहना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष : वे तो जांच के लिये कहते हैं कि जो जांच की जाती है वह फालतू जाती है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं आपका निर्णय चाहता हूं। I seek your protection against such inroads.

यह 'फालतू' शब्द पार्लियामेन्ट्री है क्या, इस पर निर्णय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने खुद की जांच के लिये कहा है कि फालतू हो जाती है।

श्री श्रीभानसिंह : मंत्री जी ने यह निवेदन किया कि सदन में बहुत सी फालतू बातें कही जाती हैं, मैं यह चाहता हूं....

श्री नाथुराम मिर्धा : आज तो मैंने इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है और आयन्दा काफी सोचकर प्रयोग करूंगा।

पुलिस थाना सुजानगढ़

१५१६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सुजानगढ़ पुलिस थाने में पिछले ६ महीनों के अंदर सुजानगढ़ के एक व्यक्ति द्वारा २०,००० रु. अथवा इससे बड़ी मालियत की चोरी होने की रिपोर्ट की थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस ने इस मुकद्दमे की जांच करली है ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां। २४२६१ रुपये की मालियत की चोरी की शिकायत ३०-१-५८ को की गई थी।

(ख) जी हां, तफतीश पूर्ण हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरी सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री सूबेदार सिंह।

श्री अनपो सिंह : मैंने १५१७ बोला है।

श्री अध्यक्ष : ऑथोरिटी कहां है ?

श्री अनोप सिंह : ऑथोरिटी ? I have submitted that.

श्री अध्यक्ष : एक ऑथोरिटी है।

श्री अपोन सिंह : नहीं साहब।

श्री नाथुराम मिर्धा : मैं जवाब दे देता हूं।

फलौदी चाड़ी सड़क

१५१७. **श्री अनोपसिंह,** (श्री केसरी सिंह की अनुपस्थिति में): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि फलौदी कस्बे से चाड़ी ग्राम तक की सड़क की हालत खराब है ?

(ख) अगर हां, तो सरकार की उस सड़क की मरम्मत कब तक करवाने की योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) (क) व (ख) : हालत सामान्य है। आवश्यक मरम्मत समय समय पर कराई जा रही है।

श्री अनोप सिंह : हालत सामान्य है, इससे क्या मतलब है ? वह वाकई खराब हालत में है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सामान्य का मतलब है, न ज्यादा अच्छी और न ज्यादा खराब ।

(हंसी)

श्री अनोप सिंह : क्या आपने कभी जाकर देखी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन दिनों में नहीं देखी, पुराने जमाने में देखी है ।

श्री अनोप सिंह : जब हालत अच्छी होगी, अब खराब है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस विभाग की रिपोर्ट है कि हालत सामान्य है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आपने देखा है कि उस सड़क की मरम्मत कब हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर पर हर साल होती है ।

रावराजा श्री सरदार सिंह : सामान्य का मतलब क्या है ? आपने सड़क नहीं देखी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे देखने से सामान्य नहीं है, इस विभाग के कई ऑफिसर देखते हैं ।

रावराजा श्री सरदार सिंह : आपके देखने से ज्यादा वेट पड़ता है ।

एक माननीय सदस्य : क्या इस सड़क की मरम्मत करने के बारे में कोई योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करूं कि आये साल सड़क की मरम्मत होती रहती है । हमारे गैंग मैन होते हैं, वे भूहरम डालते रहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : इस सड़क की हालत बहुत खराब है, एक एक फीट के गड्डे हैं और माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सामान्य हालत है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे मील आप बता दीजिये, मैं ठीक करा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह ।

अजायब घर, जयपुर

१५१८. श्री सूबेदार सिंह (बाड़ी) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर रामनिवास बाग स्थित म्युज़ियम की शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) सरकारी काम-काज में हफ्तेवार छुट्टी का दिन एक ही क्यों नहीं निश्चय किया गया है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मंत्री की ओर से) : (१) जी हां, क्योंकि रविवार को म्युज़ियम नहीं बन्द किया जा सकता । भारत में कोई भी म्युज़ियम रविवार को बन्द नहीं होते हैं ।

(२) क्योंकि इससे सरकारी नौकरों को सार्वजनिक संस्था देखने का अवसर नहीं रहता ।

डॉ. **चन्द्रकला** : क्या सरकार सोचती है कि म्युज़ियम सातों दिन खुला रहे और ऐसे स्टाफ की व्यवस्था करे, जो उसकी देख रेख करे।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : विचार करेंगे।

प्रश्न संख्या १५१६

श्री **अध्यक्ष** : श्री आबिद अली।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५२०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दरसिंह :

स्लेट पत्थर की खानें

१५२१. श्री चन्दर सिंह यादव (बहरोड़): क्या मन्त्री, खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या तहसील बहरोड़ की महत्ता-वास पहाड़ी में स्लेट पत्थर की खानें हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसका ठेका सरकार ने किसी को दे रखा है ?

(ग) यदि हां, तो कब, किसको तथा कितने दिन के लिए कितने में दिया था ?

(घ) खान का आरम्भ से सन् १६५८ तक किस-किस को ठेका दिया गया कितने-कितने समय का कितना-कितना रुपयों में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा खनिज विभाग की ओर से): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) १-१-५२ से श्री काशीराम वैश्य।

(घ) १. १. ५२ से २० वर्ष के लिये। वार्षिक द्रव्य निम्न प्रकार नियत किया गया :

(१) प्रथम १० वर्ष १००० रु० वार्षिक।

(२) द्वितीय १० वर्ष १५०० रु० वार्षिक।

(ङ) उत्तर (ग) और (घ) भाग में दिया गया है।

प्रश्न संख्या १५२२

श्री सहदेव।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५२३

श्री डूंगरसीदास।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह

बस सर्विस का किराया

१५२४. श्री रामकरणसिंह (कोट-पूतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर से अलवर और मनोहरपुर से अलवर कितनी कितनी दूर हैं और उनका बसों से क्या क्या किराया लगता है ?

(श्री रामकरणसिंह)

(ख) क्या यह सही है कि मनोहरपुर से अलवर और जयपुर से अलवर का एक ही किराया लगता है तथा शाहपुरा, मनोहरपुर से नीम का थाना अलवर आदि का भी यह ही हाल है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जयपुर से अलवर ८९ मील है और मनोहरपुर से अलवर ५८ मील है। जयपुर से अलवर का किराया २ रु० १२ आ० है जब कि मनोहरपुर से अलवर का किराया २ रु० ७ आ० है।

(ख) यह सही नहीं है।

प्रश्न संख्या १५२५

श्री अध्यक्ष : श्री बिजेन्द्रपालसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री तेजमल बापना

भीलवाड़ा कोटडी सड़क

१५२६. श्री तेजमल बापना (बनेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भीलवाड़ा ज़िले की तहसीलों को ज़िला हैडक्वार्टर से सड़क द्वारा मिला दिया गया है ?

(२) यदि नहीं, तो कौनसी तहसील बकाया है तथा वह ज़िला हैडक्वार्टर से कितनी मील दूर है और कब तक इस सड़क को बनाने की योजना है ?

(३) क्या भीलवाड़ा कोटड़ी सड़क इस साल बनाने की सरकार की योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा : (१) जी नहीं।

(२) गुलाबपुरा, आसींद, जहाजपुर कोटड़ी तथा रायपुर। दूरी क्रमानुसार ४२, ३५, ५५, १८ तथा ४८ मील है। प्रथम तीन तहसील सड़कों पर कार्य चालू है। बाकी १९६० : ६१ में आरम्भ किये जाने की योजना है।

(३) ऊपर उत्तर दिया जा चुका है।

श्री तेजमल बापना : योजना कब बन गई, साहब ?

श्री नाथूराम मिर्धा : योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनी। इसको बने हुए करीब दो साल पूरे हो गये, तीसरा साल चल रहा है।

श्री तेजमल बापना : पांच साल से कार्यवाही चल रही है। आसींद को ज़िला हैडक्वार्टर से मिला दिया जाय, लेकिन अभी तक योजना पूरी नहीं हुई है। पहली योजना में नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सब अर्थ की कमी है।

प्रश्न संख्या १५२७

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणया

Page No.31

मोटर स्टेन्ड, थाना अजीतगढ़ के पास घटित चोरी

१५२८. **श्री लादूराम सुलाणियां** (दूदू): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अजीतगढ़ थाना में १७-३-५८ को सुबह ६ बजे मोटर स्टेन्ड पर किसी व्यक्ति का थैला उड़ाने की घटना हुई ?

(ख) यदि हाँ, तो उस थैले में क्या था और उड़ाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवादी की ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी हां। इस प्रकार की एक सूचना थाना थोई में अंकित कराई गई।

(ख) थैले में किताबें होना बताया गया। मुकदमा अभी जेर तफतीश है और अभी तक अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उसके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं हुए।

श्री मूलचन्द डागा: क्या कोई ऐसी किताबें थीं जो जब्तशुदा थी ?

श्री रामकिशोर व्यास: जी नहीं, मामूली थीं।

डॉ० चन्द्रकला: किस व्यक्ति ने थैला उठाया, इसका पता लगाया ?

श्री रामकिशोर व्यास: यह मालूम है।

श्री अध्यक्ष: कुमारी शन्नोदेवी।

माध्यमिक व प्राथमिक पाठशालाओं के हरीजन कर्मचारियों का वेतन

१५२९. **कुमारी शन्नोदेवी** (सुजानगढ़) क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों में हरिजन कर्मचारियों (भंगी) को क्या वेतन दिया जाता है ?

(२) वह वेतन किस नियम के अन्तर्गत दिया जाता है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, : शिक्षा मंत्री की ओर से) (१) २५० से कम विद्यार्थियों वाली मिडिल स्कूलों के लिए १० रु० मासिक का एक पार्ट टाइम (भंगी) स्वीकृति है, और २५० से अधिक विद्यार्थियों वाली मिडिल स्कूलों के लिए पूरी समय का अर्थात् २५-१-४० के ग्रेड का भंगी स्वीकृत है।

(२) उपरोक्त वेतन राजाज्ञा न० डी० ४८३ आइ. डी. आर. एफ. ११, ७३४, ऐज्यू (१) ५५ ता० ७–५६ के अन्तर्गत दिया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी: क्या यह सही है

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !

कुमारी शन्नोदेवी: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां दो रुपये मेहतर को दिये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: कहीं दो रुपये दिये जाते हैं,

Page No.32

कुमारी शन्नोदेवी : हां ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे दिये जाने नहीं चाहिए । नियम के अनुसार २५० से कम विद्यार्थियों वाली मिडिल स्कूलों के लिए १० रु० का और १५० से अधिक जिस मिडिल में हैं, वहां एक पूरे समय का भंगी स्वीकृति हैं । इन नियमों को कोई तोड़ता है और आप उसे नोटिस में लायेंगी, तो कार्यवाही की जायगी ।

कुमारी शन्नोदेवी : मैं बताना चाहती हूं कि चूरू में अधिकांश स्कूल हैं जहां दो ढाई रुपये मेहतर को दिये जाते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में आपने एक ज़िले की सूचना दी है, उसकी जानकारी करवा लेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । श्री लादूराम ।

श्री लादूराम : क्या वे पानी पिलाने का काम करते हैं ? जो दो और ढाई रुपये पाते हैं, वे क्या पानी पिलाने का काम करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी भरना कोई हरिजन का काम नहीं है ।

श्री लादूराम : जी, क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी भरने का काम हरिजन नहीं करेंगे ?

श्री लादूराम : क्यों नहीं करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सफाई का जिम्मा दिया हुआ है । अगर उन्हें एक्स्ट्रा काम करने को देंगे तो वे एक्स्ट्रा तनख्वाह मांगेंगे ।

श्री लादूराम : जो इतना गन्दा काम करते हैं, उनको दो ढाई रुपया दिया जाता है, क्या यह जुल्म नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो ढाई रुपया नहीं दिया जाना चाहिए, नियम के अनुसार । अगर कहीं दिया जाता है तो गलत है और उसको ठीक करेंगे ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अगर पानी पिलाने का काम कोई हरिजन स्वेच्छा से करे तो क्या उसे मना किया जायगा, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर इस ड्यूटी के लिये लगाया जाय तो यह काम करना पड़ेगा ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सरकार की यह इन्टेन्शन है कि हरिजनों को पानी पिलाने के काम पर न लगाया जाय, सफाई के काम में लगाया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है ।

श्री पी० के चौधरी : आपने ऐसा फर्माया कि पानी पिलाने का काम नहीं दिया जायेगा, सफ़ाई के काम में लगाया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सफाई के लिए उसकी आवश्यकता है, वह उसकी ड्यूटी है, उसे करना चाहिए । अगर कहीं पानी पिलाने लगे, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी हो जायगी और सरकार को तनख्वाह देनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री लादूराम : नियम के अनुसार उनका वेतन कितना है, इसका उत्तर नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मिल चुका है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

राज्य यातायात अधिकारी

१५३०. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) Will the Minister-in-charge of Transport be pleased to state :

(a) Is it a fact that an Hon'ble Minister of the Rajasthan Cabinet is the chairman of the State Transport Authority ?

(b) Is it a fact that in no other State any member of the Cabinet is the chairman of the S. T. A. ?

(c) What other appellate authorities are there to hear appeals from aggrieved parties ?

यातायात मंत्री (श्री नथूराम मिर्धा) :

(a) Yes.

(b) It is not a fact.

(c) So for as Transport Department is concerned the Appellate Tribunal of the S. T. A. hears appeals against the decisions of the R. T. A under Section 64 of the Motor Vehicles Act, 1939.

श्री पी. के. चौधरी : Who is the Chairman of the State Transport Authority ?

श्री नाथूराम मिर्धा : In Rajasthan ?

श्री पी. के. चौधरी : Yes.

श्री नाथूराम मिर्धा : Minister for Transport.

श्री पी. के. चौधरी : How do you say "it is not a fact" in reply to part 'A' ?

श्री अध्यक्ष : That is for part 'B'.

श्री पी. के. चौधरी : What was reply of part 'A' ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I said 'Yes'.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर एस. टी. ए. के चेयरमेन के खिलाफ करप्शन के चार्ज लगाये जायं, तो मिनिस्टर इन्चार्ज उस पर किस प्रकार कार्यवाही करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसे तो आप हाई कोर्ट के खिलाफ भी चार्ज लगा दे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप तो एग्ज़ीक्युटिव ऑथोरिटी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्ज़ीक्युटिव ऑथोरिटी नहीं, जुडिशियल ऑथोरिटी ।

श्री पी. के. चौधरी : What is the provisions for appeal against the decisions of the S. T. A. ?

क्या एस. टी. ए. के डिसीजन के खिलाफ कोई ऑथोरिटी अपेलेट की है ?

Page No.34

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई अपील नहीं है, that is the last court.

श्री श्रीमानसिंह : Because the king can do no wrong.

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या।

श्री पी० के० चौधरी : Because the king can do no wrong.

श्री नाथूराम मिर्धा : It is the Indian Parliament which has enacted the law.

एक माननीय सदस्य : But writ petitions can be filed against these decisions.

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes, you have a right to file petitions.

श्री अध्यक्ष : And many are filed.

श्री आबिद अली : When writ petitions are filed against it, is it a judicial court or judicial proceedings?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, बिल्कुल।

श्री आबिद अली : आपने फरमाया कि जो कुछ निर्णय हो जुडिशियल कोर्ट की डेफिनिशन में आता है तो जुडिशियल कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिट फाइल की जाती, फिर यह फाइनल ऑथेरिटी कैसे हुई?

श्री अध्यक्ष : It is a quasi-judicial body?

श्री पी. के. चौधरी : The reply to part (b) was not audible. Part (b).

श्री अध्यक्ष : आपने (ए) भी नहीं सुना, (बी) भी नहीं सुना और अब कहेंगे कि (सी) का भी उत्तर नहीं सुना।

(विराम)

६.१२ म. पू.

बांसवाड़ा जिले में अकाल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

एक स्थगन प्रस्ताव आया है जो इस प्रकार है :

मैं अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर वाद-विवाद करने के आशय से सभा के कार्य-स्थगन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

'निवेदन है कि सम्पूर्ण बांसवाड़ा ज़िले में भयंकर रूप से अकाल पड़ गया है तथा सम्पूर्ण ज़िले को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। लोग भूखों मर रहे हैं और मध्य प्रदेश, गुजरात की ओर भागे जा रहे हैं।

मैं इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वाद-विवाद करना चाहता हूं। प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।'

मोगजी भाई, वि० संख्या ६६

प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आया भुखमरी से कोई मृत्यु हुई हो, व स्थिति अन्य रूप से इतनी गम्भीर हो गई है। अत: इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री महोदय २३–४–५८ को एक बयान देंगे।

Page No.35

९.१३ म. पू.

राजस्थान नगरपालिका विधेयक १९५७

(अग्रेतर खण्डश: विचार–विमर्श)

खण्ड ३ (३२)

अब राजस्थान म्युनिसिपेलिटी बिल पर बहस होगी। क्लॉज ३ का सब-क्लॉज (३२)। एक संशोधन था जो श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जवाब दूं ?

श्री अध्यक्ष : हां, जवाब दे दीजिये।

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब दे रहे हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कोई और साहब बोलना चाहें तो मुझे एतराज़ नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : बीकानेरसे आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें लिखा है कि : "'tax' includes any toll, rate, cess, fee or other impost leviable under this Act."

श्री श्रीभानसिंह : Is that the whip speaking ?

श्री सोहन लाल भटनागर : What has whip got to do here ?

माननीय अध्यक्ष, मुझे यह निवेदन करना है कि मैं यह समझ रहा था कि टोल टैक्स लगेगा तो विहिकल्स आयेंगी, एनिमल्स आयेंगे उन पर लगेगा पर इसका एग्ज़ेम्शन दिया है, उसमें यह नहीं है। मुझे आशा थी कि मोटर विहिकल्स पर टोल टेक्स लगे, तो म्युनिसिपैलिटीज़ को आमदनी होगी पर इसमें मोटर और एंजिन से चलने वाली मशीनों को एग्ज़ेम्प्ट किया गया है, सिर्फ दूसरी गाड़ियों पर लागू होगा। जहां हम कच्चे मकानों को मुस्तस्ना कर रहे थे। पर टोल के अन्दर अगर किसान गाड़ियां लायेगा उन पर यह टोल लगेगा, जानवर वगैरह लाता है, तो यहां कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसा टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए अगर मोटर विहिकल्स पर टैक्स लगता, तो ठीक था इससे म्युनिसिपैलिटियों को आमदनी तो ठीक होती। गाड़ियों पर जो टैक्स लगेगा, उनका खास तौर से असर किसानों पर पड़ेगा, इसलिए इसमें से टोल शब्द को निकाल दिया जाय, तो ठीक रहेगा।

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : माननीय अध्यक्ष, टोल टैक्स हटाने के सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले हमें देखना है कि इस टोल टैक्स का असर किस पर पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी एरिया के बाहर रहने वाले किसानों पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि यह जानवरों और बैलगाड़ियों आदि पर लगेगा इससे साफ जाहिर है कि टोल टैक्स फेअर है, उससे टोल टैक्स देने वाले उन किसानों को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में जिस टैक्स के वसूल करने से जिन लोगों से कि वह टैक्स वसूल किया जाता है, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता है, तो उनसे वह टैक्स लेने का किसी को अधिकार नहीं है, इस प्रकार के लोगों से इस तरह का टैक्स लिया जाना अनुचित है। माननीय सदस्यों ने इस

(श्री रामकरणसिंह)

बारे में विचार प्रकट किये कि अगर यह टोल टैक्स नहीं लिया तो, कैसे म्युनिसिपैलिटियां चलेंगी, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से शहरों में चीजें चलाई जाती हैं, कोई चीज वहां बनाई जाती है। तो क्या वह बाहर रहने वाले लोगों के लिए चलाई जाती है ? अगर म्युनिसिपैलिटी एरिया में कोई चीज़ बनती है तो वह देहातों से पैसा आकर बनती है और उस चीज़ के बनने से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसी तरह हर पहलू पर सोचा जाय मिलिट्री में नौजवानों की जरूरत है, तो देहातों से नौजवान लिये जाते हैं, पुलिस में जरूरत हुई तो देहातों से लिये हैं। जिस व्यक्ति से टैक्स वसूल किया जा रहा है उसको उस टैक्स के पैसे से कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो वह टोल टैक्स उस व्यक्ति से नहीं लिया जाना चाहिए। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टोल टैक्स नही लगेगा, तो म्युनिसिपैलिटियां कैसे चलेंगी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पैसा बाहर वालों से वसूल करते हैं, उनसे उनको कोई लाभ नहीं पहुंचता और उनकी कोई जायज़ मांगें होती हैं उनको भी ठुकराया जाता है और उन पर टैक्सेज़ लगाये जाते हैं, वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें किसी प्रकार की जागृति नहीं, आज तक किसी भी देहात एरिया में आन्दोलन नहीं हुआ जब कि शहरों में कहीं टैक्स लगाया जाता है तो बड़े बड़े जलूस निकाले जाते हैं, हड़तालें की जाती हैं, आन्दोलन किये जाते हैं। तो क्या शोभा देता है कि जो चुपचाप बैठे हुए किसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती, जो मूक रहते हैं उन पर टैक्स पर टैक्स लगाये जाते हैं और ऐसा इन्साफ किया जाता है, कहा जाता है कि अगर टोल टैक्स नहीं लगायेंगे, तो म्युनिसिपैलिटी का खर्चा नहीं चलेगा। गरीब किसानों पर टोल टैक्स लगा कर शहरों को आबाद किया जाय और देहातों को बर्बाद किया जाय, यह कोई अच्छी नीति नहीं हैं। इसलिए मैं टोल टैक्स का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और यह कह देना चाहता हूं कि अगर इसको नहीं हटाया गया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि देहातों में भी आन्दोलन हो सकते हैं।

श्री किशनसिंह (लछमनगढ़) : यह टोल टैक्स को हटाने के बारे में जो संशोधन श्री मुरलीधर जी ने रखा हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। टोल टैक्स के बारे में मेरा अनुभव है। कोई गरीब किसान गाड़ी लायेगा, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, यदि वह लकड़ी लायेगा तो उससे टैक्स लिया जायगा, माथे पर, यदि वह भारोटी लायेगा तो घुसते ही उससे टैक्स लिया जायगा। इस तरह का टैक्स लगाया गया था सीकर में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर में उसका विरोध किया गया, आखिर हम लोगों को जेल जाना पड़ा। और बाद में जेलों में जाने के बाद वह टैक्स माफ कर दिया गया। तो इस तरह का टैक्स लगाया गया, तो इसका सीधा असर गरीब किसानों पर पड़ेगा और गरीब इसका विरोध करेंगे। उस विरोध के फलस्वरूप उन लोगों को दबा दिया जायगा या वे सफल होंगे यह मैं नहीं कह सकता, पर इस चीज़ का विरोध किया जायगा। इस टैक्स का असर गरीबों पर पड़ता है, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाय ! इन्हीं चन्द शब्दों के साथ श्री मुरलीधर जी ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं

(श्री किशनसिंह)

समर्थन करता हूं और यही कहूंगा कि मन्त्री महोदय यह टैक्स नहीं लगायें ।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : माननीय अध्यक्ष, मैं जब जब भी इस सदन में निवेदन करता हूं तो हर बार सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता हूं कि आज हमारे इस कल्याणकारी राज्य में हमें और खास तौरसे देहातों को बताया गया था कि जिस भुखमरी से तुम गुज़र रहे हो, अगर इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर देंगे तो भुखमरी दूर हो जायगी, तुम्हारे मकान, उनकी भीतें सब सोने की हो जायेंगी, पर अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी देहातों की गरीब जनता का हमारी सरकार उसी तरह शोषण कर रही है जैसा कि आज से १५ साल पहले शोषण किया जा रहा था । मुझे और भी ज्यादा खेद इस बात का होता है अध्यक्ष महोदय, अब हमारे मंत्री मंडल के सामने यह चीज़ रखी जाती है तो बड़े मखौल और मज़ाक के तरीके से लेते हैं और उड़ा देते हैं । होना तो यह चाहिए कि हमारी इन बातों और सुझावों को सुन कर घर पर विचार करें और आत्मा में ग्रहण करें और उसके अनुसार संशोधन करें और सुधार करें, लेकिन वे इन बातों पर ध्यान नहीं देते । क्योंकि उनको मिल गये वे बंगले और कुर्सियें, उनको मिल गये पंखे और मोटर गाड़ियें । मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले क्या स्टेटस था आप, उसको वापिस याद करिये । आज आपके उस स्टेन्डर्ड और देहातों के स्टेन्डर्ड में बहुत अन्तर है । आज हम ऐश और आराम में बैठे हुए हैं । जिस समय हम किसी प्रकार के संशोधन और सुझाव पेश करते हैं, तो हंसी मज़ाक उड़ाई जाती है । जब प्रश्न करते हैं तो उनको मज़ाक में टाल देते हैं । मुझे दुःख है कि आज जो भी सुझाव हमारे मन्त्रियों के सामने आते हैं, मैं तो अनुभव कर चुका हूं कि वे उन पर ध्यान नहीं देते । होना तो यह चाहिए कि उन सुझावों को आप घर पर जाकर देखें । आप घर पर ऐशो आराम में मस्त रहते हैं । यह कल्याणकारी राज्य का निर्माण है ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं, कल्याणकारी राज्य कायम कर रहे हैं और कल्याणकारी राज्य की ओर आगे प्रगति करना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक ग्रामीण जनता पर जिस तरह से आज भी शोषण करते हैं, यह हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलती है और हमारे सदन के सामने प्रतिक्रिया होती है, मगर हमारी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि जितना भी पैसा आज शहरों में खर्च किया जाता है, उतना ग्रामीण जनता पर खर्च नहीं किया जाता । मैं एक बात ले कर सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । स्कूलों और शिक्षा को लीजिये । शहरों में कालेजेज खोले जाते हैं और दूसरी भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन आज ग्रामीण जनता के लिये कोई साधन नहीं है शिक्षा के लिये और जिस समय ग्रामीण आवाज उठाते हैं, तो कहते हैं कि आधा रुपया दो और फिर मकान दो । लेकिन शहरों में इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती है । जिस समय उन ग्रामीणों के संबन्ध में कोई प्रश्न उठाते हैं, तो मजाक और हंसी में उड़ा देते हैं । आज उन ग्रामीणों के लिये इलाज की कोई अच्छी

Page No.38

(श्री शिवचरणदास)

व्यवस्था नहीं है और न उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाता है।

अब आप यातायात के साधनों को लीजिये। उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता और उनके जीवन निर्वाह के लिये कृषि और खेती होती हैं, उसके सुधार को तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मगर मैं यह कहूंगा कि जब सरकार उत्तर देगी तो यह कहेगी कि हम बांध बनाते हैं और तकावी देते हैं। मगर मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि इसके संबन्ध में कई दफे यहां पर चर्चाए हो चुकी हैं कि किस तरह से तकावी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : यह तो म्युनिसिपल टैक्स का प्रश्न है।

श्री शिवचरणदास : यह तो मुझे मालूम है कि यह म्युनिसिपल टैक्स का प्रश्न है। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि ये टैक्स क्यों बन्द होने चाहिये ? उनकी विगत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अभी मैं यह निवेदन कर रहा था कि खेती पर आज हमारी सरकार जहां उनको योग देने का प्रश्न है कुछ करना नहीं चाहती। वह यह कह सकती है कि हमने बड़े बड़े बांध बना दिये हैं, लेकिन उसकी दूसरी ही प्रतिक्रिया होती है, वह यह कि बांध जहां नहीं होते वहां पर लोग कूंओं से खेती करते हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर : यह बहुत लंबा है....

श्री शिवचरणदास : यह लम्बी तो होगी ही। आप यहां पर बैठे हैं और हवा खा रहे हैं, मगर उनको जाकर पूछें कि उनकी क्या हालत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि जिनके पास कूए थे और उनके कूए बांध बने उसमें चले गये उनका तसफिया आज भी कुर्सियों पर बैठे हुए बाबू लोगों की खुशामद करते हुए भी नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी परसों के रोज मैंने सदन के सामने एक प्रश्न पूछा था कि मेजा बांध के नीचे भूमि वितरण किया जाता है, वह कीमत पर दी जाने लगी है, तो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि ५० प्रतिशत भूमि का वितरण करते हैं और ५० प्रतिशत कीमत न देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज भी भूमि हीन किसान जिस तरफ अपनी प्रगति के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो सरकार को तरफ से कोई मौका नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि टोल टैक्स को लेकर हमारी सरकार जो टैक्स लगाएगी उसका असर सीधा ग्रामीण जनता पर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीज़ जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने निवेदन किया कि कोई भी चीज़ कोई काश्तकार ले जाएगा या लाएगा उस पर यह टोल टैक्स लगेगा। अध्यक्ष महोदय, यह चुंगी कर है और वह भी हमारी जनता पर लगेगा और उसी से वसूल होता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह टैक्स हमारी ग्रामीण जनता पर नहीं पड़ना चाहिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इस पर पूरा ध्यान देंगे और गरीब किसानों को टैक्स से बचावेंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका समर्थन करता हूं। आज यह होना चाहिये कि घरू काम करने पर गाड़ी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। इससे यह होगा कि किसानों को नाज और दूसरी चीजें जो शहर से लाने के लिए गाड़ी में लाना पड़ता है उस पर भी उनको टैक्स देना होगा। किसान लोग खास कर अनाज खरीदते हैं और खाने के लिये ले जाते हैं। अगर यह टैक्स रहेगा इसी तरह से, तो इसका मतलब यह होगा कि अपने घरू खर्च के लिये भी कोई चीज़ वे लोग ले जावेंगे, तो उस पर भी टैक्स लिया जावेगा। उन पर जिस प्रकार से पहले टैक्स लगे हुए हैं, उसी प्रकार से यह भी टैक्स उन पर अलग से लगेगा। इसलिए ऐसी हालत में यह कर लगाया जाना बिल्कुल अनुचित है और यह कर नही लगाया जाना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि तीन तीन मील तक किसान लोग अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और गांवों के डिपों से अनाज आदि लाते हैं और अगर उन पर यह टैक्स लगता है, तो यह असुविधा की बात है। अगर ऐसा होगा, तो किसानों के घरू काम के लिये जो सामान लाया जाएगा उस पर भी टैक्स लग जाएगा। जब घरू काम के लिये कोई गाड़ी लाता है, तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये। अब सवाल यह रहता है कि म्युनिसिपेलिटी को कैसे चलावें। म्युनिसिपेलिटी को चलाने के लिये कर की आवश्यकता है, आज यह तो मैं कैसे मान लूं कि इसकी आवश्यकता नहीं। उनकी योग्यता है और वे कार्य करते जा रहे हैं। बाकी योग्यता और दिलचस्पी तथा तन मन से काम करें, तो म्युनिसिपेलिटी ठीक तरह से चलेगी नहीं तो गिर जावेगी, जिम्मेदारी समाप्त हो जावेगी। एक तरफ़ तो सरकार अपनी सचाई रख देती है और दूसरी तरफ गांव वालों से टैक्स लगाकर डकैती बना लेती है। अगर इस प्रकार से सरकार बनाती जाय कि ज्यादा मालियत है, वह तो अपने हाथ में ले और शहर वालों के साथ, म्युनिसिपैलिटियों के साथ धोखा डालना रख दे, यह कहां तक उचित है। स्वतन्त्रता का जमाना है, निर्माण के कार्य में भाग लेना चाहते हैं, उनको म्युनिसिपैलिटियों को टैक्सों का भाग मिलना चाहिए। सिनेमा और बड़ी २ चीजों पर जिन पर टैक्स ले सकते थे, उनको तो छोड़ दिया और जो गांव के किसान हैं अपने घर के कार्य के लिए गाड़ी में अनाज ले जाते हैं, दूसरी चीजें ले जाते हैं, उन पर टैक्स लगा देते हैं। यह अनुचित है और नहीं लगाया जाय। यदि लगाया ही जाय, तो उसमें परिवर्तन करके लगाया जाय कि यदि किसान अपने घर के कार्य के लिए अनाज वगैरा दूसरी चीजें लावे ले जावेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें किसानों के लिए खुलासा कर देना चाहिए। मैं यह नही कहना चाहता कि टैक्स बन्द कर दिया जाय, लेकिन इसमें खुलासा लिख दिया जाय और अगर नहीं लिखते हैं, तो मैं इसका विरोध करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन टैक्सों में परिवर्तन कर दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तो बोलता ही नहीं हूं, मैं दो-चार मिनिट ही बोलूंगा।

जो टोल टैक्स लगाया जाता है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसि-

(श्री सरदारसिंह)

पैलिटी को टैक्स लगाना चाहिए, वगैर टैक्स लगाये कोई भी म्युनिसिपैलिटी नहीं चल सकती। परन्तु देखना यह है कि ऐसे कौन से २ टैक्स हैं जो अनिवार्य हैं और लगाना चाहिए, कौन २ से ऐसे टैक्स हैं जिनसे जनता के जीवन पर सीधा असर पड़ता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे देखने में यह आया है कि शहरों में रोजमर्रा की चीजें, जिनका मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध है, बाहर गावों से आती हैं। जब म्युनिसिपैलिटी से एरिया में आती हैं, तो उनके लिए कोई कायदे कानून तो हैं नहीं, कोई व्यक्ति यदि मोली लाया, गठड़ी उठा कर लाया किसी चीज़ की, उसको कहा जाय कि एक पैसा पटक दो, दो पैसा पटक दो, दो आना पटक दो. चार आना पटक दो, इससे, मेरे देखने में यह आया है कि लोग दुःखी होकर, बहुत से लोग म्युनिसिपिल एरिया के बाहर ही बेचने लग गये हैं जिससे म्युनिसिपैलिटियों की आमदनी कम हो गई है। ऐसे टैक्स लगाने म्युनिसिपैलिटियों में यह देखा गया है, मुझे क्षमा करेंगे, मैं कहे बिना रह नहीं रह सकता, कि म्युनिसिपैलिटियों में पक्षपात होने लग गया है। यदि कहीं विरोधी पक्ष म्युनिसि-पैलिटी में चुन कर आ गया, उसके अध्यक्ष हो गये, दो दो तीन तीन वर्ष तक पुकारते रहने पर भी उनको एक पैसा नहीं दिया जाता है और जब वे टैक्स लगाते हैं तो प्रजा शिकायत करती है, वे उस टैक्स को फिर से बन्द करते हैं और यदि बन्द नहीं करते हैं, तो उनको प्रजा तंग करती है। इस प्रकार सरकार तो उनको कोई मदद देती नहीं और उनके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं। इस हालत में उन म्युनिसिपैलिटियों की आज क्या हालत है। यह देख सकते हैं। मैं आपको उनियारा म्युनिसिपैलिटी की ही बात कहता हूं। वहां म्युनिसिपैलिटी कायम की गई, आबादी कम हैं, लेकिन जब हमको पॉवर्स थी उस वक्त म्युनिसिपैलिटी कायम कर रखी थी, वह आज दिन तक चलती आयी है, और जब म्युनिसिपैल एक्ट बन जायगा तब १० हजार की आबादी वाली म्युनिसिपैलिटी पर टैक्स लगेगा। लेकिन मैं यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि म्युनिसि-पैलिटियां चाहे गांवों की हों, चाहे शहरों की हो जहां बाहर से ऐसी चीजें आती हैं जिनका मनुष्य के रोज मर्म के जीवन से काम पड़ता रहता है उन चीजों के गांवों से शहरों में आये बगैर काम नहीं चल सकता है, उन चीजों को टैक्स से मुक्त कर देना चाहिए और बाकी पर लगाना चाहे तो लगाये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशन-गढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो यह अमेन्मेन्ट आया है, मैं उसके खिलाफ हूं। सब क्लॉज (३२) कर की परिभाषा के लिए है। इसमें 'कर' शब्द की परिभाषा की गई है। इसमें यह नहीं है कि गांव वालों पर टैक्स लगाया जा रहा है। 'कर' यानि टैक्स की इसमें परि-भाषा बताई गई है कि 'कर' की क्या परिभाषा होगी ? मार्ग शुल्क और अन्य शुल्क म्युनिसि-पल जो बोर्ड को लगाने के अधिकार हैं उनकी परिभाषा दी गई है। यदि यह सवाल उठाया जाय कि 'कर' की परिभाषा में से मार्ग कर शब्द को ही हटा दिया जाय तो यह गलत हो जाता है। क्योंकि राजस्थान में कई म्युनिसिपैलिटियां हैं जिनको लाखों रुपयों की आमदनी इसी कर से होती है जैसा कि अज-मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। यदि जिस किसी म्युनिसिपल बोर्डने अपने खर्च से पुल बनाया और कर्ज लेकर बनाया उस कर्ज के उता

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

रने को तो मार्ग शुल्क तो लगाना आवश्यक होगा। अगर कर की परिभाषा में ये सब बातें नहीं रखी गई और कर की परिभाषा को विस्तृत नहीं बनाई तो कितनी डिफिकल्टी कर लगाने के बारे में म्युनिसिपैलिटियों को आ जावेगी। इस परिभाषा में इस मार्ग शुल्क को रख देने से गांव वालों को, गांव की गाड़ी वालों को, इससे यह नहीं माना जा सकता कि तकलीफ हो जावेगी। 'कर' परिभाषा को जो विस्तृत करके रखा गया है,वह वैसी की वैसी रहनी चाहिए। यदि इसमें से मार्ग शुल्क को निकाल दिया गया, तो फिर म्युनिसिपैलिटियों को मार्ग शुल्क लगाने का अधिकार नहीं रहेगा। जब मार्ग शुल्क लगाने का अधिकार म्युनिसिपैलिटियों को रहेगा तो वे अपनी स्थिति के अनुसार सोचेंगी कि यह कर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। 'कर' की परिभाषा सब क्लॉज ३२ में दे रखी है, इसलिये यह मान लेना की ये संभावनायें पैदा हो जावेंगी कि ग्रामीणों को नुक्सान हो रहा है, यह नुक्सान हो जावेगा, वह नुक्सान हो जावेगा, यह सब गलत धारणा है इसलिए इस अमेन्डमेन्ट को कैंसिल किया जावे नामन्जूर किया जावे।

एक माननीय सदस्य : आपके दिमाग से।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। बहस तो काफी हुई और मैं लेटीच्यूड के लिए धन्यवाद दिये बगैर नहीं रहूंगा। आप आज्ञा दें तो मैं बाड़मेर म्युनिसिपैलिटी के लिए बता दूं। टोल टैक्स की स्थिति पैदा हुई है उसकी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व्याख्या की है वह उनको ही समझ में आने वाली है। टोल टैक्स का अर्थ क्या है, इसका वास्तविक विवेचन करें, तो पता लग सकता है। जो वाद-विवाद हुआ है, जो बहस हुई है, मूवर ने खुद ने जो टोल टैक्स के सम्बन्ध में बातें कही हैं, टोल टैक्स के बारे में जो धारणा है वह वास्तविक धारणा है। टोल टैक्स के लिए माननीय मित्र ने कहा कि 'मार्ग शुल्क' था। मार्ग शुल्क का अभिप्राय टर्मिनल या ऑक्ट्रोय से नहीं लगाते हैं। मार्ग-शुल्क आप लगा रहे हैं, जैसे एक माननीय सदस्य ने फर्माया था कि हमने मोटर विहिकल्स पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाने का निश्चय किया है, जो इस बिल में आगे वाले किसी क्लॉज के प्रोविजन में है। मोटर विहिकल्स पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाते हैं तो फिर यह रहता किस पर है? यदि बैल गाड़ियों पर टैक्स लगाते हैं और इस बात के लिए कि म्युनिसिपैलिटी के हद में वे गाड़ियां घुसती हैं, सड़कों पर से गुजरती हैं, आती हैं, जाती हैं, इसलिए टैक्स लगाते हैं तो बहुत ही फॉरफेच्ड आइडिया है आपका। कई गांवों और शहरों की म्युनिसिपैलिटियां है वहां सड़कों का ऐसा विकास नहीं किया है और यह जो टैक्स है वह बहुत कम जगह देखा गया है सिवाय अजमेर के जो कि बड़ा ही असुविधाजनक है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वहां से भी हटा दिया है।

श्री तनसिंह : हटा दिया गया है, ठीक है। यदि वहां से भी हटा दिया गया तो कोई भी म्युनिसिपैलिटी नही चाहेगी कि इस प्रकार का टैक्स लगाया जाय। जब म्यु—

Page No.42

(श्री तनसिंह)

निसिपैलिटी नहीं चाहेगी तो टैक्स में 'टोल' शब्द रख कर खामख्वाह उनको क्यों रास्ता बता रहे हैं जिससे असुविधाजनक कार्य करें, जो जनता के लिए वास्तविक रूप से असु-विधाजनक है।

अगर हम टोल टैक्स नहीं भी लगाते हैं तो उससे आमदनी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मोटर विहिकल्स पर नहीं लगाते हैं तो फर्क पड़ सकता है, इन पर दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं जब तक आप पूर्ण रूप से सड़कों का विकास नहीं करते, सड़कों पर पैसा खर्च नहीं करते तब तक आप इस चीज पर टैक्स वसूल कैसे कर सकते हैं। बनास नदी पर ब्रिज बनी है उस पर टोल टैक्स लिया जा रहा है, वह किसी अंश में वाजिब है क्योंकि उस पर पैसा खर्च हुआ है। जब तक आप पैसा किसी चीज पर खर्च नहीं करते और फिर उस पर टोल टैक्स लगाते हैं, यह जायज नहीं है। सामान्यत: किसी भी सड़क पर गुजरने से और आने जाने पर टैक्स वसूल करना कोई महत्व नहीं रखता। इससे अननेसेसरी असुविधा पैदा होगी, इसलिए मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करेंगे।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : मान-नीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह जो टोल टैक्स जो नगरपालिकाओं द्वारा वसूल किया जायेगा जैसी कि इसमें व्यवस्था की गई है इस टोल टैक्स का असर ग्रामीण जनता पर ज्यादा पड़ेगा और ग्रामीण लोगों को यह टैक्स देना पड़ेगा। जिस नगरपालिका के हद से निकलने में जो ग्रामीण लोग अपने जीवन निर्वाह के लिये खानेपीने की चीजें लेकर या आवश्यक सामान लेकर आयेगा तो उस छोटे छोटे सामान के लाने पर टैक्स वसूल किया जाता है तो यह उन ग्रामीण लोगों के साथ अन्याय है। मान लीजिये कोई लोग सब्जी लेकर आयेगा उससे भी टैक्स वसूल किया जायेगा, गाड़ी लेकर निकलेगा तो भी उससे टैक्स वसूल किया जायेगा। फल-फूल लेकर बाजार में बेचने के लिए आता है उस पर भी टैक्स लिया जाय; इसी प्रकार कोई गाड़ी में लकड़ियें लेकर आता है उस पर टैक्स वसूल किया जायेगा।

६.४३ म. प्र.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

हमने यहां तक भी देखा है कि टोल टैक्स के बारे में एक किसान की गाड़ी को भी म्युनिसिपैलिटी ने नीलाम कर दिया था। इस प्रकार के छोटे छोटे टैक्स छोटे छोटे सामान पर लगाते हैं तो उचित नहीं है। पहले भी शहर से जो सामान लेकर आते हैं उसी पर बहुत सा टैक्स वसूल हो जाता है, इसलिये इस प्रकार का जो टैक्स है उससे मुक्त किया जाय और यह टैक्स व्यापारियों से जो बाहर ले जाते हैं उनसे वसूल किया जाय। मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार का टैक्स किसानों से वसूल न किया जाय। आज किसानों पर देखते हैं बहुत सारे टैक्सों का भार है; उसको जमीन पर टैक्स है, उसकी खेती पर टैक्स है, जंगल पर टैक्स है। इस तरह से कई प्रकार के टैक्स उसको देने पड़ते हैं। इसलिए उन लोगों से यह टोल टैक्स के रूप में कर वसूल करना ठीक नहीं है, इस टैक्स को हटा दिया जाय यही मेरा इस बारे में निवेदन है।

Page No.43

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपैलिटिज बिल की धारा ३२ की उपधारा ३ में जो संशोधन आया है, उसका मैं विरोध करती हूं जैसा कि इससे पूर्व कहा जा चुका है, यहां पर जो टैक्स की परिभाषा दी गई है उसमें यह बताया गया है कि टैक्स के अन्तर्गत क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सारा सदन यह जानता है कि म्युनिसिपैलिटी जैसी स्थानीय संस्थाओं का काम बिना टैक्स के चल नहीं सकता। शासन का कार्य भी टैक्स द्वारा ही चलता है। टैक्स कई रूप में और कई प्रकार से लिये जाते हैं। इस उप धारा में टैक्स को रखने का यह मतलब नहीं कि हर म्युनिसिपैलिटी इन सारे के सारे टैक्सों को लगाये ही इसमें इनके रखने का मतलब केवल इतना ही है कि म्युनिसिपैलिटी की लगाने की सीमा को यह धारा विस्तृत कर देती है। यह जो एक्ट बनाया जा रहा है किसी एक म्युनिसिपैलिटी के लिये नहीं हैं बल्कि राजस्थान की तमाम म्युनिसिपैलिटीज़ पर यह एक्ट लागू होगा। वैसी हालत में हर म्युनिसिपैलिटी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ये टैक्स लागू कर सकती है उन पर कोई बन्धन नहीं है कि इसमें उल्लिखित टैक्स लागू करें ही। इस उप धारा में यह शब्द रख देने का मतलब यह है कि हम म्युनिसिपैलिटी को अधिकृत कर देते हैं, जहां पर जैसी सुविधा हो वह लगा सके। अगर इस धारा में से ये शब्द निकाल दिये जाते हैं, तो मैं ऐसा समझती हूं कि कुछ दिनों बाद इसी का संशोधन लाकर रखना पड़ेगा और उसे मान्य करना पड़ेगा। ऐसी हालत में मैं यह बता देना चाहती हूं कि इस टैक्स का प्रभाव आज कहीं पर भी पड़ने वाला नहीं है, यह तो म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों की सीमा को बढ़ाने की बात है। अधिकारों की ओर संकेत करने वाली बात है। जब आपके सामने टैक्स का प्रोपोजल आये उस समय विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से ये शब्द निकाल देंगे, तो कानून की दृष्टि से हम ज्यादा कठिनाइयां पैदा कर देंगे। आखिर हमारे सामने फिर ऐसा संशोधन आयेगा फिर हमें मानना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है अभी ही इसे क्यों न मान लें।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सरकार अपने आपको कल्याणकारी सरकार मान रही है वह कल्याणकारी सरकार न होकर शोषक सरकार का रूप धारण करती जा रही है। आज यह सरकार जनता पर ऐसे ऐसे कर लगाने जा रही है, जो जनता आज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज जितने भी टेक्सेज़ के प्रपोजल्स आते हैं सब सत्तारूढ़ दल की तरफ से आते हैं सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर उनको जनता पर थोपती है। आज समय वह है जिसमें हमें किसी भी प्रकार के टेक्सेज लगाते वक्त सोचना पड़ेगा, आज जनता की हालत नहीं है कि वे इतने सारे टेक्सेज का भार सहन करे। आज आप सत्ता के बल पर जो टैक्सेज़ लगाते जा रहे हैं; उससे गरीब जनता को कुचलना चाहते हैं।

यह जो टोल टैक्स लगाया जा रहा है, इसके लिए यह कहा जाता है कि डेफीनिशन में आ जाने से ही कोई टैक्स नहीं लग सकता। मेरा निवेदन यह है कि डेफीनिशन इसीलिए दी जाती है कि डेफीनिशन में जो टैक्स निर्धारित किये हैं वे तो लगा सकते हैं। अगर इस प्रकार के टैक्स लगाने की मंशा नहीं है तो डेफीनिशन में रखना ही नहीं चाहिये। उसमें टोल टैक्स होना ही नहीं चाहिए।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

शहर के अन्दर घुसने पर टैक्स होगा, इससे ग्रामीण जनता को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। आज जबकि पहले से ही गरीब जनता पर तरह तरह के टैक्स लगे हुए हैं, आज इस प्रकार के टैक्सेज़ गरीब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तक म्युनिसिपैलिटीज़ द्वारा कहीं भी इस प्रकार का टैक्स वसूल नहीं किया जाता, अजमेर का एकीकरण होने से पहले इस प्रकार का टैक्स अजमेर में लग रहा था, लेकिन राजस्थान में विलीनीकरण के बाद वहां से भी वह टैक्स हटा दिया गया। इसलिये जब अजमेर में भी नहीं लग रहा है, तो फिर यह नया इस प्रकार का टैक्स शुरू ही क्यों किया जाय? इन शब्दों के साथ में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ बिल की धारा ३२ पर बहस चल रही है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में हूं। यह सही है कि इस वक्त जो हमारे सामने मसला है; वह डेफीनिशन का है। डेफीनिशन के लिये यह कहा जा रहा है कि इसमें यदि टोल टैक्स लगाने की बात रख देते हैं, तो यह टैक्स लगेगा ही, इस प्रकार की संभावनायें व्यक्त की जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि टोल टैक्स के लागू करने से देहाती जनता पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त यह स्टेज़ नहीं है कि हम इसका विरोध करें और इस प्रकार का संशोधन प्रस्ताव लायें। डेफीनिशन की मंशा केवल यह है कि इसको ज्यादा से ज्यादा विस्तृत बनाया जाय। डेफीनिशन में जो कुछ भी संभावनायें हो उनका समावेश हो सकता है, इस प्रकार की सभी संभावनायें शामिल हो सकती हैं। उचित तो यह होता कि जिस वक्त धारा ९८ पर बहस चल रही थी उस वक्त सदस्य अपना मत प्रकट करते और अगर वे यह चाहते हैं कि यह टैक्स न लगे तो ९८ धारा पर संशोधन प्रस्ताव ला सकते थे। यह तो टैक्स की एक डेफीनिशन मात्र है। इस डेफीनिशन से ही कोई यह लागू हो जायगा टैक्स ऐसी बात नहीं है।

तो इस तरह मैं इस संशोधन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामधन (दौसा) उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रक्खी है उसका मैं समर्थन करता हूं और टोल टैक्स जो है वह गाड़ी, जानवर वगैरह जहां गांवों से शहर में आते हैं, दो पैसा कमाने की गरज से और शहर वालों को सामान पहुंचाने के लिये उन पर लागू है। यह ठीक नहीं है। इससे छोटों को नुकसान पहुंचेगा और बाहर वालों को परेशानी होगी। शहर के लोगों की परेशानी भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा गांव वाले हर तरह के दूसरे टैक्स भी देते हैं; जैसे तमाखू टैक्स, खेती का टैक्स और कई तरह के टैक्स आदि। इसलिए गरीब जनता पर यह टोल टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इसको हटा दिया जावे।

श्री प्रभुलाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल टैक्स के विषय में बहुत से सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं। पर जो लोग टैक्स की बातें करते हैं, वे इन म्युनिसिपलटी की हालत देखते नहीं। आज जयपुर की

Page No.45

(श्री प्रभुलाल)

हालत देखिये; टैक्स बहुत से लगा दिये गये पर सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। महतरों को लोग अपने पास से पैसा देते हैं और सफाई कराते हैं, पर जनता की सहूलियत की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती, म्युनिसिपैलिटी कोई ध्यान नहीं देती। जहां तहां करकट पड़ा रहता है। टैक्स वसूल किया जाता है पर जनता को सहूलियत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज जयपुर शहर में सूरजपोल और हीदा की मोरी से जो पानी बह कर जाता है यह रामगंज चौपड़ तक आ जाता है। गन्दे पानी से बदबू आती रहती है, जनता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो जयपुर की म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रभुलाल : सब जगह की बता रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : यहां म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रभुलाल : उदाहरण देता हूं कि इन टैक्सों से क्या होता है। इसके विषय में लिखा पढ़ी म्युनिसिपल बोर्ड से की गई। इतनी बर्बादी होती है कि लोगों के मकान बह जाते हैं। इसी तरह लालसोट की दशा है, दौसा की भी यही हालत है। इनका सफाई की तरफ कोई खयाल नहीं। इसलिए यह टोल टैक्स दिया जाता है यह ठीक है पर इसका उपयोग अच्छी तरह से नहीं होता। वे कर्मचारीगण मौज करते हैं। बाकी जनता मरे चाहे जिए, इसकी किसी को चिन्ता नहीं। इसलिए जनता की ओर भी ध्यान रखना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सब क्लॉज (३२) क्लॉज ३ पर जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उस सम्बन्ध में सदन में बहुत सी बातें कही गई हैं। इस सब क्लॉज ३ में तो डेफीनिशन दी गई है। टैक्स की डेफीनिशन होनी जरूरी है। मैं बड़े गौर से सारा वाद-विवाद सुन रहा था पर यह नहीं समझ पाया कि डेफीनिशन इस सैक्शन में रख देने से वह कैसे लागू हो जायेगा। लागू होने से और इस डेफीनिशन से क्या सम्बन्ध है ?

श्री रामकरणसिंह : सदन का कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : The quorum is present.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोरम तो है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि महज एक डेफीनिशन बना देने से टैक्स लग नहीं जाता। लगाने का क्लॉज अलग है। अगर इस लगाने पर विचार करना है तो चैप्टर ७ इसके लिए है, जिसमें क्या क्या टैक्स म्युनिसिपैलिटी लगावेगी, इसका ज़िक्र है ?

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा है नहीं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी आवाज पूरा कर देगी अब।

श्री रामकरणसिंह : मेरी आवाज सदन का कोरम पूरा नहीं कर सकती और कुछ कर सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : कोरम की घंटी बजा दीजिये। कभी तो कोरम की घंटी बजनी चाहिये।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : शुरू करिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह अर्ज कर रहा था कि डिफीनेशन बनाने से टैक्स लगता नहीं। जब चैप्टर सात में भी अगर माननीय सदस्य देखेंगे, तो मालूम होगा कि उसमें भी म्यूनिसिपैलिटी जब चाहे तब टैक्स लगा दे यह बात नहीं हैं। इसमें भी पाबन्दी है कुछ उन पर। तो ऐसी स्थिति में यह कोई टैक्स लगाने की बात नहीं है और जो दलीलें आपने इस डेफीनिशन के क्लॉज पर दी हैं वे दलीलें जब चैप्टर ७ पर बहस हो, उस वक्त रखें तो अच्छा हो।

श्री रामकरणसिंह : कोई भी अपने अधिकारों को नहीं छोड़ता साहब इस जमाने में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब यह बात भी उस चैप्टर सात में नहीं कि वह तुरन्त लगा दे। लगाने की बात भी म्युनिसिपल पर निर्भर है। वह चाहे तो लगाए। वह फिर प्रस्ताव पास करेगी, गवर्नमेन्ट फिर नियम बनावेगी उनके अन्तर्गत उसको मन्जूरी लेनी होगी, तब वह टैक्स लागू होगा। तो यहां पर इसका कोई जिक्र नहीं है। यहां तो टैक्स को परिभाषा मात्र की गई है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लेंगे।

अब दूसरी बात यह भी है कि अगर इस समय इस परिभाषा को ही आप हटा देते हैं, तो दूसरी कई जगह टोल टैक्स लगा रहे हैं या लगा हुआ है, तो वह इल्लीगल हो जाता है। इस पर फिर गवर्नमेन्ट कोई हुक्म नहीं दे सकती। अब म्यूनिसिपैलिटी आपकी है और इससे फिर आपको ही परेशानी हो जावेगी। इस टैक्स से कोई आमदनी फिर आपको मिलेगी नहीं। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल पर इस अमेन्डमेन्ट को आप प्रेस न करें। डैफीनिशन जैसी है वैसी ही पास करने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के अन्तर्गत उपखण्ड (३२) में जो संशोधन श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

१० म० पू०

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उपखण्ड (३२) स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

उप-खण्ड (३२) स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ३ के सब क्लॉज़ (३३) के अन्तर्गत श्री मुरलीधर व्यास........

He is not here.

(विराम)

प्रश्न यह है कि............

डॉ० चन्द्रकला : इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : किस के बारे में।

डॉ० चन्द्रकला : (३३) के बारे में जो आप ले रहे हैं।

श्रीउपाध्यक्ष : इसमें स्पष्टीकरण कहां उत्पन्न होगा।

डॉ० चन्द्रकला : मुझे थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास यहां नहीं हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मुझे एक इनफोर्मेशन लेनी है उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसकी आज्ञा नहीं दूंगा।

प्रश्न यह है कि उप-खण्ड (३३), (३४) और (३५) स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

उप-खण्ड (३३), (३४) और (३५) स्वीकार किये गये।

(विराम)

अब क्लॉज़ ३ पूरा को पूरा लिया जाता है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३, संशोधनानुसार विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Then we come to clause 4.

(विराम)

इसको लेने के पूर्व एक रूलिंग जो मैंने राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ बिल के लिए रिज़र्व रखी थी उसको मैं अभी सुना देना उपयुक्त समझता हूं :—

On 11th April, 1958, Shri Brij Mohanlal Sharma had raised a point of procedure under Rule 127 of the Rules of Procedure when sub-clause (7) of clause 3 of the Rajasthan Municipalities Bill, 1957, was under discussion. The contention of the Hon'ble Member was that once a clause is adopted by the House, it cannot be amended later on and, therefore, proposed that in case any amendment is desired in sub-clause (7), the Bill may be withdrawn and re-introduced in the House.

I have examined all possible aspects of this question and before I express my views, I would like to invite attention of the Hon'ble Member to Rule 131 of the Rules of Procedure, which reads as under:-

"Where a Bill is passed by the House, the Speaker shall have power to correct patent errors and make such other changes in the Bill as are consequential on the amendments accepted by the House."

The Rajasthan Municipalities Bill, 1957, is in the stage of second reading and in case any inconsistency or discrepancy is noticed by the House at this stage, I am of the view that it can be rectified and set right at this stage. There are examples when such

(श्री उपाध्यक्ष)

corrections or changes have been made by this House in the past.

I, therefore, rule out the point raised by Shri Brij Mohanlal Sharma.

(विराम)

Now clause 4, Shri Sohanlal Bhatnager.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ में मेरे ३ अमेंडमेंटस हैं । [संशोधन इस प्रकार हैं:-

66. Delete sub-clause (4) of clause 4.

67. Substitute 'it shall be' for the words 'and is' in second line of sub-clause (5).

68. Sub-clause (6):-

Put a full stop after the word 'Gazette' and delete the words occurring thereafter."] क्लॉज़ ४ 'डीलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़' को डील करता है । इसके सब-क्लॉज़ (४) में यह प्रावधान रखा गया है:- " When any local area ceases to be a municipality, the board established therein shall cease to exist, and the balance of the municipal fund and other property and rights vesting in such board shall, subject to all charges and liabilities affecting the same, vest in the State Government and the proceeds thereof, if any, shall be expended under the orders of the State Government for the benefit of the local area in which such board had Jurisdiction." इसी तरह से सब क्लॉज़ (५) में यह कहते हैं कि अगर म्युनिसिपैलिटी वर्क करने से सीज़ कर देगी तो उसके बाद में वह किसी लोकल ऑथोरिटी के साथ मिला दी जावेगी और उसके फन्ड्स को भी उसमें ट्रांसफर कर दिये जायेंगे । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह जो क्लॉज़ था, यह ऐसी परिस्थिति में था जब कि केवल म्युनिसिपैलिटीज़ टाउन्स में हुआ करती थीं और विलेजेज के लिये कोई लोकल ऑथोरिटी नहीं होती थी । ऐसी, सूरत में जब की एक म्युनिसिपैलिटी वर्क करना बंद कर देगी, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था कि उसके फन्ड्स को किस तरह काम में लाया जाये और यह सब-क्लॉज़ (४) काम में लाया जाता और गवर्नमेंट में वह सारी प्रोपर्टी वेस्ट हो जाती और वह उस एरिया के लिए ही खर्च करते । सब क्लॉज़ (५) इसलिए बनाया गया है कि गवर्नमेंट के बजाय अगर कोई लोकल ऑथोरिटी है तो उसमें वेस्ट किया जाय । मेरा निवेदन यह है कि जब कि हमारा ग्राम पंचायत एक्ट पास हो गया और इसके सारे प्रोविज़न लागू हैं, तो कोई भी गांव या कस्बा बिना किसी लोकल ऑथोरिटी के नहीं रह सकता । अगर पांच हजार से ज्यादा की आबादी होगी, तो यहां म्युनिसिपैलिटी होगी और अगर पांच हजार से कम की आबादी होगी तो वहां विलेज़ पंचायतें होंगी और एक ही म्युनिसिपैलिटी जब कि काम करती आ रही थी और वहां पर ग्राम पंचायतें रखनी हैं, तो वह सारी प्रोपर्टी ग्राम पंचायत को दे देनी चाहिए । इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि यह सब-क्लॉज़ (४) जो है, इसको डिलीट कर दिया जाय और इसके बाद में यही होगा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कि सब-क्लॉज़ (५) में जो सारी प्रोपर्टी है वह लोकल ऑथोरिटीज़ में वैस्ट हो जायेंगी। तो मेरा संशोधन यह है :—

1. Delete sub-clause (4) of clause 4.

2. Substitute 'it shall be' for the words 'and is' in second line of sub-clause (5).,,

सब-क्लॉज़ (५) के अन्दर यह लिखा हुआ है सेकिण्ड लाइन के अन्दर:—

"and is included within the local limits..." 'and is included' इन वर्ड्स से यह साफ है कि वह इन्क्लूड करना बहुत जरूरी नहीं होगा लेकिन जैसा कि नियम है और अधिनियम पंचायतों का है, उसके मातहत किसी भी लोकल ऑथोरिटी में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने 'and is' के बजाय 'it shall be' लिखा है। अगर म्युनिसिपैलिटी वर्क करना सीज़ कर दे तो दूसरी लोकल ऑथोरिटी को कन्वर्ट कर देंगे।

दूसरा मेरा अमेंडमेन्ट यह है, 'Put a full stop after the word 'Gazette' and delete the words occuring thereafter'.

सब-क्लॉज़ (६) डील करता है.' When any local area is excluded from a municipality and included in another municipality."

ऐसी सूरत में मान लीजिए कि एक म्युनिसिपैलिटी ने वर्क करना बंद कर दिया और उसको दूसरी म्युनिसिपैलिटी के साथ मिला दिया, ऐसी परिस्थिति में सब-क्लॉज़ (६) रखा हुआ है। ऐसी सूरत में यह है कि दूसरी म्युनिसिपैलिटी के साथ मिला दिया जायेगा तो वह दूसरी म्युनिसिपैलिटी के नीहित हो जायेगा। लेकिन साथ ही जो प्रोविजो रखा है कि किसी खास सूरत में अगर गवर्नमेंट चाहे तो वह दूसरी म्युनिसिपैलिटी में नहीं करके गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और जब कि ऐसा प्रावधान रख रहे हैं कि दूसरी म्युनिसिपैलिटी में इन्कलूड कर ली जायगी, तो यह ऐसा है कि दूसरी म्युनिसिपैलिटी में वैस्ट हो, न कि गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन रखा जाय कि मर्जी आये उसी तरह से खर्च किया जाये।

१०.६ म.पू.

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, जो अमेन्डमेंट आया है मैं उसके खिलाफ हूं।

डॉ. चन्द्रकला : सभापति महोदय, इस क्लॉज़ को पार्ट वाइज़ लिया जाये।

श्री सभापति : अभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी और अमेन्डमेंट्स मूव करने बाकी हैं उनके मूव होने के बाद आप बोलिए।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर

श्री सोहनलाल भटनागर : मैंने पेश कर दिये हैं।

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, एक क्लॉज़ की एक एक उप-क्लॉज़ को लेकर, जैसा पहले हुआ है उस तरह से नहीं हो रहा है क्या? सबको एक साथ हो लिया जायेगा?

श्री सभापति : एक साथ ही लिया जायगा सारा ।

डॉ० चन्द्रकला (जारी) : सभापति महोदय, इस बिल के क्लॉज़ ४ के सब-क्लॉज (६) में मेरा एक संशोधन है । (संशोधन इस प्रकार है : ६३ 'क्लाज़' ४ (६) 'उप खण्ड (६) में से, Provided that ...properties of liabilites शब्द विलोपित किये जायें । ६४. क्लॉज़ ४ (७) 'उप खण्ड (७) में से unless the State Government otherwise directs शब्द निकाल दिये जावें) इसमें प्रोवीजन रखा गया है कि यदि कोई लोकल एरिया म्युनिसिपेलिटी में शामिल होगा, तो उसके म्युनिसिपल फन्ड या उसके एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज़ जो हैं, वह जिस एरिया में शामिल होता है, उसमें हो जायगा, लेकिन यदि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा समझेगी, तो उससे भिन्न भी हो सकता है । तो मेरा सुझाव यह है, इसमें यह लिखा है :

"Provided that the provisions of this sub-section shall not apply in any case where the circumstances, in the opinion of the State Government render undesirable the transfer of any portion of the municipal fund and properties on liabilities"

जब हम स्थानीय संस्था को काम करने का सुभीता देते हैं, तो यह तो ठीक हैं कि जब सीमा निर्धारण का प्रश्न होगा, उसमें घटत या बढ़त करने का सवाल होगा वहां पर राज्य सरकार के निर्णय को मानना पड़ेगा, लेकिन जब उनके अन्तरंग मामले होंगे और इसके बाद भी कहा जा चुका है कि मिलने वाली या निकलने वाली दोनों संस्थायें मिलकर इस बारे में फैसला करेंगी, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को इस बीच में लाकर के और उसका निर्णय इतना सर्वोपरि कर देना, यह मेरे ख्याल से काम में ज्यादा बाधा पहुँचायेगा । जिस आथोरिटी का अनुभव आजकल हम लोग खूब करते हैं, मैंने देखा है कि स्थानीय संस्थाओं के शासन के काम में हमारी सरकार अनुचित हस्तक्षेप जगह जगह करती है । हो सकता है कि किसी काम के लिए उनके अपने उचित कारण हों । वह उसके लिए अपनी बात की अपनी सफाई दे सकते हैं, लेकिन जनता का दृष्टिकोण कभी कभी भूल में रह जाता है और शासन का अपना दृष्टिकोण अधिक आगे आ जाता है । ऐसी स्थिति में यदि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार दे देते है कि वह कहीं पर जो हिस्सा शामिल होता है और जिसमें शामिल होता है, तो उनके फन्ड्स वगैरह के ट्रान्सफर के बारे में अधिकार दे देते हैं, तो बहुत संभावना है कि शासन अपने अधिकार का दुरुपयोग करके ऐसा निर्णय कर दे कि जो निर्णय वहां की स्थानीय संस्थाओं के जीवन पर कुछ अनुकूल असर न डाले । ऐसी स्थिति में यह संशोधन रखा है कि इस प्रोवीजो को निकाल दिया जाय और वही धारा मात्र रहने दी जाय । इसके आगे मेरा दूसरा संशोधन इसी धारा की उपधारा (७) में है । इसमें यह कहना है, इसमें यह लिखा है—

"unless the State Government otherwise directs".

इतने शब्द निकालने के लिए मैंने संशोधन रखा है । इसके लिए भी कारण वही है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट डाइरेक्ट करती है तो उसके डाइरेक्शन्स बिल्कुल सही मायने में ही हो सकते है । ऐसा कभी हो सकता है कि जजमेंट की कोई गलती हो जाय तो जिन लोकल संस्थाओं को इतने अधिकार देते हैं और वे सारा काम अपने ढंग से करती हैं तो इतना और क्यों नहीं छोड़ दें । इसका डिस्क्रीशन खुद (राज्य सरकार को) ही

(डॉ० चन्द्रकला)

ले लेना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट छोटे छोटे मामले में इतना आगे बढ़कर दिलचस्पी नहीं ले सकती है। उनको उन सारी स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी नहीं हो सकती है और उसमें जब कि एक निश्चय एक ओर दूसरे कारण से प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट इस बात में न पड़कर स्थानीय संस्थाओं को यह अवसर दे दे कि जिस तरह आप चाहें, उस तरह का निर्णय ले लें, तो वह ठीक रहे। इसलिए यह मैने संशोधन रखा है कि स्थानीय शासन में संस्थाओं को अधिक से अधिक कार्य करने का मौका देने के उद्देश्य से यदि स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो प्रोवीजन रखा गया है, उसको निकाल देते हैं, तो स्थानीय संस्थाओं के लिए अधिक सहायक होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह जो एमेन्डमेंट लाये हैं, मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि यह देखेंगे कि बहुत सी जगह नगरपालिकाएं

श्री सोहनलाल भटनागर : आप किस एमेंडमेंट पर बोल रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं चारों ही ऐमेंडमेंटस के खिलाफ हूं।

श्री सभापति : श्री सोहनलालजी और डॉ० चन्द्रकला ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): जी हां।

मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं देगें तो बड़ी डिफिकल्टी पैदा हो जायगी। आप देखें किसी जगह पर नगरपालिका है उस पर कर्ज़ा है और यदि नगरपालिका कर्जा अदा नहीं कर सकती है और वह भंग होती है तब उसकी आमदनी स्थानीय संस्थाए लेलें और कर्ज़ा लेने का जिम्मा वे नहीं लेती हैं तो क्या स्थिति पैदा हो जायगी। ऐसी हालत में यह सोचना समझना कि नगरपालिकाओं की तरक्की हो, लेकिन आप नगरपालिकाओं के उत्तरदायित्व को जब दूसरी संस्थाओं को देने को तैयार नहीं होगें, तो ऐसी स्थिति में क्या हालत होगी ? उनके पास पैसा कर्ज देने के लिए कर्ज़ा नहीं होगा उसके लिये वे इन्कार हो जायेंगे लेकिन जो रुपया जमा है वो वे लेने को तैयार हो जायेंगें। ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के उस समय डिफिकल्टी ऐसी पैदा हो जायगी कि वह कर्जा किस प्रकार से अदा किया जाय। जो उत्तरदायित्व भी लेने को तैयार हो उनको जमा शुदा रुपया दे दिया जाय, पहले ठीक होगा लेकिन ऐसी स्थिति आ जाय कि उत्तरदायित्व स्वीकार करने को कोई संस्था तैयार नहीं हों तो वहां ऐसी स्थिति में यह अधिकार सरकार को प्राप्त नहीं होगा तो बड़ी डिफिकल्टी पैदा हो जायगी। इसलिए (६) और (७) जो ओरीजनल बिल में है वह उपयुक्त है।

इसी प्रकार से म्युनिसिपेलिटी खत्म होकर पंचायत में मिल जायगी, लेकिन बहुत सी ऐसी सीमाएं हैं जो पंचायतों में नहीं आती हैं, और म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं आती हैं और म्युनिसिपल बोर्ड भी नहीं रहता है, जब तक कि सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषणा करके म्युनिसिपेलिटी को नहीं मिला दें तब तक क्या हालत होगी ? तब तक वह पैसा वहां पर खर्च किया जा सकता है। इसलिए यह जो सब-क्लाजेज़ (४), (५), (६) और (७)

(पुरुषोतमलाल शर्मा)

इस वक्त रखी है वह बिल्कुल उपयुक्त है। उनके हटाये जाने पर म्युनिसिपेलिटी अगर कोई भंग होगी, तो उस वक्त बड़ी डिफीकल्टी पैदा हो जायगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन कदापि स्वीकार न किया जायं।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : सभापति महोदय, यह खण्ड जब ड्राफ्ट किया गया था तो मेरे ख्याल से यू. पी. के म्युनिसिपल एक्ट से किया गया, इसलिए जो संशोधन उठाया गया है....

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member to speak a little close to the mike.

श्री ज्वालाप्रसाद : यहां पर जो संशोधन उठाये जारहे हैं उनके बारे में इतना कहना है कि जो अभी एमेन्डमेन्ट्स भटनागर साहब ने रखा है उनमें गवर्नमेंट को कुछ डिस्क्रीशन दिया गया है। "Provided that the provisions of this sub-section shall not apply in any case where the circumstances, in the opinion of the State Government render undesirable the transfer of any portion of the Municipal fund and properties or liabilities."

वे स्पेसल सरकमस्टान्सेज जिनमें कि गवर्नमेंट को डिस्क्रीशन दिया गया है कि या तो डिस्क्रीशन ही रख लिया जाय या उस वाली बात को रखा जाय जबकि डिस्क्रीशन गवर्नमेंट का है, तो जो बात साधारण तौर से कह दी गई है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आज इस प्रोवीजन के बारे में जो बात है तो या तो जिन म्युनिसिपल कमेटी को हटाया जाय या उस एरिया को उस तरह से लगाया जाय तो प्रोपोर्शनेटली उसका फैसला चाहे गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे, लेकिन पैसे के बारे में लायबिलिटीज़ के बारे में साफ सेक्शन होना चाहिए। इन सब के बाद यह सही है कि रुपये के मामले में गवर्नमेंट किसी दिवालिया म्युनिसिपैलिटी को हटाती है, नहीं चलने देती है तो उसकी लायबिलिटी गवर्नमेंट खुद ले लेती है, तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज़ ऐसे हो सकते हैं कि जिससे म्युनिसिपल कमेटीज़ की जो साख हैं वह खराब नहीं हो। गवर्नमेंट के पास जो पॉवर्स रहती है, तो रहनी चाहिए। मेरी ऐसी राय है। इसकी वज़ह यह है कि म्युनिसिपल कमेटी की साख गवर्नमेंट की साख में लगी रहेगी, तो उनका काम एक हद तक चलता रहेगा। वैसे सारी सरकार की जिम्मेदारी है कि म्युनिसिपल कमेटी के जो अनावश्यक फन्डस हैं जिनको खर्च न किया जाय, वह रहने चाहिए और उनके नहीं रहने के बाद कुछ म्युनिसिपल कमेटी को सस्पेन्ड करने का मतलब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के नोटिस में अगर देरी से आये कोई चीज़, तो ज्यादा कर्जा हो जाय उस म्युनिसिपलिटी पर, जो लायबिलिटीज़ उस पर आ जाये उसके लिए जिम्मेदारी किस की बननी चाहिए और उसके लिए सब में ज्यादा अच्छी पार्टी गवर्नमेंट है; जो जिम्मेदार है उसके सुपरवीजन के लिए, चलाने के लिए ठीक तरह से, कानून से। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह प्रोवीजन रखा जाय और उसके ऊपर वाले प्रोवीजन को निकाल दिया जाय नहीं तो उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि दूसरी म्युनिसिपल कमेटी को उसमें मिलाया जाय जायज या नाजायज़ तौर पर तो उसके एसेट्स और और लायबिटीज़ को दूसरी म्युनिसिपल कमेटी

Page No.53

(श्री ज्वालाप्रसाद)

पर डाल सकते हैं। जहां यह लोग समझते हैं कि आमदनी का पैसा बचेगा, ऐसी भी बात हो सकती है कि उस पर पैसा बाकी रह जाय और ऐसी हालत में उस एरिया को उसमें मिलाया जाय वह म्युनिसिपल कमेटी पर वजन पड़े, तो वह गलत होगा। गवर्नमेंट को ही सारे पॉवर्स रहने चाहिए, ऐसी मेरी मन्शा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : चेयरमैन महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट आया है और उनके संबंध में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि सब-क्लॉज (४) में यह अमेन्डमेन्ट कि इसको डिलीट कर दिया जाय, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि वैसे तो सब क्लॉज (४), (५), (६) और (७) में इमरजेन्सी पॉवर्स सरकार को दिये गये हैं। सब क्लॉज (४) में यह रखा गया है कि मान लीजिये कि कोई म्युनिसिपेलिटी समाप्त हो गई तो उसके बाद में क्या होगा ? इस सब-क्लॉज में रखा गया है कि यदि कोई म्युनिसिपेलिटी काम नहीं करती है, तो गवर्नमेन्ट उसको टेक ओवर करेगी। अगर गवर्नमेन्ट टेक ओवर नहीं करेगी, तो वेकुम रह जायगा। अगर म्युनिसिपेलिटी रही नहीं और नयी म्युनिसिपेलिटी जब तक नहीं आयेगी उसके दौरान में क्या होगा ? गवर्नमेण्ट इमरजेन्सी की टाइम में इनको काम में लेती है, इसलिये मैं समझता हूं इसको रखना जायज बात है। यदि इसको डिलीट करेंगे तो केओस पैदा होगा, इसलिये यह जरूरी है कि इसको रखा जावे।

सब क्लॉज (५) में "इज" के बजाय "शैल" करने का संशोधन है। 'Notwithstanding any thing contained in sub-section (4) when any local area ceases to be a municipality, and is included'

अगर कोई एरिया लोकल लिमिट में शामिल होता है, "इज इन्क्लुडेड" बिल्कुल सही है इसके अनुसार शामिल हो जायगा, तो उसकी लाइबिलिटीज बढ़ जायेंगी। इसलिये "इज" शब्द साफ है। इसकी लेंग्वेज में करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एरिया शामिल होता है तो लाइबिलीटीज भी ट्रान्सफर करदी जायेगी। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि इसको बदला जाय।

सब-क्लॉज (६) के अन्तर्गत कोई एरिया इन्क्ल्यूड किया जाता है तो प्रापर्टी बंट जायगी। इसमें प्रोविजो में यह है कि यदि कोई ऐसी दिक्कत आये, जैसे बहुत से सरकम्सटान्सेज होते हैं, इसमें लिखा है : "...where the circumstances, in the opinion of the State Government..."

जहां पर ट्रान्सफर नहीं होने की बात हो और दिक्कत आवे, एक म्युनिसिपल एरिया बदल गया, जैसे जयपुर का कुछ एरिया दौसा में बदल दिया गया, तो प्रश्न आता है कि कौनसा सामान इसका है और कौनसा उसका है, यह ठीक है कि यह सामान बांटा जायगा और यदि ऐसी बात हो, तो उसका फैसला कौन करेगा ? गवर्नमेन्ट को तो आखिर में दोनों के बीच फैसला करना ही पड़ेगा। इस लिये इसमें लिखा है कि ऐसी कोई बात हो तो गवर्नमेन्ट को फैसला करने का अख्त्यार दिया है।

इसके अलावा सब-क्लॉज (७) में...

श्री सभापति : सब क्लॉज (७) में दो

(श्री सभापति)

अमेन्डमेंन्ट्स हैं, एक डॉक्टर चन्द्रकला ने रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों एक ही तरह के हैं।

श्री सभापति : सोहनलालजी ने कोमा, फुलिस्टोप का रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, आगे के शब्द हटा दिये जायं तो दोनों एक ही तरह के अमेन्डमेन्ट्स हैं।

इस तरह सब क्लॉज (७) में अमेन्डमेन्ट है 'unless state Government otherwise directs' शब्दों को निकाला जाय। इसके लिये मैं अर्ज करूंगा कि जब एक एरिया दूसरी म्युनिसिपेलिटी में शामिल होगा तो उसके कानून-कायदे भी शामिल होंगे। यदि कोई कानून-कायदे नहीं लागू होते हैं तो गवर्नमेन्ट उनको लागू करने के लिये कहेगी। मान लीजिये एक एरिया में एक छोटा सा गांव मिल गया, मान लीजिये जयपुर म्युनिसिपेलिटी में एक गांव मिलाया गया और जयपुर म्युनिसिपेलिटी के अलग कानून हैं और उस गांव के अलग हैं, तो इसके लिये गवर्नमेन्ट कह सकती है कि जो आम तौर से कानून लागू होते हैं, वे वहां भी होने चाहियें। इससे गवर्नमेन्ट को कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार के कानून अब भी हैं और अब भी उनके अनुसार काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेन्ट ने कहीं अनुचित हस्तक्षेप कर लिया हो, यदि दूसरी जगह एरिया चला गया है, उसके साथ ज्यादती की हो, ऐसी बात नहीं है और न ऐसा करने की मंशा है। नोर्मल तौर पर काम चलता है, यदि नहीं चलता है तो गवर्नमेन्ट को डिसाइड करना पड़ता है। इसलिये यदि ऐसे पॉवर्स नहीं होंगे, तो दिक्कत होगी, ये इमरजेन्सी के लिये हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अमेन्डमेन्ट्स वापिस लेने की कृपा करें।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि एक म्युनिसिपेलिटी, मान लीजिये, बंद हो जाती है तो वेकुम क्रिएट होता है तो उसका क्या होगा ? उसके लिये कोंसिक्वेंशियल अमेन्डमेन्ट सब क्लॉज (५) में दिया है इससे गवर्नमेन्ट का खाली डिस्क्रीशन ही नहीं रहेगा, बल्कि "शैल" लगाने के कारण समय पर दूसरी लोकल ओथोरिटी का निर्माण कर दिया जायगा। यह बात बिल्कुल सही है। जो क्लॉज इस समय काम में लिये गये वे पंचायत एक्ट में नहीं थे, यू. पी. पर आश्रित थे, लेकिन अब पंचायत एक्ट बन गया है। म्युनिसिपेलिटी भंग की जायेगी, पहले डेट फिक्स की जायगी उससे पहले ही पंचायत के चुनाव कराये जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है फिर भी कभी कभी ऐसी बात हो जाती है गवर्नमेन्ट में प्रोपर्टी वेस्ट की जाती है और कई दिनों तक नहीं दी जाती है। मुझे याद है कि एक प्रश्न जयपुर के एक माननीय सदस्य ने यहां उठाया था कि दो साल से एक प्रोपर्टी गवर्नमेन्ट में वेस्ट है, न तो उसमें से खर्चा किया जाता है और न आगे कोई कार्यवाही की जाती है, इसलिये यह जरूरी था कि लोकल ऑथोरिटी में वेस्ट होती। फिर भी माननीय मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है उनको देखते हुए मैं सारे संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

Page No.55

श्री सभापति : (डॉ० चन्द्रकला से) You will speak on amendments because they have been simultaneously taken.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : सभापति महोदय, राज्य सरकार को अधिक अधिकार नहीं दिये जाय यह मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन मैंने बताया कि अधिकार देने पर उसका दुरुपयोग होता है उसको कैसे रोका जायगा ? केवल मंत्री महोदय का आश्वासन कि हमारा इरादा ऐसा नहीं है और न हम वैसा करने जा रहे हैं, कानून में मदद नहीं देता है। कानून आज हम बनायेंगे वह बन जायगा और रहेगा । उप धारा (५) में हम प्रोविजो रख देंगे, तो शक्ति का मिस यूज न हो ऐसी बात नहीं है लेकिन क्योंकि मंत्रीजी ने ऐसा कहा है कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे है तो मैं अपने संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ के सब-क्लॉज़ (४), सब-क्लॉज़ (५), सब-क्लॉज़ (६) और सब-क्लॉज (७) के अन्दर जो श्री सोहनलाल और डॉ० चन्द्रकला ने जो अमेन्डमेंट पेश किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज ४ को स्वीकार किया जाय।

क्लाज विधेयक का अंग बना।

श्री सभापति : क्लॉज ५, श्री चन्दनमल।

(अनुपस्थित)

श्री नारायण सिंह (मसूदा)

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन धारा ५ (१) प्रोविजो में है कि 'फाइव थाउज़ेन्ड' शब्दों की जगह 'एट थाउज़ेन्ड' शब्द रखे जायें। इस संशोधन से मेरा अर्थ यह है कि जो पांच हजार की आबादी के छोटे नगर होते हैं वे करीब करीब ग्रामीण जीवन से अभीभूत होते हैं और स्वत: करीब करीब गांव से ही होते हैं। उन पर यदि एक नगर पालिका की व्यवस्था का भार लाद दिया जाता है, तो वह उनकी क्षमता के अनुकूल नहीं होता। यह हमारे अनुभव में भी आया है कि जहां भी छोटे दायरे की म्युनिसिपैलिटी हैं, वे आर्थिक स्थिति से स्वावलम्बी नहीं हो पाई और सरकार को उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रश्न सोचना पड़ा। मैं आपका तीन खास बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह कि जो ऐसे स्थानों की क्षेत्रीय जीवन यापन की परिस्थिति होती है, जो यहां के लोगों के रहन सहन का स्तर होता है, उसकी ओर हमें दृष्टि डालनी चाहिए। दूसरे जो वहां रहने वाले निवासी हैं उनके ऊपर अर्थ भार होगा, उसका अनुमान करना चाहिए तथा उनकी जो कर क्षमता है, उसकी तरफ भी दृष्टि डालनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उनकी प्रगति सुलभता उनको किस व्यवस्था से निश्चित हो सकती है। मैं पहली बात पर

(श्री नारायणसिंह)

आता हूं। यहां के लोगों का जो रहन सहन का स्तर है, जो जीवन यापन की व्यवस्था है, वह बहुत कुछ ग्रामीण व्यवस्थाओं से मिलती है और उनके रहन सहन का स्तर भी बहुत नीचा होता है। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कर व्यवस्था की जाती है अथवा किसी प्रकार कर का भार लादा जाता है, तो उनकी क्षमता इतनी नहीं होती कि वे भी शहर के निवासियों की तरह उसको झेल सकें। उनकी अर्थ व्यवस्था भी एक निराले प्रकार की होती है और ऐसी दशा में उनकी आवश्यकतायें, जो कि बिल्कुल गांव से मिली जुली होती है, वे इस प्रकार की होती हैं कि अगर किसी प्रकार का टोल टैक्स इत्यादि का भार उन पर पड़ता है, तो तुरन्त उनकी अर्थ व्यवस्था पर उसके असरात मालूम पड़ते हैं। मैं इसलिए अर्ज करूंगा कि जो मैंने कर क्षमता का सवाल उठाया, जो इन कस्बों की इन्कम टैक्स के रूप में जो आय होती है, उस दृष्टि से इन्हें देखा जाय। मैं समझता हूं कि जिस कस्बे में से १ लाख या ८० हजार तक की आय कर से वसूल होती है, उसको समझना चाहिए कि इस कस्बे की कर क्षमता काफी है। लेकिन जहां इससे न्यून हो, वहां यह स्वत: सोचना चाहिये कि कर क्षमता वहां की ऐसी है कि जो कुछ थोड़ा बहुत कर लोगों पर लगेगा उसका भार भी वे नहीं उठा सकेंगे। इस दृष्टि से हमें उन नागरिकों के अर्थ भार, कर क्षमता का अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जो पांच हजार की आबादी के नगर होते हैं, उनमें इन दिनों इन दोनों बातों का अभाव देखा जायगा। आर्थिक दृष्टि से ये कस्बे कभी स्वावलम्बी नहीं हो सकते। इन बातों के कई प्रमाण मौजूद हैं और सरकार को ऐसी जगहां पर मदद देने के लिए सोचना पड़ता है। जहां शहर में ही कर लगाने की ओर कदम उठाता हैं, तो वहीं स्वत: करके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हो जाता है। तब ऐसे छोटे स्थानों में जहां सीधे उस कर का भाग ग्रामीण जनता की जिन्सों पर और दूसरी चीजों पर होगा, वहां कैसा आन्दोलन, किस प्रकार का विरोध हो सकता है, यह स्वयं हम अनुमान कर सकते हैं। मैं विजयनगर का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। विजयनगर की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, जो ऐसी सारी व्यवस्था को झेल सके। वहां म्युनिसिपैलिटी बनी और उस म्युनिसिपैलिटी ने कर लगाने की कोशिश की। इस पर वहां की कोटन मिल ने रिट इत्यादि पेश करके वहां तो उनको कायल कर दिया। अब उन्होंने शुगर मिल पर कर लगाने का प्रयास किया तो उसमें भी कई प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन देकर रोड़े उत्पन्न कर दिये हैं। आज जब कि ऐसे क्षेत्रों में ऐसी इन्डस्ट्रीज हैं, जिनको आपत्ति हो जाती है, तो कर लगाने का जो क्षेत्र है, वह स्वत: बहुत संकुचित हो जाता है। तो यह समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार ऐसी जगह म्यूनिसिपल कमेटी बना सकते हैं, उनको राज्य द्वारा एक लाख, दो लाख रुपये की मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब कि उनकी छोटी मोटी आवश्यकतायें हैं, वे पंचायतें, गांव पंचायतें भी पूरी कर सकती हैं। लेकिन जहां उन्हें म्यूनिसिपेलिटी का भार उठाना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ उस सबका, एक व्यवस्था का भारी रुतवा उसको भी उठाना पड़ेगा, इससे उनके सामने दिक्कत पेश हो ही जायगी। मैंने इसी विजयनगर के लिए जनता की सलाह से एक टाउन डवलपमेंट कमेटी का एक बार निर्माण किया था। यह टाउन डवलपमेंट कमेटी एक प्रकार से म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत, दोनों के

(श्री नारायणसिंह)

बीच की व्यवस्था थी । मैं मानता हूं कि विजयनगर नगर में शुमार होता है और न कस्बे में आता है। इसको दोनों में शुमार नहीं किया जा सकता । इसकी बीच की अवस्था होगी । इसी प्रकार पुष्कर है, जो कि अजमेर के नजदीक है, जो न तो कस्बे में शुमार किया जा सकता है और न गांव में । लेकिन उसको कस्बे में क्लासिफाई करके कस्बे की व्यवस्था करते हैं, तो वह उसके लिए बड़ा भार प्रद हो जाता है, अगर पंचायत में क्लासिफाई कर देते हैं, तो उनकी समस्यायें कुछ विशेष प्रकार की होती हैं । इसलिए विचार कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनायें जो पंचायत के आदर्श को ले ले और म्युनिसिपेलिटी के आदर्श को भी ले ले । लेकिन हम उन पर एक दम म्युनिसिपेलिटी नगरपालिका की व्यवस्था लाद दें, इससे उनकी जो क्षमता है, कर वहन की क्षमता है, उस पर भार हो जायगा ।

मैं उनकी प्रगति सुलभता की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ऐसे नगर में, जहां पर प्रगति के लिए गांवों के वातावरण के समान कम्युनिटी प्रोजेक्ट, एन. इ. एस. ब्लाक इत्यादि की व्यवस्था होती है, उन्हें छोड़ नगरपालिकायें हैं खड़ी कर दी जाती है, वहां व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगरपालिका को दी जाती है, तो जो प्रगति के अन्दर खर्चा होता है, जिस प्रकार की व्यवस्था होती है, वह दब कर रह जाती है और सतत अपने अपने घाटे की आय को लेकर वे सरकार की तरफ देखते रह जाते हैं कि किस प्रकार घाटा पूरा हो, और किस प्रकार नालियों, सड़कों आदि का आयोजन कर सकें । जो सफाई का आयोजन है, सड़कों का, नालियों का, सेनीटेशन, बिजली आदि सबके कार्य, डैवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनके जरिये, गांव तक पहुँचाये जायेंगे । पंचायत की व्यवस्था इस प्रकार के कार्यों को, इन सब चीजों को बखूबी देख सकती है । इनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं आती कि म्युनिसिपेलिटी की आवश्यकता पड़ ही जाय । इसलिए मैं पांच हजार की आबादी के लिए नगरपालिका की व्यवस्था उपयुक्त नहीं समझता । यह तो उस प्रकार की बात हुई कि हम विकेन्द्रित शासन की दुहाई देकर यह करदें कि पांच गांव, १० गांव या एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसा कि अजमेर राज्य था, एक वर्ग बना कर उसको स्टेट का रूप दे दें और वहां पर धारा सभा का भार लाद दें । इस प्रकार से हम नगरपालिकायें बनाते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि जहां जनतंत्रीय व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर दे रहे हैं, उन स्थानों की कर क्षमता, आर्थिक क्षमता, उनकी मानसिक तैयारी और सब चीजों को देख कर वहां उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए । अगर हम किसी एक छोटे वर्ग पर, ऐसी व्यवस्था लाद देंगे, तो वह बिल्कुल अनुपयुक्त होगा । इसलिए मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि जहां पांच हजार की आबादी का उल्लेख है, उसे कम से कम आठ हजार की आबादी की जाय । मैं देखता हूं कि जो अमेंडमेंट इस विषय में हमारे सामने आये हैं, उनमें १० हजार की आबादी तक की सिफारिश की गई हैं । अब इसमें यह सोचने की बात है कि आठ हजार की आबादी रखी जाय या नौ हजार की रखी जाय या दस हजार की आबादी में नगरपालिका की व्यवस्था की जाय। मैं समझता हूं इसमें कोई अन्तर नहीं होता, लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि पांच हजार की आबादी से कम कहीं आबादी हो

Page No.58

(श्री नारायणसिंह)

अथवा जहां ४९०० की आबादी हो, वह तो गांव हो जाता है और जहां ५,१०० की आबादी हो, वह नगरपालिका हो जाता है। यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इसमें यह संशोधन मैं आवश्यक समझता हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : अमेंडमेंट्स और मूव किये जा रहे हैं, उनके बाद आप बोलिये।

डॉ० बहादुरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): मैं मूव कर दूं उनकी जगह पर ?

श्री सभापति : If you are authorised to move on his behalf.

डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, क्लॉज ५ में मेरे दो संशोधन प्रस्ताव हैं। संशोधन इस प्रकार हैं :—] [६५. उपखण्ड (१) के प्रोविज़ो के भाग (i) में 'two' के स्थान पर 'one' शब्द प्रतिस्थापित किया जाय। उपखण्ड (२) के प्रोविज़ो (ii) में 'five' के स्थान पर 'nine' शब्द प्रतिस्थापित किया जाय। पहला संशोधन प्रस्ताव मेरा इसमें है........

श्री श्रीभानसिंह : लिस्ट नम्बर तो मालूम पड़े साहब ! या पढ़ दें, नहीं तो क्या पता चलेगा कि कहां है ?

श्री सभापति : This is serial No. 95, list No. 5.

डॉ० चन्द्रकला : इसमें खण्ड (बी) के प्रोविज़ो के (१) में लिखा हुआ है कि शहर का वह क्षेत्र जो म्युनिसिपैलिटी से दो मील दूर तक बिना आबादी होगा वहां तक म्युनिसिपैलिटी की सीमा जा सकती है। इसमें मैंने संशोधन रखा है कि यह २ मील की सीमा रखी जाय। सभापति महोदय, दो मील की सीमा आज के दिन में राजस्थान में बहुत बड़ी सीमा है। मैं तो खुद जयपुर नगरपालिका के मामलों में अनुभव करती हूं कि यदि हम आबाद क्षेत्रों का भी दो मील तक बढ़ा दें तो बहुत मुश्किल हो जायगी, तो इसमें तो बिना आबादी का दो मील का छूटा हुआ है और इसके बाद बस्ती है, तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। जब कि हमारे आवागमन के साधन नहीं हैं, जब कि हम एक छोटी सी सीमा के अन्दर होते हैं वहां भी व्यवस्था मुश्किल से होती है तो बिना आबादी की जगह को छोड़ कर दो मील दूर बस्ती होगी, उसको शामिल करके कैसे व्यवस्था करेंगे ?

मैं तो ज्यादा अधिक दलीलें नहीं देना चाहती, हमारी जयपुर म्युनिसिपैलिटी में दूसरी जगह है, जो इसके सबब हैं, उनके बारे में सुझाव है कि इसमें से निकाल कर पास की पंचायतों में शामिल कर दिये जायं, तो वे ज्यादा विकास कर सकते हैं। हमें सब को मालूम है कि म्युनिसिपैलिटी एरिया में न तो विकास विभाग काम करता है और न और विभागों द्वारा, उनका विकास स्थानीय संस्थाओं पर ही निर्भर करता है, ऐसी हालत में नगरपालिका अपनी सीमा को अधिक से अधिक बढ़ा ले और यह नहीं सोचे कि वहां की व्यवस्था सुचारु रूप से कैसे चलाई जाय

(डॉ० चन्द्रकला)

तो यह उचित नहीं होगा। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए दो मील की सीमा अधिक है इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इसको घटा कर १ मील कर दिया जाय। यह बिना आबादी के बीच में पड़ेंगे उसके लिये है, जहां आबादी को बढ़ाते जाते हैं वहां तो यह प्रश्न नहीं, जहां आबदी नहीं है वहां दो मील के एरिये को घटा कर एक मील एरिया किया जाय।

मैं नहीं सोचती कि माननीय स्वायत शासन मंत्री इतनी लालच करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के एरिया को इतना बढ़ाया जाय। जब कि दूसरी स्वायत संस्थाएं वहां पर मौजूद हैं फिर कोई वजह नहीं कि उनके म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र को बढ़ाया जाय, पंचायतें उनकी जिम्मेदारी लेकर काम कर सकती हैं। इसलिये मैं तो मन्त्री महोदय से कहूंगी कि वे मेरा यह संशोधन स्वीकार करलें। हां जब ऐसी स्थिति आवेगी कि सारे शहर विस्तृत हो जायेंगे, आबादी इतनी बढ़ेगी कि शहरों में और पास के इन गांवों में कोई फरक नहीं रहेगा, तो यह किया जा सकता है, तो अच्छा होगा कि आप इसको मान लें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय/सभापति महोदय,........

श्री सभापति :Yes...

डॉ० चन्द्रकला : अभी तो मेरा दूसरा संशोधन भी है।

मेरा दूसरा संशोधन इसके खण्ड (२) में है, ५ हजार की जगह ६ हजार की बात कही है। जैसा कि मसूदा के हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटियां बनाना ठीक नहीं है। हम अपने शासन में निश्चित आधार मुकर्रर कर लेते हैं, उसी आधार को पूरी तरह पालन करने का प्रयत्न करना चाहिये। पंचायतों का हमने गठन किया है, आबादी हमने ५ हजार मानी हैं तो कोई कारण नहीं कि म्युनिसिपैलिटी में ५,००० तक की आबादी को शामिल कर लें, चाहेंगे उसको तो म्युनिसिपैलिटी घोषित कर देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको पंचायत घोषित कर देंगे और इस प्रकार मन मानी करेंगे। पंचायतों के लिये ५००० की आबादी ठीक है तो म्युनिसिपैलिटी के लिये कतई ५,००० की आबादी उचित नहीं। छोटी सी संस्था बना देगें तो उसकी अपनी दिक्कतें आयेंगी और शासन की दृष्टि से भी यह ठीक नहीं है। इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि म्युनिसि-/पैलिटी की आबादी कम से कम ६ हजार रखी जाय, यह ८ भी हो सकती हैं ६, १० या १२ भी हो सकती है। बड़ी होगी तो म्युनिसिपैलिटी अच्छी तरह काम कर सकेगी। यह संशोधन भी ऐसा नहीं कि मन्त्री महोदय को अग्राह्य हो। औचित्य को ध्यान में रख कर उन्हें मेरे ये दोनों संशोधन मान्य कर लेने चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : मैं सपोर्ट में बोलना चाहता हूं। माननीय नारायणसिंहजी मसूदा ने ५ हजार की आबादी को म्युनिसिपैलिटी में बढ़ा कर ८००० करने का संशोधन रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। यहां की छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिनकी आबादी पंचायतें हैं उनकी गणना से कम है। मैं उदाहरण के रूप में कह देना चाहता हूं कि छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं वे अपना सुधार नहीं कर सकती और न उनमें इतना अधिक कर लगा सकती

Page No.60

(श्री सरदारसिंह)

हैं, क्योंकि छोटी म्युनिसिपैलिटियों में कर लगाने की कोई गुंजायश नहीं रहती और डेवलपमेंट, जिला बोर्ड से ५,००० से कम आबादी पर म्युनिसिपैलिटी थोप रखी है, वे एक तरह से अपने डेवलपमेंट से महरूम रहती हैं। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूं कि ४६०० के करीब उनियारा की आबादी है और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन्स वहां होने वाले थे, तो प्रजा ने यहां आकर प्रार्थनापत्र दिये, यहां से एक ओफीसर की नियुक्ति हुई कि जाकर वहां की जनता के भाव देखो, म्युनिसिपैलिटी चाहती है या पंचायत, तो वहां रघुनाथजी के मन्दिर के बाहर चौक में मीटिंग हुई, जनता को इक्ठा किया, आर्ग्यूमेंट दिये और कहा कि हमारे यहां की आबादी बहुत कम है, हम पंचायत चाहते हैं, कारण उनको बताये, उन्होंने कहा कि हमारे यहां पहले अधिकार प्राप्त ठिकाना था, न्यायालय मौजूद था, न्याय सस्ता मिल जाता था, पंचायत हो जायेगी म्युनिसिपैलिटी की बजाय तो हमारे पंचायत क्षेत्र को अधिकार मिलेंगे और इस तरह हमें बहुत उचित तरीके से न्याय मिल जायगा। पर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर न रेवेन्यू पॉवर्स हैं और न और पॉवर्स हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ५ हजार तक जहां चाहे वहीं सरकार म्युनिसिपैलिटी कर सकती है, यह मत रखिये और मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है ६००० की आबादी में म्युनिसिपैलिटी रखी जाय, इसको मान लें तो अच्छा होगा।

मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जिस जगह की आबादी पांच हजार से कम है वहां पर म्युनिसिपैलिटी कायम नहीं की जाए, लेकिन वहां तो उचित यही होगा कि पंचायतें ही रखी जाएं। इसके लिये माननीय सदस्य ने जो एमेन्डमेंट रखा है कि नौ हजार से ऊपर की आबादी पर म्युनिसिपैलिटी रखी जावे इस एमेन्डमेंट को मान लिया जाए।

श्री भानसिंह (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य अजमेर से आने वालों ने रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। हम आज जिस प्रकार म्युनिसिपेलिटीज की स्थिति है उसको देखें और देख रहे हैं, जिस प्रकार उनको अधिकार दिये हुए हैं और उन अधिकारों को वे फंक्शन कर रही हैं उनकी तरफ देखें तो मालूम होगा कि म्युनिसिपेलिटीज की क्या हालत है ? म्युनिसिपेलिटीज की क्या आमदनी होती है और उसका क्या खर्च होता है, उसको हम देखें तो हमें मालूम होगा कि बड़ी बड़ी म्युनिसिपेलिटीज जहां कि आबादी ४० या ४५ हजार की है वहां पर भी वे अपना काम एफिसियेन्टली नहीं कर पा रही हैं और उनके भी एक्सपेन्डीचर बहुत बढ़े हुए हैं। उनके सामने भी बड़ी बड़ी समस्या यही बनी रहती है कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार सुधारी जाए और किस प्रकार नये नये टैक्सों से पैसा प्राप्त किया जाए। आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी म्युनिसिपेलिटीज भी बहुत से टैक्स नहीं लगा सकती। यदि कोई टैक्स लेवी करे तो उसके collection के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वहां पर जो खर्च होता है उससे जितना खर्च होता है उस अनुपात में फायदा होना चाहिये नहीं होता। यदि किसी भी म्युनिसिपेलिटीज का एक्सपेन्डीचर देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि वह about ५० परसेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आवेगा। जब बड़ी बड़ी म्युनिसिपेलिटीज की यह हालत है, तो छोटी म्युनिसिपेलिटीज जब हम बनावेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी ?

Page No.61

(श्री सरदारसिंह)

आज के दिन जबकि म्युनिसिपेलिटीज की इम्पोर्टेन्स बढ़ती जा रही है और हम उनको नये नये फंक्शन्स दे रहे हैं। टेकिंग इन्टु कन्सीडरेशन ओल दी Functions हम उनको इतने फंक्शन्स दे रहे हैं कि हम यह कह सकते हैं कि जन्म से मरण तक म्युनिसिपेलिटी look after करती है। फ्रोम दी केडल टु दी ग्रेव इसलिये १० हजार से नीचे या छोटी म्युनिसिपेलिटीज पर यह वजन दें और उनसे हम यह आशा करें कि वे उन फंक्शनों को एफिसियेन्टली डिस्चार्ज करेंगे यह हो ही नहीं सकता। यदि हम उनके टैक्सेशन पॉवर्स को देखें तो मालूम होगा कि उनके पास सिवाय ओक्ट्राय के किसी प्रकार का टैक्स लगाने की सुविधा नहीं है। उनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया एक मात्र ओक्ट्रोय है। वह भी शहर के लोग नहीं देते। जो गुड्स शहर में बेचने के लिये किसान आवेगा वह यह कर देगा। जो काश्तकार बाहर से आवेगा वह देगा। इसके लिये माननीय सदस्य यह कहेंगे कि कई जगह मंडियें सरकार ने कायम की हैं वहां आमदनी ज्यादा होगी। मगर मंडियों को हम देखें तो मालूम होगा कि उनकी इन्कम कहां से होती है। उनकी इन्कम भी तो माल आने पर ही है। वह बोझ बाहर के लोगों पर ही पड़ेगा, इसलिये थोड़ा बोझ शहर वालों पर ही पड़े तो अच्छा हो। अगर फॉरमर ही अपना सब सेक्रीफाइस करें और शहर वाले नहीं करें तो यह भी उचित नहीं होता। १० हजार की म्युनिसिपेलिटी एरिया के रहने वाले इतना खर्चा बर्दास्त नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप यह कहें कि हाउस टैक्स लगाए। मगर वे इम्पोज नहीं कर सकते। क्योंकि उन के पास मशीनरी नहीं है। यदि सेन्टर मशीनरी प्रोवाइड करें तो शायद हो सकता है। इसके अलावा डाइरेक्ट कर वे लागू नहीं कर सकते। इसलिये उनका तो एकमात्र जरिया है वह ओक्ट्राय है, मगर यह कोई स्थाई आमदनी का जरिया नहीं है यह तो माल के आने पर निर्भर है। इसलिये म्युनिसिपेलिटी को ओक्ट्राय पर रिलाई नहीं करना चाहिये। वह हेल्दी सोर्स नहीं है। यह तो माल ज्यादा आने पर बढ़ता है और कम आने पर कम हो जाता है। इसके अलावा हम म्युनिसिपेलिटीज के एक्सपेन्डीचर को देखें तो आपको मालूम होगा कि म्युनिसिपेलिटीज को कोई एक्सपेन्डीचर का स्टोक taking नहीं हुआ होगा। जितनी भी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें यदि देखा जावे, तो आपको मालूम होगा कि वहां पर न तो सेनिटेशन अच्छा होगा न ड्रेनेज़ होगा। जो कि हेल्दीलाइफ के लिए मिनिमम वर्क है और वह तो अवश्य ही होना चाहिए मगर वे कर नहीं सकते।

बड़े बड़े वर्कस हैं उनको तो undertake कर ही नहीं सकती। वहां पर वे लोग एक छोटी सी बाई लेन भी नहीं बना सकते या क्लीन भी नहीं करवा सकते। यदि वे क्लीन कराते हैं और बनवाते हैं तो उनको ५-६ हज़ार रूपये लग जावेंगे। जो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। फिर आप देखिए; वहां पर मेडिकल हैल्थ का प्रबन्ध निल के बराबर। वे एक डॉक्टर भी नहीं रख सकते। अगर एक डॉक्टर भी रखें तो काफी खर्चा होता है और इतना खर्चा वे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा सेनिट्री इन्सपेक्टर रखें तो भी उसको पे करना पड़ता है और उसकी पे भी वे एफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप कुछ भी खर्चा बर्दास्त नहीं कर सकते, तो फिर आपको म्युनिसिपैलिटी रखने से क्या फायदा होता है। बहुत से माननीय सदस्य यह कहेंगे कि आप इसका अपोज करते हैं। मेरी

(श्री सरदारसिंह)

कॉन्स्टीट्यूएन्सी में १०:१२ हज़ार की म्युनिसिपैलिटीज़ होती है और शायद मैं इस वजह से उस पर बोलता, लेकिन आज हमें क्षेत्रीय भावना से नहीं सोचना है। हमको राजस्थान के दृष्टिकोण से सोचना है; क्योंकि आज कल म्युनिसिपैलिटीज़ के फंक्शन्स दिनों दिन बढ़ रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रूरल एरिया है उसको ब्लॉक डेवलपमेंट का फायदा मिलता है और म्युनिसिपैलिटीज़ बन जायगी तो वह फायदा भी उन्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि वह रकम रूरल एरिया में खर्च की जाती है न कि म्युनिसिपल एरियाज़ में। इसके अलावा पंचायत में रहने वालों को दूसरी तरफ यह भी फायदा होगा कि कम से कम उनको सस्ता न्याय तो मिल ही जाएगा। चाहे वह रॉग जजमेंट भी हो मगर चीप तो होगा। उनके मामले बहुत जल्दी तय हो जावेंगे। लेकिन जब म्युनिसिपैलिटीज़ बन जाएगी तो वह पंचायतों का Justice उनको नहीं मिलेगा, इसके अलावा वहां जब म्युनिसिपैलिटी कायम हो जाएगी, तो पंचायतों को जो प्रोविजन और पॉवर्स होंगे वह नहीं रहेंगे। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रख कर सोचें तो आपको मालूम होगा कि हम कितने डिसएडवान्टेज में रहेंगे। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि हम वहां पर से भी पंचायत कायम करते और पंचायतों को टेक्स के पॉवर्स देते वह पॉवर्स उनको भी देते। ताकि पंचायतों को पॉवर्स देते वह भी उनको मिल जावें और उनके एरिया का डेवलपमेंट हो जाए। इसके अलावा मैं समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज़ कायम करने के बाद सिवाय इसके कि उनका नाम बदल जाए कोई एडवान्टेज नहीं होगा। सिर्फ नाम बदलने से क्या फायदा मिलता है। मैं समझता हूं कि कोई फायदा नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त हम बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करना चाहते हैं। तो इन सब बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन बहुत ही हैल्दी है, इसको स्वीकार किया जाए। मैं आपको बताऊं कि कई वर्ष पहले, समय तो मुझे याद नहीं है मगर मैं यह कह सकता हूं कि उस समय इंगलैंड में लेबर गवर्नमेंट थी उसने लोगों के इकोनोमिकल, सोशियल कन्डिशन व जस्टिस पोइन्ट ऑफ व्यू से व सिटिज़न्स के राइट्स को समझने के लिए एक बाइटले कमेटी appoint की बाइटले कमेटी ने यह रीड किया कि उन एरिया को मर्ज करके हम वहां पर बाइटले कौंसिल एस्टेब्लिश करें और उसका यह मतलब था कि ऐसे एरिया को एक रीजन में या एक viable युनिट में कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए; जिससे उसको फायदा हो सके। क्योंकि आखिर लोकल बॉडीज़ में थोड़े फंक्शनन्स तो जरूर होते ही हैं और गवर्नमेंट खुद शोशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती।

११ म० पू०

गवर्नमेन्ट के जो शोशल रिफॉर्म्स हैं, जैसे इन्श्योरेन्सेज वगैरा हैं, उनकी इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी चाहिए, आज नहीं पांच साल के बाद। जिस तरह से समाजवादी ढांचा ला रहे हैं और उस समाजवादी समाज के लिए सोशियल लेजिस्लेशन ला रहे हैं, उनको यदि इम्प्लीमेन्ट करेंगे, तो उसके लिए एजेन्सीज़ चाहिए, वे ऐसी हों जो reliably एक्ज़ीक्यूट कर सकें। उस बरडन को बीयर कर सकें और सेटिस्फेक्टरीली अपने जो फंक्शन्स हैं उनको डिस्चार्ज कर सकें।

Page No.63

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

इन सब दृष्टिकोणों को रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करें। अगर वह कन्सीडरेशन्स वो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यह करलें कि : "एट दी डिस्क्रेशन ऑफ दी गवर्नमेन्ट"। हालांकि "एट दी डिस्क्रेशन ऑफ दी गवर्नमेन्ट" में थोड़ा सा यह हो जावेगा कि जो अगर माननीय मंत्री महोदय की मेरे पर मेहरबानी नहीं है, वे मेरे यहां की म्युनिसिपेलिटी को ही खत्म कर दें चाहे १० हज़ार की आबादी हो और दूसरी जगह की न करें, यह विरोधी पक्ष को डाउट हो सकता है, मुझे नहीं।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह से) : Hon'ble member this is not the intention of the Government.

श्री श्रीभानसिंह : I can anticipate of the action and I can do any...

इससे फैसिलीटीज मिल जाती हैं। टु डु जस्टिस, इन्जस्टिस की फेसिलीटीज नहीं। यदि म्युनिसिपेलिटी के डाइरेक्टर और स्टाफ उस निर्णय पर आवें, १० हज़ार की पोपुलेशन होते हुए भी फंक्शन वह कर रही है, उसको खत्म कर सकते हैं। मंडियों का सवाल आवेगा, प्रोपरली फंक्शन कर रही है, डाइरेक्ट टैक्सेशन ले कर रही है, सिटीज़न को फैसिलिटीज़ दे रही है, वह कर सकते हैं। आप वायोबल युनिटस बन सकते हैं। इसलिए इस संशोधन को एक्सप्ट करें तो अच्छा है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय चेयरमैन महोदय............

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने क्लॉज में जो संशोधन रखा है कि पांच हज़ार के बजाय ८ हज़ार उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं इस प्रस्ताव का इसलिए समर्थन करता हूं कि १० हजार का प्रस्ताव था, जो दूसरे प्रस्तावक थे उन प्रस्तावक महोदय ने नहीं रखा है। हम देखते हैं कि दो तरह की स्वायत्त शासन संस्थायें हैं। एक तो ग्राम पंचायतें हैं और दूसरी म्युनिसिपेलिटियां। ग्राम पंचायतों में पांच हज़ार और उससे कम आबादी वाले एरिया को लिया जाता है। जो छोटे २ आबादी वाले एरिया हैं और इनसे जो बड़े एरिया वाले क्षेत्र हैं जिनकी पांच हजार से अधिक आबादी है, उनमें नगरपालिका बनाने का इस बिल में प्रोविज़न है। आज जो राजस्थान की स्थिति है जिसमें छोटे २ गांव हैं उन गांवों में जाकर लोग बसे और वे विस्तृत हों यह हमारा लक्ष्य है, इरादा है। वहां जाकर किस प्रकार से लोग बसे, वहां पर क्या फेसिलीटीज़ हैं यह हमें देखना है। आज ज़हां म्युनिसिपेलिटियां हैं वहां लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिलता है। वहां लोगों को वे अधिकार भी नहीं हैं जो ग्राम पंचायतों को है। ग्राम पंचायतों को ये अधिकार हैं कि वे अपने यहां के छोटे मोटे मामलों में न्याय खुद कर सकते हैं और उनका फैसला भी कर सकते हैं। छोटे २ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनके मुकदमे वे ही खुद निपटा देते हैं। लेकिन जो म्युनिसिपेलिटियां हैं, वे चाहे १० हज़ार की जन संख्या वाली हैं, चाहे ५० हजार और १ लाख की जनसंख्या की, लेकिन उन म्युनिसिपेलिटियों के सदस्यों को, बोर्ड को या कौंसिल को अधिकार नहीं है कि वे किसी छोटे मामले को भी फैसला दे सकें।

Page No.64

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

ऐसी स्थिति में अगर हम उन छोटे २ गांवों को भी म्युनिसिपेलिटियों के रूप में परिवर्तित करेंगे, जो म्युनिसिपेलिटियां हैं उसी तरह से बिना न्यायिक अधिकार के रखेंगे तो बड़ी कठिनाई आ जावेगी।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो पोइन्ट्स दूसरे माननीय सदस्यों ने पहले रख दिये हैं उनके अलावा कोई नया पोइन्ट हो तो रखें जिससे वाद-विवाद में मदद मिलेगी और यदि उन्हीं पोइन्ट्स को, एक ही पोइन्ट को, मैं समझता हूं सदस्य महोदय दोहराते रहेंगे, तो उससे डिबेट को विशेष लाभ नहीं होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि हाऊस के विचार जानने के लिए मैम्बरों का बोलना अनिवार्य होता है और हाऊस की क्या राय है वह भाषण द्वारा प्रकट हो यह जरूरी है........

श्री सभापति : मैंने आपके बोलने पर नहीं कहा है।

डॉ० चन्द्रकला : अगर मंत्री महोदय संशोधन को मान लें........

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अगर मंत्री महोदय मान लें इस संशोधन को तो फिर कोई बात ही नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : नहीं माने तब भी तो राय प्रकट की जा सकती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं आपको किशनगढ़ सब-डिविज़न के लिए बताऊं कि सरवाड़ के दो मील दूर पर एक छोटा सा खेड़ा है उसको मिलाकर सरवाड़ में एक म्युनिसिपेलिटी बना दी। न वहां सड़क का इन्तज़ाम है, न म्युनिसिपेलिटी की ओर से रोशनी का पूरा इन्तजाम है क्योंकि वे छोटी २ यूनिटों में हैं, टैक्स लगाने से बोर्ड के सदस्य घबड़ाते हैं, जैसे दूसरे बड़े शहर वाले टैक्स लगाते हैं वैसे वे नहीं लगा सकते हैं। न तो वे गांव विकास खंड में सम्मिलित हैं और न वहां म्युनिसिपेलिटियां ही ठीक तरह से फन्क्शन्स करती हैं। ऐसी समस्यायें वहां हैं अगर ये छोटी छोटी म्युनिनिपेलिटी हट जांय तो अच्छा है। उनको न्याय लेने के लिए किशनगढ़ आना पड़ता है। कोई फ़ौजदारी का मामला हो गया, थोड़ी मार पीट हो गई, तो उसके लिए उनको ६०. ८० मील दूर किशनगढ़ आना पड़ता है। १ मील दूर का गांव सरवाड़ जाकर पंचायत से अपना न्याय ले सकते हैं, लेकिन वहां के निवासी को वहां न्याय नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि जो छोटे २ गांव हैं और वहां म्युनिसिपेलिटियां रख देते हैं, ये जनता के लिए कष्टदायक हो जाती हैं और सरकार के लिए भी कष्टदायक हो जाती है क्योंकि वह ठीक तरह से नही चलतीं। इसलिए सरकार का फर्ज हो जाता है कि म्युनिसि-पेलिटीज़ को ठीक तरह से चलवाया जाना चाहिए। टैक्स लगाने का सवाल आयगा, मदद देने का सवाल आयगा; जैसे ग्रामों के विकास खंडों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया मदद करती है वैसी मदद तो इन्हें मिलती नहीं, लेकिन इन छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ को खुद को चलाने का सवाल है और इन म्युनिसिपेलिटीज़ को खुद को अपने पैरों पर खड़ा होना होता है और वे ऐसा कर नहीं सकती ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन आया है वह वाजिब है और इसलिए

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि ६ हज़ार के बजाय दस हजार भी कर दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

कई माननीय सदस्य : माननीय सभापति........

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज ५ में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय सभापतिजी, क्लॉज ५ की जो भाषा है उससे साफ ज़ाहिर है कि कोई भी म्युनिसिपल एरिया पांच हजार की आबादी से कम नहीं होगा। माननीय सदस्यों ने जो राय प्रकट की है वह उचित नहीं है। इस भाषा से यह साफ प्रकट होता है कि यह गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर है कि ६ हजार और ९ हजार तक आबादी हो तो वहां पर म्युनिसिपैलिटी बनायें।

दूसरा माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं कि छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटियों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो म्युनिसिपैलिटीज की ड्यूटी पंचायत एक्ट में प्रोवाइड की है, उसमें कोई फर्क नहीं। ग्राम पंचायत के पास इतनी ड्यूटीज़ है जिसमें जुडिशियरी के पॉवर्स भी उसको दिये गये हैं। यदि हम इस प्रकार के अधिकार भी ग्राम पंचायतों को देते हैं तो आर्थिक बरडन ज्यादा पड़ेगा।

दूसरा प्रश्न है कि म्युनिसिपैलिटीज की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। इसलिये पंचायतें बना देने से वह अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तौर से पूरी कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों के पॉवर्स का जहां तक ताल्लुक है दोनों में काफी समानता है। जहां तक आर्थिक हालत का प्रश्न है छोटी म्युनिसिपैलिटीज की आर्थिक हालत कमजोर रहेगी। छोटी म्युनिसिपैलिटीज नहीं होनी चाहियें, मैं इस पक्ष में नहीं हूं।

दूसरे सदस्यों ने इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि पांच हजार से कम की आबादी के जितने भी नगर या कस्बे हैं उनमें यदि इस प्रकार के अधिकार देते हैं तो उससे वे म्युनिसिपैलिटियां फायदा उठा नहीं सकती। मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है गवर्नमेन्ट के इस सम्बन्ध में कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है, यह तो गवर्नमेंट डिस्क्रिशन है वह चाहे तो इतनी आबादी पर भी म्युनिसिपैलिटीज कायम करवा सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर कहीं पांच हजार से कम आबादी पर भी म्युनिसिपैलिटियां बनती हैं और उससे पब्लिक को फायदा होता हो तो उससे वंचित रखा जाना उचित मालूम नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बीकानेर का उदाहरण दूंगा। बीकानेर में गंगाशहर म्युनिसिपैलिटी है जिसकी आबादी करीब ६ हजार के आसपास है। उस एरिया के निवासी या तो नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन हैं। अगर इस प्रकार का संशोधन स्वीकार हो जाता है तो जहां इतनी आबादी पर म्युनिसिपैलिटियां हैं जिनका कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है जिससे जनता को भी फायदा है तो वैसी हालत में म्युनिसिपैलिटीज से फायदा नहीं उठा सकेगी। जहां रूरल

Page No.66

(श्री भीमसेन)

एरिया हो और वहां के निवासी नौकरी पेशा या बिजनेसमैन न हो वहां पर ग्राम पंचायतें स्थापित की जा सकती हैं। अगर कोई कस्बा जहां की आबादी पांच हजार से अधिक है और उसमें नौकरी पेशा या बिजनेसमैन की आबादी है तो मैं यह उचित समझता हूं कि वहां म्युनिसिपैलिटियां रहनी चाहियें। इस आधार पर जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री सज्जनसिंह।

(विराम)

श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री श्री भानसिंह : I object Sir....

श्री सभापति (श्री मोदी से) : आपको अपने स्थान से ही बोलना चाहिये।

(श्री मुक्तिलाल मोदी अपना स्थान ग्रहण करते हुए)

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराट) : माननीय सभापति महोदय, म्युनिसिपल एक्ट के क्लॉज के अन्दर जो अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस संशोधन में जैसा कि बताया गया है दस हजार की पोपुलेशन पर ....

श्री श्रीभानसिंह : दस हजार की पोपुलेशन कहां है ?

श्री सभापति : संख्या के लिये क्यों झगड़ा करते हैं ? इनको बोलने दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) आप सुनिये तो सही। मेरा यह कहना है कि जहां दस हजार की आबादी हो वहां पर म्युनिसिपैलिटियां होनी चाहिये। पांच हजार की जो म्युनिसिपैलिटियां बनी हुई हैं वह म्युनिसिपैलिटियां कायम नहीं रहनी चाहिए। जो पांच हजार की म्युनिसिपैलिटियां हैं. वहां सरकार की ओर से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पांच हजार की जितनी भी म्युनिसिपैलिटियां हैं, जो काम म्युनिसिपैलिटियां कर रही हैं, उसमें सरकार का किसी प्रकार का सहयोग मिलता नहीं है। जहां दस हजार या इससे ज्यादा की पोपुलेशन है, जैसे जयपुर शहर ही ले लीजिये, जयपुर के अन्दर सरकार इतना डवेलपमेन्ट कर रही है इसको केपिटल बनाया, हाईकोर्ट की बैंच यहां रख रहे हैं। जोधपुर अजमेर आदि में जहां म्युनिसिपैलिटियां हैं, वहां भी कई दफ्तर रखे जा रहे हैं। जोधपुर के अन्दर हाई कोर्ट रखने का सरकार का इरादा है....

श्री सभापति : आप इस बिल पर बोलिये।

श्री श्रीभानसिंह : जो कुछ इनको कहना था कह दिया।

श्री मुक्तिलाल मोदी (जारी रखते हुए) : मैं यह कह रहा था कि बड़ी बड़ी जहां म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां पर दफ्तर भी खोलते हैं वहां बड़े बड़े कॉलेज भी बनाते हैं। जहां छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां सरकार ने क्या किया है ? क्या जहां पांच हजार की आबादी है वहां किसी भी जगह सरकार ने टेक्निकल कॉलेज खोले हैं क्या....

Page No.67

श्री भानसिंह : हाई कोर्ट के बारे में सुना नहीं, फिर से सुना दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पूरा हाई कोर्ट नहीं तो यहां पर बैंच तो रहेगी ही।

श्री सभापति : आप विषयान्तर मत होइये, जो वाद-विवाद चल रहा है उसी पर स्पीच जारी रखें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जहां जहां दस हजार की बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां पर सरकार ने बड़े बड़े कॉलेज बना दिये, बड़े बड़े टेक्निकल स्कूल बना दिये हैं, केपिटल बना दिया है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग बना दी है, लेकिन बैंच के लिये विरोध किया जा रहा है। महाराज, म्युनिसिपैलिटीज का पैसा खर्च हो रहा है इस हाई कोर्ट की बिल्डिंग में २८ लाख रुपये खर्च हो गये हैं....

श्री सभापति : इसका संबन्ध म्युनिसिपल बिल से क्या है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : म्युनिसिपल सीमा की ही बात कह रहा हूं। छोटी छोटी जहां म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां सरकार ने कौन सी चीजें बनायी है ? माननीय चेयरमैन साहब मेरा तो यह कहना है कि जहां की आबादी दस हजार या इससे ज्यादा हो वहां पर म्युनिसिपैलिटियां रखनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को यह ध्यान में रखना चाहिये कि किस तरह से चेयर को संबोधित किया जाता है। दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय चेयरमैन साहब, मैं तो यह बता रहा था कि दस हजार से ज्यादा आबादी की जितनी भी म्युनिसिपैलिटियां है वहां पर सब तरह के दफ्तर, एस० डी० ओ० के कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय कायम रखते हैं। मेरा यह कहना है कि जहां पांच हजार की आबादी है वहां पर सरकार ने क्या काम किया ? सरकार इस म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा यह जाहिर कर देती कि हम जहां पांच हजारी की आबादी की म्युनिसिपैलिटियां हैं, उन म्युनिसिपल एरिया के अन्दर ये ये काम करेंगे या ये ये काम किये हैं। किसी भी जगह टेक्निकल कॉलेज खोला है एस० डी० ओ० का दफ्तर या कलेक्टर का दफ्तर कायम किया है।

श्री सभापति : ये बातें तो आप तीन चार दफा कह चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज मैं नयी बात बताता हूं। जनता को या पंचायतों को जो अधिकार दिये हैं उतने अधिकार म्युनिसिपैलिटीज को नहीं हैं। अगर पंचायतों को जितने अधिकार देते हैं उतने म्युनिसिपैलिटीज को हों तो उनका खर्चा भी किसी तरह से चल जाता है। पांच हजार की आबादी पर म्युनिसिपैलिटियां अब तक कायम हुई हैं उनकी किसी प्रकार भी उन्नति नहीं हो पाई है।

श्री मूलचन्द डागा : कौन कौन सी म्युनिसिपैलिटियां है जहां पांच हजार की आबादी है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐसी दो सौ म्युनिसिपैलिटियां गिना सकता हूं। माननीय चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य मेरे बोलने में बाधा उपस्थित न करें। तीन दिन तक तो बार बार खड़े होने पर भी समय नहीं दिया गया और जब आज समय मिला है, तो बोलने नही दिया जाता।

Page No.68

श्री सभापति : आप जारी रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा यही कहना है कि जहां जहां भी छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां सरकार ने कुछ काम नहीं किया और जहां बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटियां बनी हुई हैं वहां सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है और इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पांच हजार की जहां आबादी है वहां म्युनिसिपैलिटी रखने की क्या जरूरत है। ऐसी जगह पंचायत रख दी जाय तो जनता को ज्यादा फायदा है। इस साल भी सरकार ने ऐसी म्युनिसिपैलिटियों को कुछ रुपया दिया है जिनकी आबादी दस हजार है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इनको और पैसा दिया जाना चाहिये । उस गांव में डवेलपमेंट हो सकता है। उस गांव की ज्यादा खूबसूरती हो सकती है। उस गांव के अन्दर ज्यादा कल कारखाने सरकार खोल सकती है। परन्तु उन छोटी म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर कोई भी चीज़ ज्यादा हो नहीं पाती। पैसा नहीं देने से पंचायत के अन्दर तो मिल जावेगा। अगर पंचायत उन गांवों में कायम हो जावेगी, तो पंचायतों को अधिकार मिलने से जनता को तो ज्यादा फायदा होगा। पर जहां पर बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वहां लाखों रुपया सरकार ने खर्च किया है और कर रही है। दिन पर दिन बड़ी बड़ी चीजें खोल रही है। मैं आपको उदाहरण के बतौर बताऊं कि रशिया में

(हंसी)

वहां का उदाहरण बता रहा हूं

(तालियां)

कि वहां १० हज़ार २० हज़ार या पचास हज़ार की पोपूलेशन है, वहीं हैं म्युनिसिपैलिटी और....

श्री मूलचन्द डागा : आपने रूस में कौनसी दस हज़ार की म्युनिसिपैलिटी देखी ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : स्टालिनाबाद देखा, ताशकंद देखा उनके गांव देखे, लेनिनग्राड देखा उसके गांव देखे, उसके कई हिस्सों में मैं गया ।

श्री सभापति : आप अपने अनुभव सुनाइये।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो वहां जहां म्युनिसिपैलिटीज़ कायम हैं वहां पर सरकार की तरफ से सारा इन्तज़ाम है। ज़हां म्युनिसिपैलिटीज़ दस हज़ार से ऊपर है वहां पर क्लेक्टरी और जुडिशियल कोर्ट भी हैं।

एक माननीय सदस्य : हाई कोर्ट नहीं है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : हाई कोर्ट तो वहां होता है जहां ३, ४, ५ लाख की पोपुलेशन होती है, जहां केपिटल बनी है वहां। मॉस्को में केपिटल है तो मॉस्को में हाईकोर्ट है, दूसरी जगह नहीं है, हो नहीं सकती वहां। तो माननीय चैयरमैन साहब, रशिया में जहां क्लेक्टर का दफ्तर हैं, टैक्निकल कॉलेज है, हवाई जहाज उतरने की जगह है वहां म्युनिसिपैलिटीज़ को हर तरह की सुविधा दे रखी है।

(हंसी)

छोटी जगहों पर उनको यह सुविधा दी है कि एग्रीकल्चर के को-ऑपरेटिव फॉर्मस् हैं। वहां

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पर उनके लिए सारी चीजें हैं। सिनेमा भी है। टेक्निकल स्कूलें भी हैं। इस तरह के सब साधन उनको हैं।

श्री भैरोंसिंह : उस सिनेमा में आप भी तो गये थे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : गया था जरूर, पर देखा नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने विषय पर आ जावें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माननीय चेयरमैन साहब, जब फॉरिन कन्ट्रीज़ में इस तरह से होता है तो यहां भी हमें वैसा ही करना चाहिए। रशिया के आधार पर हमने समाजवादी समाज रचना का सिद्धांत अपनाया है और सारे हिन्दुस्तान को पं० जवाहर लाल नेहरू उस रास्ते पर ला रहे हैं तो रशिया आज जो कर रहा है वह आगे जाकर एक दिन हमें भी करना होगा, तो ऐसी हालत में इस म्युनिसिपैलिटी के जितने भी हाउस में बिल पेश हों, तो थोड़ा घना उस बात को लेते हुए बिल पेश करना चाहिए, बाद में दुबारा अमेन्डमेंट लाना और रखना यह तो कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पहले ही हमें ठीक करके लाना चाहिए।

जैसा आज दुनियां में हो रहा है उसको लेते हुए और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में जैसा हो रहा है उसको देखते हुए हमें, उधर के बैठने वाले सदस्यों को तो कम से कम ऐसा मान कर और मिलकर चलना चाहिए कि जैसा हिन्दुस्तान में हो रहा है वैसा यहां करें। और आप दूसरों की बात मानने को तैयार हैं तो आप भी उस ढांचे को बनाने की कोशिश करते हुए चलें जिस ढांचे की तरफ हिन्दुस्तान चल रहा है। राजस्थान को भी उसी ढांचे की तरफ चलना चाहिए। जैसे कि केरल में जो मिनिस्टर हैं वे १० हज़ार पर म्युनिसिपैलिटीज़ कर चुके हैं और पंचायतों के सरपंच होते हैं, उनको भी तनख्वाह देते हैं। यह फ्री काम केवल चेयरमैन म्युनिसिपैलिटीज़ का होता है। पांच हज़ार की आबादी की म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन होगा उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको पास करेंगे और सारे हाउस के मेम्बरों से भी निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रक्खा है उसका जरूर समर्थन करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं नारायणसिंहजी, जो अजमेर से आये हुए हैं........

श्री सभापति : मैं यह निवेदन कर दूं कि संक्षेप में ही माननीय सदस्य अपना वक्तव्य दें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : बहुत थोड़े शब्दों में मैं देने का प्रयत्न करूंगा। उनके अतिरिक्त जयपुर से आई हुई माननीय सदस्या चन्द्रकला हैं उन दोनों के संशोधन का मैं विरोध करता हूं और इसलिये थोड़ा बोलने का हक भी हो जाता है।

श्री सभापति : जरूर।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मेरा यह निवेदन है कि किसी भी ऐसे मामले में जो आबादी के ऊपर हिसाब लगाकर फैसला

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

किया जाता हो वह कट एण्ड साइट (Cut and site) क्राइटेरिया नहीं कायम होना चाहिये। बहुत से ऐसे स्थान भी होते हैं जिनके ऑन दी मैरिट्स पर भी आज वक्त विचार करना जरूरी हो जाता है। कोई ऐसा छोटा कस्बा भी हो सकता है जहां की रियाया ज्यादा एडवान्स्ड होती है जहां बहुत सी संस्थाएं होती हैं और जहां और भी कई बातें होती हैं तो इसके वास्ते एक इस तरह की जो लाइन पक्की निर्धारित कर देना हानिकारक भी होती है।

मैं इसकी नज़ीर के वास्ते दूर नहीं जाकर यहीं पास की जोबनेर की नज़ीर देना चाहता हूं। वहां १२ वर्ष से म्युनिसिपैलिटी कायम है। जिस समय मैं जागीरदार था उस समय ही मैंने वहां म्युनिसिपैलिटी की घोषणा करदी थी और वह कार्यरूप में परिणित भी उसी समय हो गई थी। वह उस समय सात हजार का कस्बा था। अन्दर अन्दर की पोपूलेशन यह थी। बाकी दो हजार इस तरह से थी कि जो आस-पास का दो मील के रेडियस का एरिया था वह भी उसमें शामिल कर दिया था। इस तरह कुल मिलाकर ६ हजार की पोपूलेशन पर वह म्युनिसिपैलिटी थी। इसके खिलाफ बीच के दिनों में उसके बाहर का दो मील का रेडियस का इलाका अलग कर दिया। गांव की आबादी के पत्थर के अन्दर अन्दर के एरिया को उन्होंने म्युनिसिपैलिटी की लिमिट में रक्खा और अब अगर यह संशोधन पास हो जाता है तो जोबनेर की वह १२ वर्ष से की गई सब चीजें बहुत कुछ खत्म हो जाती है। जोबनेर ही नहीं ऐसी और भी कई जगहों की शायद मिसालें मिल सकती है। अब कई महानुभावों ने और एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि रूस में जहां सभी संस्थाएं गवर्नमेंट रन करती है, जहां औषधालय और अस्पताल सरकार रन करती है तो इस तरह से अगर देखा जावे तो वहां जोबनेर में भी एक आर्ट कॉलेज, हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज, एग्रीकल्चर डिस्पेन्सरी और बी० डी० ओ० का दफ्तर तक मौजूद है। जागीरदारी रिज्यूम होने पर इन सबको गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया है। अब अगर यह कट एण्ड साइट लाइन निकल जावेगी तो म्युनिसिपल से होने वाले बहुत से फायदे जोबनेर में तो खत्म हो जावेंगे। दूसरी मिसालों को मैं नहीं कहता। इसका मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए मैंने इनका विरोध किया है। इसमें ऑन दी मैरिट्स होना चाहिये। इसके लिए इस तरह की हार्ड और फास्ट लाइन हमें नहीं स्वीकार करनी चाहिये। मैं यह कहना मुनासिब नहीं समझूंगा पर जब बात आ गई है तो निवेदन कर दूं कि जोबनेर में आज जो शिक्षा की प्रगति है उतनी भारत के बहुत से गांवों और टाउन में २० वर्ष में भी प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा। दूसरे विदेशी देशों में शिक्षा का जो नम्बर है और जो परसेन्टेज है उन यूरोप के गांवों और टाउनों का मुकाबला और बराबरी करने वाले संख्या जोबनेर में मिल सकती है। जहां ७० — ८० एम० कॉम०, एम० एस० सी० आई० एम० ए० मौजूद हो सकते हैं तो म्युनिसिपल के मामले में, शिक्षा के मामले में हमारी यह प्रगति थी। तो इससे इस प्रगति में जरूर दिक्कतें पैदा हो जावेंगी। मेरा तो निवेदन है और बड़े विनय के साथ में कि यह जो दोनों तीनों प्रस्ताव अभी उपस्थित हुए हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, मसूदा से आने

Page No.71

(श्री सोहनलाल भटनागर)

वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या........

श्री सभापति : मैं समझता हूं मेरा निवेदन माननीय सदस्य के ध्यान में होगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर : बिलकुल ध्यान में है, साहब ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनका मैं विरोध करता हूं और इसके विरोध में ज्यादा बोले भी नहीं हैं। अगर हम इस क्लॉज़ के प्रावधान को देखें, तो इसमें यह स्पष्ट है कि यह जरूरी नहीं है कि जो पांच हजार की आबादी वाला स्थान होगा वहां म्युनिसिपैलिटी होगी और कहा गया कि कम से कम डिस्क्रिशन तो गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिए, वह तो पहले से ही मौजूद है ।

दूसरी बात जो वहां के कस्बों और गांवों की अर्थ व्यवस्था के बारे में कहा गया, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो यह कहा गया कि गावों और कस्बों की अर्थ व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं । क्योंकि अगर हम पांच हजार से कम आबादी वाले गांव की पांच हजार से ज्यादा की आबादी वाले गांव से मिलान करें, तो मालूम होगा कि वहां पर कृषक ज्यादा नहीं रहते । कुछ गांवों के बीच में ही ऐसे कस्बे आयेंगे कि जिनकी पांच हजार की आबादी होगी, वहां पर काफी दुकानें होंगी, कारीगर होंगे, वहां पर तहसील भी होगी और ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थान पर कृषकों की संख्या मुश्किल से १० प्रतिशत की होगी और ऐसी सूरत में यह कहना कि गांव की और कस्बे की व्यवस्था एक सी ही है यह मैं नहीं मानता । दूसरा कारण यह बताया गया कि पंचायत की व्यवस्था और म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था में काफी अन्तर होगा और पांच हजार की आबादी वाले जितने कस्बे होंगे वह आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं होंगे । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सारी म्युनिसिपैलिटियों के बारे में देखें तो मालूम होगा कि जितनी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ होंगी वहां की अर्थव्यवस्था उतनी खराब होगी और जितनी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ होंगी वहां की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी । जितनी भी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ मौजूद हैं उनके बारे में कहा जा रहा है काफी अच्छी तरह से वह काम कर रही हैं । परन्तु सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वह कार्य कर रही हैं, तो सरकार की सहायता से, सरकार की आश्रित होकर कर रही हैं ......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऐसी बात नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : अजमेर की नहीं कह सकता । लेकिन जयपुर, जोधपुर आदि जगह ले लीजिए । जितनी भी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वह सरकार की सहायता से चल रही हैं । आज जो सड़कें हम देखते हैं, दूसरे नालियां देखते हैं वह सारी की सारी कर्जे से लेकर की गई हैं । यह कर्जा और सहायता यदि छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ को दिया जाय तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं और मेरा निश्चित मत है कि यह छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ भी ठीक तरह से कार्य कर सकती हैं । माननीय चेयरमैन महोदय, मैं एक बात

(श्री मोहनलाल भटनागर)

और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि पांच हजार की आबादी वाले कस्बों में म्युनिसिपैलिटीज़ नहीं रखी गई और उनको ग्राम पंचायतों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो एक मनोवैज्ञानिक कारण बहुत बड़ा होगा, इससे वहां की अर्थव्यवस्था में और जो वहां विकास के कार्य चल रहे हैं उन पर काफी असर पड़ेगा। कहा गया कि ग्राम पंचायतें और कस्बों की म्युनिसिपैलिटीज़ में कोई अन्तर नहीं है। माननीय चेयरमैन महोदय, सभी को मालूम होगा कि बहुत ही कम ग्राम पंचायतें ऐसी होंगी जिन्होंने ऑक्ट्राइ लगा रखी हो, हाउस टैक्स लगा रखा हो। अगर हम म्युनिसिपैलिटीज़ के प्रावधानों को देखें तो मालूम होगा कि इसमें कुछ टैक्सेज़ हैं उनको ऑब्लीगेटरी कर रहे हैं जैसे हाउस टैक्स है। ऐसे टैक्सेज़ को बिलकुल कम्पलसरी कर रहे हैं। तो यदि बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ में यह टैक्सेज़ लगेंगे तो छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ में भी यह टैक्स लगेंगे और इसके द्वारा उनको आमदनी बढ़ेगी। तो, माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित बात है कि ग्राम पंचायत होती हैं, यह टैक्स नहीं लगाने के कारण उतनी सुदृढ़ नहीं होतीं क्योंकि उनके पास कोई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां पहले ग्राम पंचायत थी और तीन वर्ष पहले ही वहां म्युनिसिपैलिटी हुई और म्युनिसिपैलिटी बन जाने के बाद वहां पर ऑक्ट्राई लागू की गई, दूसरे टैक्स लगे और जहां पहले उसकी आमदनी तीन हजार थी वहां अब म्युनिसिपैलिटी होते ही बीस हजार हो गई, सात गुना आमदनी बढ़ गई। माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित मत का हूं कि यदि वह ग्राम पंचायत ही रहती तो यह कार्य नहीं हो सकते थे, जो आज वहां हो रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि आज बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ को सरकार सहायता देती है। म्युनिसिपैलिटीज़ को १० आने एक आदमी के पीछे सहायता दे रही है और बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ ८ आने दे रही हैं। यह मदद ग्राम पंचायतों को नहीं दी जा रही है। इसी तरह से सड़कों के लिए प्रावधान रखा गया है। आज जो पहले राजधानियां थीं और जहां बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको सड़कों के लिए सरकार सहायता दे रही है। लेकिन छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ को बहुत छोटी रकम दी जा रही है, फिर भी वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगर आज वहां पर ग्राम पंचायतें होतीं तो यह नहीं हो सकता था। एक कारण यह बताया गया कि वहां पर ब्लॉक एरिया नहीं होते इसलिये ब्लॉक का जो फायदा होता है वह पांच हजार तक की आबादी वाले कस्बे को नहीं पहुँचता। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को, जो बलवंतराय मेहता कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट की ओर दृष्टिपात करने के लिये कहूंगा कि उसमें यह नहीं लिखा है कि पांच हजार से दस हजार की आबादी वाली म्युनिसिपैलिटीज़ को बन्द कर दिया जाये। उन्होंने लिखा है यह चीज गलत है कि दस हजार तक की आबादी वाली म्युनिसिपैलिटीज़ को ब्लॉक एरिया का फायदा नहीं दिया जाता। दस हजार तक की आबादी वाली म्युनिसिपैलिटीज़ में से एक मेम्बर को ब्लॉक कमेटी में लिया जाय। जो गड़बड़ियां थीं वह म्युनिसिपैलिटीज़ में नहीं थीं वह व्यवस्था में थीं। यदि इसमें सुधार कर देते हैं, तो फिर प्रश्न कहां उत्पन्न होता

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हैं कि ब्लॉक का कायदा ऐसे कस्बों को नहीं मिलेगा।

दूसरी बात, व्यवस्था के लिए कहा गया है कि न्याय सस्ता और सुलभ प्राप्त नहीं होता। ग्राम पंचायतों को न्याय के अधिकार दिये गये हैं इसके अलावा दूसरे अधिकार सफाई आदि के वह तो ग्राम पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटीज़ को बराबर के हैं। सिर्फ न्याय के अधिकार ग्राम पंचायतों को ज्यादा हैं। सभापति महोदय, इसमें मेर मत है कि यदि ग्राम पंचायतों को न्याय के अधिकार दे सकते हैं तो क्यों नहीं म्युनिसिपैलिटीज़ को इसका अधिकार देने की कोशिश करें। न्याय की व्यवस्था के बारे में हम सोचें और दूसरे प्रदेशों के लिए भी इसके बारे में अग्रणी हो सकें, तो उचित होगा वरना जहां पांच हजार की आबादी में पहले से ही न्यायालय मौजूद हैं वहां गड़बड़ी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। सिर्फ गड़बड़ी वहां होगी जहां न्यायालय नहीं हैं। तो इस छोटी सी बात को लेकर जो छोटे छोटे कस्बे हैं और वहां के रहने वाले जब जिला हैडक्वार्टर्स की हालत को देखते हैं तो उनके मन में भी यह उत्पन्न होता है कि क्यों नहीं हम भी उनके माफिक काम करें, क्यों नहीं हम उनके माफिक टैक्स लगायें और अपनी अर्थ व्यवस्था को बढ़ायें। मैं सरकार से, माननीय सभापति, यही कहूंगा कि जो व्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही है वह बिलकुल उचित है और जो आठ हज़ार और नौ हजार की बात कही गई है वह निर्मूल है और उन कस्बों को भी शहर के रहने वाले लोग यह माने कि उनको भी शहर के माफिक लाने का मौका देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज के ऊपर, चेयरमैन महोदय, काफी देर से बहस चल रही है। सब हाल यह है कि वैसे तो इस क्लॉज के अन्दर सरकार को काफी डिस्क्रिशन दिया गया है। यह पांच हजार की आबादी के ऊपर यह मतलब नहीं है कि ५ हजार की आबादी के बन गये, लेकिन फिर भी जो डिस्क्रिशन दिया जाय सदन की तरफ से उसके ऊपर तो जो गौर हो रहा है उसके विषय में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

सवाल यह है कि म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत की हदबन्दी कहां हो और दोनों चीजों को अलग करने के लिए कोई वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। आबादी १० हजार, ११ हजार या ५ हजार के ऊपर हो इसके लिए कोई कारण होना चाहिए जिनकी वजह से सदन अपने लिए यह तय कर सके कि यह आबादी की जो बात है, यह आबादी कितनी ज्यादा ठीक होगी म्युनिसिपल कमेटी बनाने के लिए इसके लिए मैं आपके सामने कहूंगा कि सैंकड़ों वर्ष पहले गांव गांव ही थे, शहरों की कमी थी। कहा तो ऐसा भी जाता है कि गांव ईश्वर ने बसाये और शहर शैतान ने बसाये। शहरों के अन्दर अपनी समस्याएं पैदा होती हैं और वह क्या समस्याएं हैं जो पैदा होती हैं कि म्युनिसिपल कमेटी को उनके अनुसार करना पड़ता है। एक गांव के अन्दर लोगों को नाइट साइल उठाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। वह लोग अमूमन खुली जगह में, अच्छी जगह में सुबह सारे काम को करते हैं, लेकिन शहरों में शहर के घर घर में टट्टी बनी होती है वहां वे जाते हैं। एक आदमी को पेट्रोल नहीं मिलता हो, लेकिन टट्टी को लादकर पेट्रोल के द्वारा बाहर पहुंचाया

(श्री ज्वालाप्रसाद)

जाता है। तो उनके अन्दर, दोनों के बीच में, क्या लाइन हो यह सदन को तय करना है। सरकार से, इस क्लॉज पर जितनी बहस हुई है उसको देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इसको डेफर कर दे और इसके ऊपर आपस में इस तरह की कमेटी बनी हुई है, उसमें विचार करके इस क्लॉज को बनाया जाय, इस पोपुलेशन के प्रश्न को सोचा जाय। इसमें जल्दबाजी करने में गलती होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है मिनिस्टर साहब से।

लेकिन मैं इस बात को मानने वाला हूं कि आबादी के साथ साथ जो स्टेट्यूटरी ड्यूटीज़ हैं कि यह काम म्युनिसिपल कमेटी को करना है और उसमें साफ तौर से यह मालूम हो कि यह ज़िम्मेदारियां एक म्युनिसिपल कमेटी की होंगी, तब वह ज़िम्मेदारियां किसी जगह उठा सकते हैं, कितनी पोपुलेशन के ऊपर वह ज़िम्मेदारियां हों ? जो ज़िम्मेदारियां लाद दी जायें उसके ऊपर क्या आबादी होनी चाहिए, जैसा कि एक क्राइटेरिया राव साहब मसूदा ने बताया कि इन्कमटैक्स से यह पता लगाया जाय कि उस गांव की हालत क्या है ? उसकी माली हालत क्या है ? वह किस तरह से बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आबादी के सवाल के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देता हूं, लेकिन ५ हज़ार की आबादी के लिए कहना बहुत गलत होगा। उसके दो कारण हैं। एक तो यह कि यह बहुत स्टीरियोटाइप एक्ट हैं जो कि वर्षों से चला आ रहा है, वर्षों से पेंन्डिग है इस सदन के सामने। उसके सामने जो बदलावट हुई है, सामाजिक जीवन में जो बदलावट हुई, दूसरी तरह से प्रगति के अन्दर जो देश के अन्दर, गांव के अन्दर चल रही है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी में काम चलता है उन सब चीज़ों का इसमें ड्राफ्टिंग वर्षों पहले हुआ था, इस वजह से पूरी नहीं आ सकी और दूसरी चीज़ों की दिक्कतें आती जाती हैं, जैसे कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर है। मैं सरवाड़ के अन्दर गया तो मालूम हुआ कि वहां पर म्युनिसिपल कमेटी है, तो मैं बतलाना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कमेटी होने की वज़ह से तथा उसी आबादी के दूसरे गांवों में पंचायतें होने की वजह से योजना के अन्दर उनको जो फायदा मिलना चाहिए वह फायदा नहीं मिला, क्योंकि छोटी म्युनिसिपैलिटी को चूंकि वहां पर म्युनिसिपल कमेटी है, इसलिए शहर मान लिया जाता है और शहरों के बारे में एक तरह का वातावरण पैदा हो गया है जिसके अन्दर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं शहर और गांव के इस तरीके को सोचना गलत मानता हूं। शहर अपनी जगह है, बल्कि शहर में जो लोग रहते हैं वे भी राजस्थानी हैं, गांव में जो लोग रहते हैं वे भी राजस्थानी है। शहर और गांव में इतना बड़ा फर्क नहीं है। बाप गांव में रहता है तो बेटा शहर में रहता है। शहर अपने आप नहीं बन गये। आज से दो साल पहले यह ढाई लाख का शहर था और आज साढ़े चार पांच लाख का हो गया है उसकी कोई वजह होगी। जहां काम बढ़ता है, लोग वहां इकट्ठे होने लगते हैं अपनी रोजी के लिए। उसकी समस्या इस तरह से बढ़ती चली जाती है। बढ़ती हुई समस्या के लिए जरूरी होता है कि उसका इन्तजाम हो। एक बड़ी पर्सोनेलिटी ने एक किताब लिखी है उन्होंने एक लेबर मूवमेंट चलाया जिसमें उन्होंने स्वायत्त शासन संस्थाओं के जरिये सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया

(श्री ज्वालाप्रसाद)

एक सैद्धान्तिक रूप से । एक सिद्धान्त की तरह आप देखें तब तो फाइनेन्सेज और जो वहां के लोगों की देने की ताकत है उसके अन्दर सामन्जस्य करके म्युनिसिपल कमेटी को करें, तो कोई सरकार से मदद लेने की आवश्यकता नहीं हो । इस तरह की म्युनिसिपल कमेटी होनी चाहिए । म्युनिसिपल कमेटियों को आज सहायता देने का प्रश्न उठता है । मैं कह सकता हूं कि उसका कारण यह नहीं है कि सरकार कोई दान करके देती है, बल्कि उसका कारण यह है कि यहां की स्वायत्त संस्थाओं की जो स्थिति रही है कि पहले जो देशी राज्यों में कस्टम लगा था, उसकी आमदनी होती थी उससे आमदनी होती थी, उससे राजा लोग शहरों को बढ़ावा देते थे । देशी राज्यों में एक वक्त था कि कई शहरों में आने जाने में टैक्स लगता था । उसकी वजह से, कस्टम की वजह से आमदनी देने की प्रथा चल गई । इसलिए म्युनिसिपल कमेटी के अपने खुद के रिसोर्सेज़ फाइनेन्सेज़ के देशी राज्यों में नहीं हैं । अब जब संविधान के मातहत देश एक हो गया उसकी वजह से यह दिक्कत पैदा हुई है । जब तक कि यह ट्रान्जक्शनल पीरियड है जिसके अन्दर सरकार को स्वयं अपने यहां का काम काज चलाने के लिए कुछ म्युनिसिपल कमेटी को सहायता देनी पड़ती है ।

अब मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं । इस मसले के ऊपर कि ५ हजार हो या ११ हजार हो इस चीज को ज्यादा जल्दबाजी में तय करना ठीक नहीं होगा । उसके लिए जरूरी है कि गांव या शहर के एक दूसरे के फंक्शन्स में झगड़ा नहीं होना चाहिए । एक जगह जहां कि वह मिलता है उसको लेकर सफाई होना जरूरी है, लेकिन उस डिस्क्रिशन का दुरुपयोग सरकार से हो ऐसी आशंका हो सकती है । इसलिए जरूरी यह है कि इस मामले में गांव की तरक्की हो, इसमें कोई शुबाह नहीं है, गांव के लोगों के अधिकार हों, मैं तो यहां तक कहता हूं कि पंचायतों को म्युनिसिपल कमेटी से बहुत ज्यादा अधिकार हैं । और ज्यादा अधिकार से मेरा मतलब यह है कि माल वसूल और दूसरी चीजें करने के उनको अधिकार हैं, उनको जुडिशियल अधिकार मिले हुए हैं । परन्तु म्युनिसिपल कमेटी को ऐसे कोई अधिकार नहीं हैं । म्युनिसिपल कमेटीज की स्टेच्युटरी ड्यूटीज के अन्दर शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, हैल्थ, सफाई और इस तरह से और भी कितने ही हैं; जैसे ट्रैफिक, ट्रैफिक की पुलिस म्युनिसिपल कमेटी को दी जा सकती है । दूसरे मुल्कों में ट्रैफिक की पुलिस म्युनिसिपल कमेटीज को दी गई है, जिससे कि अपनी व्यवस्था चलने फिरने की वह आप करें । जिसके अन्दर सरकार का कोई लेन देन नहीं हो, ऐसे जितने फंक्शन्स जो सरकार करती है उन फंक्शन्स को म्युनिसिपल कमेटीज को देना चाहिए जिससे कि वहां के लोग खुद अपने आप वहां का प्रबन्ध करें । वह एक शिक्षा की जगह है जिसके अन्दर लेजिस्लेचर में, असेम्बली में आने वाले लोगों को प्रजातन्त्र के अन्दर शिक्षा मिलती है । उनकी स्थिति के अन्दर अगर गौर के साथ और सही तौर से डिसीजन न करेगा, तो उसके रिपरकुशन्स इस सदन पर पड़ने वाले हैं । यह सब चीज ध्यान में रखें कि ट्रेनिंग ग्राउन्ड के अन्दर किस तरह का कानून दें कि जिस कानून के अन्दर शुद्ध ढंग से प्रजातन्त्र के शाइनिंग स्टूडेन्ट्स तैयार हों जो आगे बढ़कर प्रजा और सरकार पर असर डालें और नैतिक कारणों से और

(श्री ज्वालाप्रसाद)

दूसरे कारणों से अपने नेतृत्व को कायम करके, चुन करके यहां आता है। इसका दायरा नीचे के चुनावों को कराना होता है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इस क्लॉज़ का बहुत बड़ा महत्व है।

इसलिये और भी जरूरी हो जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं फिर मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि इस पर वोटिंग हो उसके बजाय जैसा पिछली दफा डेफर करके, सब की राय लेकर सोचने का मौका दिया था, वैसे ही इसको भी डेफर किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन लेता हूं।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, मैं जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या डॉ० चन्द्रकला ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं। उस संशोधन में उन्होंने बताया है कि ५,००० हज़ार की जन संख्या के बजाय ६००० की आबादी तक के जितने भी गांव हैं उनमें म्युनिसिपेलिटी कायम नहीं की जायेंगी तो अच्छा रहेगा।

यह हिन्दुस्तान हमारा देश, गांवों का देश है, शहरों वाला देश नहीं कहा जा सकता इसलिये यह निश्चय है कि हमें गांवों का उत्थान ज्यादा से ज्यादा करना है। हमें यह देखना है कि जो गांव ५ हजार या ७ हज़ार की आबादी के हैं उनमें इस प्रकार की म्युनिसि-पेलिटीज़ कायम करदी जाती है, तो उन गांवों का उत्थान नहीं होता है क्योंकि छोटे गांव में म्युनिसिपेलिटी कायम करने से वहां के किसान और अन्य निवासियों पर टैक्स लगाते हैं, तो वे किसान जहां रहते हैं वे किस प्रकार हाउस टैक्स देंगे, ऑक्ट्रोय किस प्रकार देंगे जब कि वे अनाज अपने घर में रखते हैं, इस प्रकार जो मदद मिलती है वह नहीं के बराबर है। अभी मोहनलालजी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि बड़े बड़े शहरों में जो म्युनिसिपेलिटीज़ हैं वे राज्य सरकार की मदद से चलती हैं तो, सभापति महोदय, हमें बराबर सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े शहर जहां हाउस टैक्स, ऑक्ट्रोय आदि से आमदनी होती है, क्योंकि बड़े शहरों में सामान भी काफी आता है वे भी अपनी अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं रख सकते और सरकार की सहायता पर आधारित रहते हैं, तो यह सोचना होगा कि छोटे गांवों को किस प्रकार बचाया जाय।

हमारी सरकार गांवों में विकास खंड खोल रही हैं और गांवों का विकास योजनाओं द्वारा कर रही हैं, छोटे छोटे गांवों का उत्थान विकास खंडों द्वारा किया जा रहा है, गांवों की गलियां ठीक की जा रही है, पंचायतें कायम हो रही हैं वे लालटेन लगाकर गांवों में रोशनी कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि राजस्थान सरकार ने जल बोर्ड स्थापित करके गांवों में कूएं पीने के पानी के लिए बनाये हैं। लेकिन जिन गांवों में ५ हजार या इससे ऊपर की आबादी थी और जहां म्युनिसिपेलिटीज़ बनादी, वे पिछड़े हुए रह गये। मेरे इलाके में राजाखेड़ा एक गांव है जिसकी आबादी ६ हजार की है, इसके पास ही एक एक दो दो मील पर मुजरजत हैं। जो आस पड़ोस में मुजरजत लगते हैं वे दस दस बीस बीस घरों के गांव होते हैं उनको उसके साथ मिला दिया, इससे वहां के किसानों को आये दिन मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कोई बैलों के लिये चारा घर बनाता है। खेत में गड्ढा खोदता है, तो भी उनको आये दिन मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात श्री पुरुषोत्तमलालजी ने बताई।

(श्री सूबेदारसिंह)

थी कि न्याय आज मंहगा हो गया है। वहां पर रहने वाले लोग तहसील, सब डिविज़नल ऑफिस तक दौड़ कर जाते हैं। जहां पंचायतें कायम हुई हैं वहां पर न्याय सस्ता होता जा रहा है, इन सब बातें को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्या ने जो संशोधन पेश किया है कि ५,००० से ६,००० की आबादी तक के कस्बों में म्युनिसिपैलिटी कायम न करके पंचायतें कायम की जायं ताकि उन गांवों का विकास हो सके और उनको भी इसके लिये मदद मिले सके।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) :

Mr. Chairman, Sir, I take this opportunity to express my views over this amendment. This amendment, Sir, is an amendment of far reaching consequences. It relates to those consequences which are likely to affect the vast population of the people of Rajasthan. We have been saying that we are making progress towards the socialistic pattern of society. We are going to make changes in the society in the economic, social and other spheres and for the prosecution of that object we are having various projects. We are having various experiences in our life-political, economic and social. For this end we are divided into two specific classes, just as the trend of the discussion of the Honble Members of this House is for the urbanisation or the ruralisation of the population. We see that by the Panchayat Act and the Municipalities Act, the population is divided into two sectors and by this we see a clear division in the population. While on the one hand we see that in the Panchayat governed areas or in the areas where population lives in towns or in villages with less than 5000 population, the people of that area enjoy various facilities. They enjoy the benefits of the various project schemes, they enjoy the benefits of the various developmental programmes. They are benefited by various educational, social and other activities. But in municipal areas the people are not benefited by these programmes. We have to see the clear difference of conditions of these populations. We admit Sir, that Panchayat area is a part of the administrative machinary of the Government, while Municipalities are not so, they do not enjoy such privileges as those of chief Justice and of other administrative powers. The Municipalities are only self-governing bodies. Thes municipalities have been directed to impart education, to manage their health affairs and maintain their own police as has been observed by other members. But may I ask, Sir, how many Municipalities are there who are running schools, who are running medical centres, and who are maintaining their own police etc. ? I see ther is none in Rajasthan. There is a clear cut difference between the economic and social life of the resident of the Municipalities and of the Panchayats. This amendment, if we accept, is going to make a very vital difference in our life and that difference will be

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

this that the municipalities which are practically in a dying state are being fed by spoons by means of grants-in-aid by the Government. Most of the municipalities of the areas of 5000 population are practically closed, there is no income with them inspite of the fact that they have imposed house-tax and other taxes. What is the reason behind it ? The reason is that the economic conditions of the people of those areas is poor and in no way differ from those of the people residing in villages and the municipalities look to the Government for their aid and when the aid is given to them at the end of the financial year, all the arrears of the municipal employees and their pays are paid out of this grant-in-aid. This is the condition of municipalaties in Rajasthan.

So we have to see that by adopting this amendment, i.e. raising the population to 9000 for a municipality, we will be making this vital difference. We will be extending those amenities which are being enjoyed by villages to the populations upto 9000. The municipalities with populations of 5000 or below 10,000 are not attracting people. We are seeing that the towns of populations of 5000 to 10000 are being deserted and the population of these towns is going to the cities. So I think this is a major question of policy and by adopting this amendment, the Government will be extending these facilities as have been pointed out by the Balwant Rai Mehta Committee which we have discussed. All those facilities will be extended to populations upto 9000 or so. So the Government has to make a very vital decision over this and I think if the Government takes a decision of accepting this amendment as has been tabled, it will be extending these facilities or these amenities to the people residing in the areas upto 10,000 of the population.

So we have to see that the Socialistic pattern to which we are heading has to be materialised in economic and social aspect and that can only be done if we extend these amenities to the populations upto 9000 or 10000. This amendment is of far reaching consequences and I think while taking a decision, the Government will have to take a major policy decision which will be very decisive to the attainment of the goal of socialistic pattern. I think there are sufficient grounds and there is enough force that we should accept this amendment if not now, after defering the clause. We should take a final decision about it because all through, the people residing in villages and Urban areas have been looking to this opportunity of getting the benefit of the developmental and project plans activities which they have been denied hitherto.

श्री गोरधन सिंह : सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले....

श्री सभापति : ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज़ !

१२ मध्याह्न

श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : माननीय चेयरमैन साहब, यह संशोधन जिस रूप में आया है, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। सवाल एक पैदा होता है कि हमारे सामने एक तो म्युनिसिपैलिटी की सफलता या असफलता का प्रश्न है और पंचायत के अन्तर्गत या म्युनिसिपैलिटी के अन्तर्गत, जो एरिया पांच हज़ार की आबादी से कम है, उनको रखे जाने का प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को बहुत गम्भीरता से विचारना है। मेरी समझ में तो यह आता है कि जो पंचायत के नियम हैं, जो कानून हैं, उस कानून के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं, और म्युनिसिपैलिटी के जो कानून हैं, उस कानून के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, एक बहुत जबरदस्त फर्क है। म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अन्दर हमें कुछ ऐसे नियम मिलते हैं, जिनके अन्तर्गत मकान बनाने के प्रॉवीज़न हैं, नियम या उप-नियम बनाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसे प्रावधान पंचायत एक्ट में नहीं हैं। म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अन्दर चेप्टर ४ के अन्दर सेक्शन ८० के अन्तर्गत नियम, उप-नियम बनाने के, छोटी-छोटी बातों के, जैसे स्लॉटर हाउस हैं, नियम बनाने का अधिकार है। ये नियम बनाने का अधिकार पंचायत एक्ट में नहीं मिलता है। तो पहला सवाल है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के अन्दर बहुत बड़ा फर्क है, एक अन्तर है। पंचायत मुकदमा तय करती है, एक न्यायालय का काम करती है, इस कारण से गांव के अन्दर पंचायत डवेलपमेंट का काम नहीं कर सकती, जितना म्युनिसिपैलिटी कर सकती है। एक म्युनिसिपैलिटी के पास केवल उस जगह की सफाई रखने का, वहां रोशनी देने का प्रबन्ध करने का प्रश्न होता है। आपने जैसा कहा कि हमारे राजस्थान की म्युनिसिपैलिटी का काम होना चाहिए प्राइमरी एज्युकेशन देने का, मेडीकल फेसीलिटीज़ देने का होना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान में आज जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, वे ३० हज़ार, ३५ हज़ार की जन संख्या के ऊपर हैं, लेकिन वे नगर पालिकाएं इस प्रकार के काम नहीं करती। वे केवल अपने को उस जगह की सफाई और रोशनी में सीमित रखती हैं। मैंने कई जगह देखा है कि किसी कस्बे में या छोटे छोटे टाउन्स में

१२·३. म.प.

(श्री रामचन्द्र, सभापति पदासीन)

म्युनिसिपल कमेटी हैं, वहां के लोगों की जो स्थिति है, वह कई टाउन में इतनी विकसित होती है और वे अपने छोटे से क्षेत्र में इतना काम करते हैं, नगरपालिकायें इतना काम करती हैं कि जिसे ३० हज़ार, ४० हज़ार की आबादी वाली म्युनिसिपल कमेटियां भी करने में असमर्थ होती हैं ! मेरे ज़िले में मैंने एक दो म्युनिसिपैलिटी देखी हैं, जिनका क्षेत्र पांच, छः हज़ार की जन संख्या से ज्यादा नहीं है, उस एरिया के लोग इतनी अच्छी व्यवस्था और इतने अच्छे ढंग से काम कर देते हैं, जितनी बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटी, जो ३० हज़ार और ४० हज़ार की जन संख्या वाली हैं, वे भी नहीं कर पातीं। मैं जयपुर की जोधपुर की बात कह सकता हूं। ये म्युनिसिपैलिटीज़ कितने कर्जे से दबी रहती हैं, इनकी कितनी अव्यवस्था रहती है, आज स्लम पैदा हो जाते हैं, अगर इन म्युनिसिपैलिटी को सरकार आर्थिक सहायता नहीं दे पाती, तो मेरे ख्याल से कि ये बड़े शहर की म्युनिसिपैलिटी टोटली पूर्ण रूप से, फेल्योर साबित होती और हो रही हैं। तो आपकी यह मन्शा कि छोटे छोटे

(श्री मूलचन्द डागा)

क्षेत्रों को म्युनिसिपैलिटी नहीं मिलनी चाहिए, यह खामख्वां की तकरीर है, दलील है, जो कि स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। मैं कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी एक्ट और पंचायत एक्ट में काफी अन्तर है। पंचायत एक्ट का उद्देश्य और भावना यह है कि गांव में जो छोटे छोटे मुकदमात हर रोज, रोजमर्रा के मुकदमात होते हैं, उनके लिए ग्रामीण लोग बड़ी बड़ी कोर्टस् में न जाकर....सभापति महोदय, मैं अर्ज़ करूंगा कि बातें हो रही हैं, उनसे डिस्टर्बेन्स होता है....माननीय सभापति, बातें हो रही हैं....

श्री सभापति : आप भाषण जारी रखिये, आप बातें बन्द कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : पंचायत के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स हैं, वह यह है कि गांवों के अन्दर जो छोटे छोटे मुकदमात होते हैं, उन मुकदमात को आपस में बैठ कर, पंचायत निपटारा कर देती है और केवल गांव की सफाई आदि करवा देते हैं, इसके लिए वे कुछ कर्मचारी रखते हैं, और उनके द्वारा गांव की सफाई करवा देते हैं। इस प्रकार म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, इन दोनों में रात दिन का अन्तर है। म्युनिसिपैलिटी एक प्लान बनाती है, उनके पास एक डवेलपमेंट की नीति होती है कि किस प्रकार किस कस्बे का विकास किया जाय। आपने म्युनिसिपैलिटी और पंचायत एक्ट, दोनों को हल्के ढंग से पेश कर दिया, लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है। संशोधनकर्त्ता एक बात कह देते हैं। लेकिन न उनके पास कोई योजना है और न मार्ग है। सिर्फ आपने कह दिया कि पांच हज़ार की आबादी से कम वाले क्षेत्र हैं, उनको पंचायत को दे दिया जाय, लेकिन यह भी दबती हुई ज़बान से कह दिया है, लेकिन कोई रूप नहीं है, कोई तरीका नहीं, जिस तरीके से चाहते हैं। आप पांच हज़ार की आबादी से कम वाले क्षेत्र को पंचायत को दे देते हैं, क्या पंचायत के किसी नियम के अन्दर यह है कि वे प्लानिंग कर सकते हैं, उस कस्बे का विकास कर सकते हैं। सिर्फ यह प्रिन्सिपल है कि हमारे शहरों की आबादी घनी हो गई है, उसे हम गांवों में ले जाना चाहते हैं और इसके लिए हम गांवों के अन्दर कई महकमें खोलना चाहते हैं जिनके द्वारा विकास की योजनाओं पर पैसा खर्च हो, इसको पूरा करने के लिए एक मामूली सा तरीका है कि हम केवल इतना अमेंडमेंट कर दें कि ऐसी म्युनिसिपैलिटी को, जिसके क्षेत्र में आबादी पांच हज़ार या १० हज़ार से कम है, को भी विकास योजनाओं के अन्दर सम्मिलित कर लिया जायगा, तो यह प्रश्न हल हो जाता है। एक और सवाल पैदा होता है कि विकास योजनाओं के अन्दर म्युनिसिपैलिटीज़ खर्च नहीं कर पाती। मैं इसके लिए अर्ज़ करता हूं कि अगर सरकार यह नीति अख्तियार कर लेती है कि जो १० हज़ार से कम आबादी की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उनमें विकास के लिए जो विकास योजनाओं पर खर्च होगा, वह सरकार द्वारा किया जायगा, तो इस प्रश्न को भी सहूलियत से हल किया जा सकता है।

अब मैं एक पंचायत के अन्दर बता सकता हूं कि पंचायतों के रोज़मर्रा के झगड़ों में आपस में तनातनी होती है और मुकदमे बाजी होती है, वहां लोग एक दूसरे से खिंचे रहते हैं, क्योंकि उनका इन्ट्रेस्ट होता है और विकास की ओर नहीं देख सकते पर म्युनिसिपैलिटीज़ में ऐसी बातें नहीं हुआ करती,

(श्री मूलचन्द डागा)

क्योंकि न तो वहां इस प्रकार के मुकदमात होते हैं, जिनके कारण उन्हें लड़ना झगड़ना पड़े और म्युनिसिपैलिटीज़ का काम होता है कि कस्बे की स्वच्छता और विकास का ध्यान रखें।

दूसरा खर्चे का प्रश्न रखा गया, म्युनिसिपैलिटीज़ को सेल्फ सफिशियेन्ट बनाने का सवाल है, वह प्रश्न आपने पैदा किया। टाउन में एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी चलती है, वहां यह जरूरी नहीं है कि वहां एग्ज़ीक्युटिव ऑफीसर रहे ही और जो जो स्टाफ बड़े शहर की म्युनिसिपैलिटी के लिए रखा जाता है, वह छोटी म्युनिसिपैलिटी के लिये भी रहे। जहां खर्चे की व्यवस्था का सवाल है वहां एक छोटीसी म्युनिसिपैलिटी होती है तो आसानी से चेयरमैन और मैम्बर हैं वे काम कर गुजरते हैं। तो ऐसी हालत में उनके खर्चे का प्रश्न पैदा नहीं होता, अपने खर्चे का प्रश्न छोटे छोटे तरीकों से निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टैक्स लगा कर काम निकाल सकते हैं, तो यह संशोधन करने के बाद यह असर होगा कि राजस्थान में जो छोटी छोटी नगरपालिकाएं काम कर रही हैं, वे अपने काम से वंचित हो जायेंगी और कस्बों की हालत और बिगड़ेगी, जिन कस्बों में म्युनिसिपैलिटीज़ आज चालू है, सरकार की थोड़ी सी आर्थिक सहायता मिल जाती है, तो वे नगरपालिकाएं पनप सकती हैं, मगर इस तरह तो आप इनको और पीछे ले जायेंगे, पंचायतों में ले जायेंगे तो उनके अन्दर विकास और प्लानिंग योजनाएं लागू नहीं होंगी, तो हमें जरूरत नहीं कि इस संशोधन को मानें। अगर ५,००० की म्युनिसिपैलिटियां काम नहीं कर पायेंगी तो वे अपने आप कह देंगी कि हम काम नहीं चला सकते, तो और प्रकार से काम किया जायगा। मगर इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लछमणगढ़) : जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने एक संशोधन तो यह रखा है कि म्युनिसिपल एरिया की सीमा २ मील से हटाकर एक मील कर दी जाय और दूसरा संशोधन यह रखा है कि म्युनिसिपैलिटीज़ की जन संख्या ५ हजार से बढ़ा कर ६ हजार कर दी जाय। मैं यह जो संशोधन २ मील से एक मील करने का रखा है, उसका समर्थन करना चाहता हूं। राजस्थान में जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनका एरिया यदि दो मील दूर तक कर दिया गया तो बहुत से गांव उस एरिया में आ जायेंगे और इस प्रकार वे गांव जो शहर से पास में लगते हुए हैं, जो अपने आपको अलग समझते हैं और शहरों में जो टैक्स लगे हुए हैं उनसे वे मुक्त हैं, पर ज्योंही दो मील एरिया बढ़ा दिया तो उनके लिये नाना प्रकार की आफतें खड़ी हो जायेंगी। हमारे सीकर में कई गांव, जैसे पुरोहितजी की ढाणी है वह म्युनिसिपल एरिया से आधा मील दूर है, लेकिन दो मील एरिया बढ़ा तो शहर में जो दिक्कतें हैं बसने करने की वह उन्हें हो जायगी। वह म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर पहुंच जायेंगे और उनके घरों के पट्टे नहीं हैं। इस तरह से १६ गांव दो मील के एरिया में आते हैं और उन १६ गांवों को तो ज्यों ही वे म्युनिसिपल एरिया में गये कि उनको मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आज वे पंचायत में हैं और पंचायतों से जो सुविधा उनको मिलती है, उनका उपयोग करते हैं वहां से फिर उनको हटना पड़ेगा और म्युनिसिपैलिटी में आना पड़ेगा और इस तरह उनको अपनी गाड़ियों, ऊंटों और घरों के

(श्री किशनसिंह)

टैक्स देने पड़ेंगे और घरों के तथा गवाड़ियों के नक्शे, पट्टे वगैरह की नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो २ मील के स्थान पर १ मील करने का प्रस्ताव रखा है, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक मील की बजाय आधा मील कर दिया जाय, तो बहुत अच्छा होगा, शहरों से अलग ही इन आबादियों को रखा जाना चाहिये क्योंकि जमाने की मांग है कि शहरों को अधिक बड़ा नहीं कर के शहरों का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये, शहरों की आबादी बढ़ाने से रोकना चाहिये। दो मील का एरिया कर के आप शहरों को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसे रोकना चाहिये। तो इस संशोधन का मैं समर्थन करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि दो मील से एक मील का संशोधन इसमें रखा है वहां एक मील से भी आधा मील कर दिया जाय। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें। दो मील का एरिया बढ़ाने से राजस्थान में बहुत से व्यक्तियों को तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज शहरों में भी जो किसान हैं वे यह चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी एरिया के बाहर चले जायं, लेकिन जमीनें मिलने में दिक्कतें हैं इसलिये शहरों में बैठे हैं। वो तो चाहें, न चाहें अलग बात है पर जो लोग शहरों में आना नहीं चाहते हैं, उनको दो मील का एरिया म्युनिसिपैलिटी का बढ़ा कर शहरों में लेंगे तो उनको बड़ी भारी मुसीबत और दिक्कत हो जायगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने रखा है, उसे स्वीकार कर लें।

उन्होंने दूसरा संशोधन रखा है ५ हज़ार से ६ हज़ार पोपुलेशन कर दी जाय। इसमें मेरा कहना यह है कि यदि ५ हज़ार की म्युनिसिपैलिटी में आराम पाते हैं तो आराम पाकर देख लें, मेरा कोई आग्रह नहीं है कि ६ हज़ार तक की सीमा निर्धारित की जाय।

श्री मूलचन्द डागा (कुछ माननीय सदस्यों द्वारा परस्पर वार्तालाप करने पर आपत्ति उठाते हुए) : सभापति महोदय. यहां तो एक सब-कमेटी बना रखी है।

(हंसी)

श्री सभापति : (श्री रामचन्द्र) : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री श्रीभानसिंह : The objection is very correct, Mr. Chairman.

श्री सभापति : आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : आपस में बातें कर रहे हैं, जिससे हमें और उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा है।

श्री सभापति : आपको नहीं हो रहा है। ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री श्रीभानसिंह : मेरा ऑब्जेक्शन है..

श्री सभापति : क्या आब्जेक्शन है ?

श्री श्रीभानसिंह : I submit strongly that it is my privilege that no Hon'ble Member can disturb me by talking.

श्री सभापति : मैं अर्ज कर रहा हूं, ऐसी ज़ोर से कोई बात नहीं हो रही है कि आप तक उनकी आवाज़ पहुंचे....

श्री श्रीभानसिंह : But I am being disturbed.

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!....

श्री श्रीभानसिंह : I have every right to submit. I seek your protection against this disturbance.

श्री सभापति : बैठ जाइये, आपको समझा दूं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, जो पास में हैं उनको तो डिस्टर्बेंस हो ही नहीं रहा है, फ़िर आपको कैसे हो रहा है ?

(हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : हम कहते हैं कि हमें डिस्टर्बेंस होता है ।

श्री सभापति : डिस्टर्बेंस का कोई कारण नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह हाउस की परम्परा रही है कि चेयर की ओर से जो भी बात कही जाय वह खड़े हो कर कही जाय ।

श्री सभापति : ठीक है, मैं मानता हूं ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या सदन में इस तरह बात हो सकती है ?

श्री सभापति : मेरा तो निवेदन करना यह है कि बात-चीत हो सकती है, पास पास बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करना मना नहीं है, पास बैठ कर दो सदस्य आपस में बात चीत कर सकते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने तो आपत्ति उठाई है कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है ।

श्री सभापति : आपके पास जो वक्ता खड़े हुए हैं उनको तो आपत्ति नहीं हुई और आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, उनको आपत्ति हुई, यह कैसे मान सकते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं हुई ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : जो असेम्बली को डिबेट्स में पार्टीसिपेट करते हैं उनको आपत्ति होती है, जो डिबेट्स में पार्टिसीपेट नहीं करते उन्हें आपत्ति नहीं होती ।

श्री सभापति : अभी श्री मूलचन्दजी ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो मैंने व्यवस्था दे दी और बात-चीत बन्द हो गई । दो माननीय सदस्य पास में बैठ कर बातचीत कर सकते हैं धीरे धीरे बोलें, ऐसी व्यवस्था दे दी ।

श्री श्रीभानसिंह : डिस्टर्बेंस हुआ है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य अधूरा देकर ही बैठना पड़ा ।

श्री किशन सिंह बट्टड़ : सभापति महोदय, मैंने अपना वक्तव्य दे दिया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं आई ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : जब एक माननीय सदस्य डिस्टर्बेंस के कारण बैठ जाते हैं तो मानना चाहिये कि ऐसी अवस्था पैदा हो गई कि उनको बैठना पड़ा ।

श्री सभापति : ऐसा हुआ है तो अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा ।

श्री किशन सिंह बट्टड़ : मैं अपना भाषण समाप्त करने के बाद अपने आप बैठ गया था। मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इनका कहने का मतलब यह है कि इतना शोर हो रहा था कि मैं अपना भाषण जल्दी समाप्त करके बैठ गया।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सदस्य....

श्री श्रीमानसिंह : माननीय सभापति महोदय, देखिये ये मेरी ओर इशारा कर रहे हैं।

श्री सभापति : यदि किसी को इस पर बोलना हो तो बोलें, वरना माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारे दो मील के अन्दर या दो मील की दूरी पर जो एरिया हो या नगर हो उसको शामिल करके नगर-पालिका कायम की जावे। इसका मतलब यह होगा कि जगह जगह एक दूसरी जगह को मिला कर म्युनिसिपैलिटीज़ बनाई जावेगी। मैं समझता हूं कि ऐसा होल ऑफ इन्डिया में शायद ही कहीं होगा कि एक दूसरे स्थानों को मिला कर म्युनिसिपैलिटी बनाई जावे। इसके अलावा इस प्रकार के म्युनिसिपल बोर्ड कायम करने से जनता के वाजिब अधिकार जो पंचायतों को दिये हुए हैं, वे अधिकार म्युनिसिपैलिटीज़ को नहीं दिये हुए हैं इसलिये वे अधिकार जनता प्राप्त करने से वंचित रह जावेगी। जहां तक कस्बों का मतलब है कि आस पास के गावों को मिलाकर उसको म्युनिसिपल एरिया माना जावे। ग्रामों में ग्राम पंचायतें कायम रहेगी। ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये हुए हैं। मगर म्युनिसिपैलिटी सिर्फ कर वसूल करेगी और सफाई कराएगी इसके अलावा कोई म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं होगा। सड़क सरकार की होगी। पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क होती है थोड़ा थोड़ा कोना सड़कों का म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में होगा और वहां पर हजारों तरह का कूड़ा करकट पड़ा रहेगा। हम देखते हैं कि इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत है। इससे जनता का स्वास्थ्य खराब होता है। इसके अलावा कि म्युनिसिपैलिटी के सदस्य यह कह सकें कि हमारे यहां म्युनिसिपैलिटी है, उनको कोई ग्राम पंचायतों के पंचों को जो अधिकार होते हैं वह भी नहीं हैं। म्युनिसिपैलिटी के ज़रिये से सफाई ठीक होती है और मानसिक स्थिति लोगों की ठीक होती है। जो ग्राम पंचायतों से नहीं होने वाली है। मैं यह कहूंगा कि जहां सरकार की तरफ से हजारों मील का एरिया ठीक होता है वहां म्युनिसिपैलिटी के ज़िम्मे सिर्फ एक ही काम रहेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को बिल रखने से पहले इस बात को सोचना था कि पांच हजार की आबादी होगी उसमें क्या म्युनिसिपैलिटी कामयाब हो सकेगी। कितने उनको म्युनिसिपैलिटी के लिए नौकर रखने पड़ेंगे। इस प्रकार ५ हजार में नौकरों को कितना रुपया देना होगा और इसमें आमदनी कितनी आवेगी और कितनी प्रकार का टैक्स लगाया जावेगा। इसलिये हमको स्वतन्त्र ढंग से म्युनिसिपैलिटी बनाकर पब्लिक की सेवा करने का प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिये स्वतन्त्र ढंग से हमारी म्युनिसिपैलिटी का निर्माण हो ऐसा नहीं होगा और न व्यवस्था ठीक

(श्री हीराभाई)

प्रकार से चलेगी। अगर हमें अच्छी तरह से अपनी म्युनिसिपैलिटीज़ को चलाना है और बड़े से बड़ा और कड़े से कड़ा टैक्स लगाना होगा और उसको लगाकर म्युनिसिपैलिटी को चलाना होगा। मैं जानता हूं कि छोटी छोटी जगह पर म्युनिसिपैलिटीज़ की क्या हालत हैं, मैंने देखा है। जहां पर टैक्स नहीं लिये थे और मैं आपको बताऊं कि एक जगह ग्रामीण जनता के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया। कुछ व्यक्ति घी लेकर गये। म्युनिसिपैलिटी मज़बूरी के साथ उनसे टैक्स वसूल करना चाहती थी। उन्होंने उस वक्त टैक्स नहीं दिये। उनको कोठड़ी में बन्द कर दिया। घी तो निकल गया कुलड़ा से मगर टैक्स नहीं देने के कारण उनको कोठड़ी में बन्द कर दिया। मुकदमा बनाना चाहती थी। मैं यह कहूंगा कि उनको कोठड़ी में जुड़ने (बन्द करने) का अधिकार नहीं। आप जानते हैं कि पुलिस वाले भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने किस आधार पर गिरफ्तार करके कोठड़ी में बन्द कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट दी। बड़ी मुश्किल से निकाल कर लाये, फिर भी केस चलाया। फिर मैं विधान सभा का सदस्य हो गया उसके बाद वापिस वह केस ले लिया गया। वर्ना जुर्माना करने की कोशिश की थी। क्योंकि टैक्स में हर तरह की सहूलियतों को देखें तो ऐसा चल नहीं सकता। जब टैक्स लगेगा तभी तो म्युनिसिपैलिटी चलेगी और ऐसी वारदातें होती है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि लोगों पर बड़ा कड़ा टैक्स होगा और बगैर टैक्स के हमारी म्युनिसिपैलिटी चल नहीं सकेगी। हमारे यहां कुशलगढ़ में सरकार ने तकावी के लिए एक लाख रुपये दिये। इलेक्शन के पहले पहले सरकार ने मंजूर कर दिये। चुनाव हो गये बाद में उन सब बातों को छोड़ दिया और अधिकतर म्युनिसिपैलिटी को देते नहीं और वे वैसे ही पड़ी है।

छोटे छोटे कस्बों की तो बात ही छोड़िये। बड़े शहर जयपुर की गलियों में अगर आप जावें तो आपको मालूम होगा कितनी गंदगी है, और आदमी मैं समझता हूं कि बीमार हो जाता है। ऐसी हलचल तो बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ की है। मैं समझता हूं कि छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ की क्या हालत होगी। इसलिये यह उचित होगा कि इस प्रकार के झगड़े आपस में पैदा न करें तो अच्छा होगा। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं कि ६ हजार तक की जनसंख्या होगी वहां पर म्युनिसिपल एरिया कायम किया जावे और दूसरी जगह पंचायतें कायम की जावे। पंचायतों में उनको न्याय सस्ता मिलेगा और उनकी उदरपूर्ण भी होगी।

श्री सभापति : मेरे बायें हाथ की तरफ जो माननीय सदस्य बैठे हैं, कृपया बातें न करें।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि धीरे धीरे करें!

श्री सभापति : बातें इतनी जोर से न करें कि डिस्टर्ब हो। बातें जोर - जोर से होने लगी, इसलिए आदेश दिया।

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय समय हो गया है।

श्री सभापति : आप समाप्त कर रहे हैं या अगले दिन के लिये रख रहे हैं?

Page No.86

श्री सभापति : समय हो चुका है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक सूचना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बिल को इसी सत्र में पास कराएंगे या आगे....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो सदन की मर्ज़ी पर है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य तो तैयार हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो मैं भी तैयार हूं।

श्री तनसिंह : हम भी तैयार हैं।

श्री सभापति : अभी तो यह बिल पेश ही हुआ है। बहस हो रही है....

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, क्लॉज़ेज पर बहस हो रही है।

श्री सभापति : अभी तो शुरू ही हुआ है। इसलिए अभी आप इतने उत्सुक न हों।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सभापति, मुझे कुछ आपत्ति होती है। मैंने तो इन्फॉर्मेशन चाही थी। आपने फरमाया कि उत्सुक न हों, इसमें मुझे आपत्ति है।

श्री सभापति : मुझे निवेदन करना है कि अभी तो यह बिल शुरू ही हुआ है, आपको इतनी आपत्ति होने का प्रश्न ही क्यों हुआ है ?

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : कम्पलीशन पर यह बिल आता तो आप कह सकते।

श्री श्रीभानसिंह : इस बिल को....

(व्यवधान पर घंटी)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ !

(व्यवधान)

श्री श्रीभानसिंह : आप सुनिये तो सही।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर प्लीज !!

मैंने निवेदन किया कि बिल अभी शुरू ही हुआ है। अभी तो केवल चार पांच क्लॉजेज पर ही बहस हुई है। अभी ऐसा कौनसा मौका आ गया कि अभी पास करना है या नहीं ? इसको जरा रहने दीजिये। समय हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मेरी एक आपत्ति है....

(घंटी)

श्री सभापति : देखिये, ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री भैरोंसिंह : मेरी एक आपत्ति तो सुनिये आप।

श्री सभापति : क्या आपत्ति है आपकी ?

श्री भैरोंसिंह : चेयर की तरफ से जिस भाषा का प्रयोग किया जाय या जिस ढंग से भाषा का प्रयोग किया जाय वह धमकी भरी नहीं होनी चाहिये । आपकी ओर से जोर जोर से बार बार यह कहा गया, ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर प्लीज़ !! यह कोई स्कूल नहीं है जहां कि डराया जाय । कोई बात कहें तो प्रेम से कही जाय और वह सदन के डेकोरम से कही जाय ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे जिससे सदस्यों की मानहानि का सवाल हो । मैंने प्रार्थना और निवेदन के सिवाय और कोई शब्द नहीं कहे । आपकी तरफ से (आप) बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : I say, I strongly object to it Sir.

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति, मैं इन शब्दों के ऊपर सख्त एतराज करता हूं । यह मेरे प्रति और सदन के प्रति लान्छन है । डेकोरम बनाये रखने के लिए इस प्रकार का प्रयत्न नहीं हो सकता है कि इस प्रकार से चेयर की तरफ से आक्षेप किये जांय जो कि अनुचित हैं....

(घंटी)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! आप बिराजिये ।

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह : आपको मेरी आपत्ति सुननी चाहिए ।

(घंटी)

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्री श्रीभानसिंह : मुझे एक्स्प्लेनेशन देने के लिए समय दिया जाय ।

श्री सभापति : आपको कोई समय नहीं दिया जायगा ।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा राइट है और मुझे इसके लिए आपको मौका देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको कोई समय नहीं दिया जावेगा ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या मंत्री महोदय से इन्फोर्मेशन नहीं मांगी जा सकती है ?

(घंटी)

जब चाहें इन्फोर्मेशन मांग सकते हैं, यह अधिकार है, सभापति महोदय ।

(घंटी)

श्री सभापति : आप बिराज जाइये ।

आज समय हो गया है इसलिए सदन की कार्यवाही २३–४–५८ मध्यान्तर के लिए स्थगित की जाती है । तारीख २२–४–५८ को सदन की बैठक नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिंह : फिर कब बैठक होगी ।

Page No.88

श्री सभापति : २३–४–५८ को मध्याह्नोत्तर।

डॉ० चन्द्रकला : समय बताइये।

श्री सभापति : २३–४–५८ को ४ बजे।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १२.३४ पर दिनांक २३ अप्रेल, १९५८ के ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १८ अप्रेल, ५८)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ८०९०

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, करनपुर

मेवाड़ शुगर मिल्स

इन्चार्ज, थाना राजगढ़ (चूरू)
हाईस्कूल, बालोतरा

भवन निर्माण हेतु दिया गया कर्ज़
ज़िला टोंक

ग्रास फार्म बिल्डिंग, जयपुर

आबू रोड़ में गुजराती भाषा का पढ़ाया जाना

मकराने में नई खाने चालू करने हेतु दिये गये आवेदन-पत्र

कोलवा (तहसील दसवा) थाने में कानसिंह द्वारा रिपोर्ट

अध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा हाई-स्कूलों का निरीक्षण

विकास खंड, देसूरी

कोतवाली कोटा

पशुवन विहार, धौलपुर

एम. ए. की हिन्दी और अंग्रेजी कक्षायें

स्तम्भ

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

स्वर्गीय श्री जगरूपसिंह, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, सिंचाई विभाग की टी. ए. व डी. ए. की बकाया रकम

असिस्टेन्ट इन्सपैक्टर, सहकारी विभाग केशवराय-पाटन (बूंदी)

मेवाड़ भील कोर्प्स के कर्मचारी
सड़क निर्माण, भरतपुर

माइन्स मेगनीस खदानों का ठेका
सोप स्टोन के औधोगिक फर्मों में रायल्टी की बकाया रकम

मेजर फतेसिंह, एम. एल. ए. की गिरफ्तारी

ए० सी० सी०, कम्पनी, लाखेरी
पुलिस थाना, सुजानगढ़

फलोदी–चाड़ी सड़क

अजायबघर, जयपुर

स्लेट पत्थर की खानें

भीलवाड़ा-कोटड़ी सड़क

मोटर-स्टेन्ड, थाना अजीतगढ़ के पास घटित चोरी

माध्यमिक व प्राथमिक पाठशा-लाओं के कर्मचारियों का वेतन

	स्कम्भ		स्कम्भ
राज्य यातायात अधिकारी		के उत्तर के पश्चात् उन्होने अपने संशोधन वापिस ले लिये तथा खण्ड सदन द्वारा स्वीकार किया गया।	

स्थगन प्रस्ताव

(बांसबाड़ा जिले में अकाल सम्बन्धी) ८१५७

ज़िला बांसवाड़ा में अकाल की स्थिति पर जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भोगजी भाई ने दी थी उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री दिनांक २३ अप्रेल, १९५८ को एक वक्तव्य देंगे।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७ ८१५८

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श) उपरोक्त विधेयक खण्ड ३, उप-खण्ड (३२), से विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड ३, उप-खण्ड (३२):—वाद-विवाद के पश्चात् श्री मुरलीधर व्यास द्वारा प्रस्तुत संशोधन गिर गया तथा उप-खण्ड स्वीकार किया गया।

उप-खण्ड (३३), (३४) व (३५) भी स्वीकार किये गये।

खण्ड ४:—इस खण्ड पर श्री-सोहन लाल भटनागर व डॉ० चन्द्रकला ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये। स्वायत्त शासन मंत्री के उत्तर के पश्चात् उन्होने अपने संशोधन वापिस ले लिये तथा खण्ड सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

खण्ड ५:—श्री नारायण सिंह मसूदा एवं डॉ० चन्द्रकला ने इस खण्ड पर अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये। इनके अतिरिक्त निम्नांकित सदस्यों ने भी इस पर की गई बहस में भाग लिया:—

१. राव राजा सरदारसिंह
२. श्री श्रीमानसिंह
३. श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा
४. श्री भीमसेन
५. श्री मुक्तिलाल मोदी
६. रावल नरेन्द्रसिंह
७. श्री सोहनलाल भटनागर
८. श्री ज्वालाप्रसाद
९. श्री सूबेदारसिंह
१०. श्री नरोत्तमलाल जोशी
११. श्री मूलचन्द डागा
१२. श्री किशनसिंह
१३. श्री हीराभाई

बुधवार, दिनांक २३ अप्रेल १९५८ की कार्य-सूची

राजस्थान नकदी जागीर उत्सादन विधेयक १९५८

(खण्डशः विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १४६७ का उत्तर देखिये)

देसूरी विकास खण्ड में सन् १६५७ तक विकास कार्यों पर व्यय की गई धनराशि की सूची

क्रम संख्या	सन् १६५७ तक वेतन, यात्रा भत्ता, जीप व पैट्रोल, विकास भवन निर्माण पर खर्च की गई कुल धनराशि				सन् १६५७ तक खर्च की कुल धनराशि
	वेतन	यात्रा भत्ता	जीप व पैट्रोल	विकास भवन निर्माण	
१.	६५००८.५४	१६३८३	१६३२५.८४	६६३५ (कार्यालय भवन) २६६३१.३१ (कर्मचारी क्वाटर्स)	६०७६६०.६४

देसूरी विकास खण्ड में आयोजित ग्राम नेता शिक्षण शिविरों का खर्चा

क्रम संख्या	शिविर स्थान	खर्चा
१.	बाली व देसूरी विकास खण्डों का बाली में सेमीनार	२०६.२५
२.	ग्राम नेता शिक्षण शिविर, सादरी	४५०.००
३.	ग्राम नेता शिक्षण शिविर, दावलाना	२००.००
४.	ग्राम नेता शिक्षण शिविर, कोट	१५०.००
५.	ग्राम नेता शिक्षण शिविर, सिमारा	२००.००
६.	महिला शिक्षण शिविर, रानी गांव	२००.००
७.	ग्राम नेता कृषि शिक्षण शिविर, पालोप	१००.००
८.	ग्राम नेता कृषि शिक्षण शिविर, भिंजोवा	१००.००
९.	ग्राम नेता कृषि शिक्षण शिविर, धूली	१००.००
१०	ग्राम नेता कृषि शिक्षण शिविर, देसूरी	१००.००

खारची विकास खण्ड में आयोजित ग्राम नेता शिक्षण शिविरों का खर्चा

क्रम संख्या	शिविर स्थान	खर्चा	
		सरकारी	जन सहयोग
१.	ग्राम नेता शिविर, सिनला	४७.६२	८०
२.	कृषि ग्राम नेता शिविर, पानला	१००	१५५
३.	कृषि ग्राम नेता शिविर, मुसलिया	१००	१७०
४.	कृषि ग्राम नेता शिविर, दांता	१००	१७०
५.	महिला शिक्षण शिविर, विपुरा कलां	१३८	—
६.	ब्लोक स्तर के ग्राम नेता शिविर, राडावास	१४८	३००

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १५०३ का उत्तर देखिये)

A list to be placed on the floor of the House for S. Q. No. 471/CM

Number of Students

Name of the College.	Year	English M. A. Previous	English M. A. Final	Year	Hindi M. A. Previous	Hindi M.A. Final
Dungar College,	1942-43	1	-		1	-
Bikaner.	1954	9	6		6	11
	1955	13	4		15	7
	1956	8	7		6	3
	1957	10	6		5	4
	1958	10	2		6	2
Maharaja's College,	1896	-	-	1945	3	-
Jaipur.	1897	1	-	1946	3	2
	1898	-	1	1947	5	2
	1899	-	-	1948	2	6
	1900	-	-	1949	10	2
				1950	15	7
S. M. K. College,	1954-55	23	10	1954-55	14	15
Jodhpur.	1955-56	12	10	1955-56	11	9
	1956-57	20	5	1956-57	4	8
	1957-58	22	10	1957-58	12	3
Govt. College, Ajmer.	1948-49	4	-	1953-54	11	-
	1949-50	3	5	1954-55	9	4
	1950-51	8	2	1955-56	16	8
	1951-52	10	3	1956-57	12	14
	1952-53	16	8	1957-58	11	13
Maharana Bhupal				1947-48	8	-
College, Udaipur.				1948-49	5	6
				1949-50	3	5
				1950-51	6	3
				1951-52	4	3
				1952-53	4	4
				1953-54	5	3

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण शुक्रवार दिनांक १८ अप्रैल, १९५८)

स्कंभ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८०९१	४	जी हां ।	जी नहीं ।
८०९२	१५	शगर	शुगर
८१०२	८	जद्योग	उद्योग
८१०४	८	Has	Have
८१०४	११	गारपीट	मारपीट
८१०४	१३	कह	ही
"	१९	ऑफेम्स	ऑफेन्स
"	२३	makIng	making
"	२८	रिहोर्ट	रिपोर्ट
८१०७	८	खच	खर्च
८१२७	६	rcscieded	rescinded
८१४०	३	इत	इस
८१५०	१०	उढ़ाने	उड़ाने
८१५१	१५	अभिक	अधिक
८१५९	१	एग्जैम्शन	एग्ज़ेम्पशन
"	६	एग्ज़ेम्ट	एग्ज़ेम्प्ट
८१६५	१५	कीमत न	कीमतन
८१६६	४	उह	उस
८१६६	१२	रोजमर्म	रोज़मर्रा
८१८८	२६	On liabilities	Or liabilities
८२०४	३	हो जाता	हो जाती
८२०५	८	यह २	यह १
८२१०		(श्री सरदारसिंह)	(श्री श्रीमानसिंह)
८२१२		(श्री सरदारसिंह)	(श्री श्रीमानसिंह)
८२१३	१७	एस्टेब्लिश	एस्टेब्लिश
८२१४		(रावराज श्री सरदारसिंह)	(श्री श्रीमानसिंह)
८२१४	१४	(श्री सज्जनसिंह से)	(श्री सज्जनसिंह)
८२१४	१८	aetion	action
८२२०	१२	: श्री सज्जनसिंह	(श्री सज्जनसिंह) :